खण्ड–13, अंक–3
सोमवार, 07 चैत्र, शक संवत् 1927
(28 मार्च, 2005 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2005)

666

(खण्ड 13 में 9 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी, उत्तरांचल (भारत)
2005

मूल्य

विषय–सूची

666

विषय			पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	...	...	क
होली मिलन समारोह में प्रशासन द्वारा धिरसूपुरा में नेता प्रतिपक्ष को पुलिस कस्टडी में रखे जाने की घटना को नियम 311 में उठाये जाने का प्रयास	...	...	1–3
प्रश्नोत्तर	...	...	3–43
होली मिलन समारोह में प्रशासन द्वारा धिरसूपुरा में नेता प्रतिपक्ष को पुलिस कस्टडी में रखे जाने की घटना को नियम 311 में पुनः उठाये जाने का प्रयास	...	...	43–44
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	44
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	...	...	44
उत्तरांचल विनियोग विधेयक (2004–2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा)	...	...	44
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (संशोधन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	...	...	45
उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा)	...	...	45
उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा)	...	...	45
उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा)	...	...	45
उत्तरांचल नदी घाटी (विकास एवं प्रबन्ध) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा)	...	...	45
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा)		...	46
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	...	...	46
उत्तरांचल निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा)		...	46
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा)	...	...	46

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	47
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा)	47
उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 (अधिनियमित होने की घोषणा)...	47
श्री मातबर सिंह नेता प्रतिपक्ष की गिरफ्तारी/रिहाई की सूचना ...	47
उत्तरांचल विधान सभा की आश्वासन समिति (2004–2005), का तृतीय प्रतिवेदन .... (उपस्थापित)	47
उत्तरांचल विधान सभा की आश्वासन समिति (2004–05), का चतुर्थ प्रतिवेदन .... (उपस्थापित)	48
जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत ग्राम सभा आडखान (बेलुवाखान) में ट्रेक्टर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	48
जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत ग्राम सभा बेलुवाखान का विभाजन कर दो ग्राम सभाएं बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका ... (उपस्थापित)	48
जनपद पौड़ी गढ़वाल के लो0नि0वि0 60वां वृत्त लैन्सडाउन के अधीन गैन्डखाल–आमसैण तथा कड़घर मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका ..... (उपस्थापित)	48
जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत लो0नि0वि0 स्थाई खण्ड अस्कोट के अधीन ठानीधार से रिमझिम बैंक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका ..... (उपस्थापित)	48
जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में आई0टी0आई0 खोलने के सम्बन्ध में याचिका .....(उपस्थापित)	49
कार्य मंत्रणा समिति के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव ...	49–50
श्री हरक सिंह रावत से सम्बन्धित प्रकरण में षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करने हेतु जाँच की घोषणा	50
नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	51
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	51–64
मंत्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव .. (अस्वीकृत) ...	64–95

विषय	पृष्ठ संख्या
वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा ...	95–107
उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर माननीय सदन द्वारा चर्चा कराने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत)	107–110
उत्तरांचल राज्य से बहने वाली नदियों के किनारे ऊँचे पहाड़ों पर स्थित ग्रामीण अंचलों में जल की आपूर्ति हेतु लिफ्ट पेयजल योजनायें बनाने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत) ...	110–112
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	112–113
जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत विधान सभा क्षेत्र में स्थित ग्राम किलकोट के पेयजल स्रोत के दूषित होने के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट स0वि0रा0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वन मंत्री का वक्तव्य ...	113
जनपद चमोली में मिट्टी तेल की आपूर्ति न होने के कारण व्याप्त जन असन्तोष के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र भट्ट सदस्य वि0स0 द्वारा नियम 51 के अर्न्तगत दी गई सूचना पर पंचायती राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	113–114
नत्थियां	115–126

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्रीमती आशा देवी
6—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7—श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8—श्री काशी सिंह ऐरी
9—श्री किशोर उपाध्याय
10—श्री कैलाश शर्मा
11—श्री कौल दास
12—श्री गगन सिंह
13—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14—श्री गोपाल सिंह
15—श्री गोविन्द लाल
16—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
17—श्री चन्द्रशेखर
18—श्री जोत सिंह
19—श्री तसलीम अहमद
20—श्री तिलक राज बेहड़
21—श्री तेजपाल सिंह रावत
22—श्री दिनेश अग्रवाल
23—श्री नव प्रभात
24—श्री नारायण दत्त तिवारी
25—श्री नारायण पाल
26—श्री नारायण राम आर्य
27—श्री नारायण सिंह जंतवाल
28—काजी निजामुद्दीन
29—श्री प्रकाश पंत
30—कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
31—डा0 प्रताप बिष्ट
32—श्री प्रदीप टम्टा
33—श्री प्रीतम सिंह
34—श्री प्रीतम सिंह पंवार
35—श्री प्रेमानन्द महाजन
36—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
37—श्री फूल सिंह बिष्ट
38—श्री बलबीर सिंह नेगी
39—श्री बिजयपाल सिंह सजवाण
40—श्री बिशन सिंह चुफाल
41—श्री भगत सिंह कोश्यारी
42—श्री मदन कौशिक
43—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
44—श्री महेन्द्र भट्ट
45—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)
46—श्री मातबर सिंह
47—श्री माल चन्द्र
48—चौ0 यशवीर सिंह
49—श्री रणजीत सिंह
50—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
51—श्री राम प्रसाद टम्टा
52—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
53—श्री शूरवीर सिंह
54—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
55—श्री सहजाद
56—श्री साधू राम
57—श्री सुबोध उनियाल
58—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
59—श्री सुरेंद्र सिंह नेगी
60—श्री सुरेश चन्द
61—डा0 हरक सिंह रावत
62—श्री हरबंस कपूर
63—श्री हरभजन सिंह चीमा
64—श्री हरीदास
65—श्री हरीश चन्द दुर्गापाल
66—श्री हीरा सिंह बिष्ट
67—श्री हेमेश खर्कवाल
68—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2005 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11.00 बजे पूर्वाह्न अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

होली मिलन समारोह में प्रशासन द्वारा घिस्सूपुरा में नेता प्रतिपक्ष को पुलिस कस्टडी में रखने जाने की घटना को नियम 311 में उठाये जाने का प्रयास

*श्री अजय भट्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार में 25 तारीख को होली के दिन माननीय नेता प्रतिपक्ष को रोका गया और वहाँ ढोल बजाने से रोका गया, जब कि होली के त्यौहार में नहीं करेंगे, तो कब करेंगे। मान्यवर, यह बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष--

आप लोगों को अपनी बात कहने का काफी अवसर मिला। मैं इसको नियम 311 में नहीं सुनूँगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

श्री अजय भट्ट--

मान्यवर, होली के दिन क्या ढोल ही नहीं बजेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)--

मान्यवर, विपक्ष सदन की कार्यवाही चलाना चाहता है और हमारा पूरा सहयोग है सदन को चलाने का। मान्यवर, यह तात्कालिक , अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसको नियम 56 में सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

कल आप लिखित दे दें, मैं सुन लूँगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)--

मान्यवर, साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने की हम सब की जिम्मेदारी है।

श्री अजय भट्ट--

मान्यवर, हम लोग सद्भाव बनाने के लिए कह रहे हैं। यह तो मौलिक अधिकारों का हनन है, संवैधानिक अधिकारों का हनन है, यह गम्भीर मामला है। मान्यवर, पहली ऐसी घटना हुई है, हम साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, इस पर चर्चा नहीं कराई गई तो यह बार-बार घटना होगी।

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठ जायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि इसे आप नियम 56 में सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

कल आप दे दें, मैं सुन लूँगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरा विनम्र निवेदन है कि इसे आप नियम 56 में सुन लें, यह लोकमहत्व का तात्कालिक प्रश्न है। मान्यवर, वहाँ पर मुस्लिम बन्धुओं ने कहा कि आप आइये और होली मनायें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कल लिखित में दे दें, मैं नियम 56 में सुन लूँगा।

*श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह सदन की अवमानना है, यह माननीय सदस्यों की अवमानना है। मान्यवर, वही होली दूसरे दिन चली, पहले दिन क्यों नहीं चल सकती थी।

स्वास्थ्य मंत्री *(श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, हरिद्वार के मामले में अशान्ति करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, तीन दिन तक हाऊस नहीं चला, सरकार नहीं चला पा रही है।

(घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इसे आप नियम 56 में सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें। आप पहले नियम 311 में देते हैं और फिर कहते हैं कि नियम 56 में सुन लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम कह रहे हैं कि इसे नियम 56 में सुन लिया जाये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप कल इसे लिखित में दे दीजिए, मैं इसे 56 में सुन लूँगा।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आप नियम 56 में इसे सुनने की बात कह रहे हैं तो इसे आप नियम 311 में क्यों लाये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित रूप में दे दीजिए, मैं इसे कल नियम 56 में सुन लूँगा, आज नहीं। (भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय सदस्य श्री भगत सिंह कोश्यारी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आकर नारे लगाने लगे–"गुण्डा गर्दी की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी") (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, तीन दिन तक सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। हम सदन चलाना चाहते हैं किन्तु हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त हो जायें और अपना आसन ग्रहण करें, और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आप 56 की बात कह रहे हैं, आपने 311 में सूचना क्यों दी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 1.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित प्रश्न

गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत गंगा प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही

**1–श्री मदन कौशिक–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत गंगा नदी की वृहत सफाई के निर्धारित कार्यक्रम से गंगा में प्रदूषण कम हुआ है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा गंगा को पुनः दूषित होने से रोकने की दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट:– उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 यथा प्रवृत्त उत्तरांचल में भी, के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी हाँ।

गंगा कार्य योजना प्रथम चरण अन्तर्गत हरिद्वार–ऋषिकेश में कराये कार्यों का नियमित एवं उचित रखरखाव किया जा रहा है। गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण में हरिद्वार–ऋषिकेश एवं अन्य आठ नगरों तथा बद्रीनाथ, जोशीमठ, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, श्रीनगर एवं उत्तरकाशी में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्य प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यतः सीवर लाइन का निर्माण, मलशोधन संयत्रों का अधिष्ठान, स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, जन सहभागिता, प्रचार एवं प्रसार तथा नदी तट सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने हैं। कार्य प्रगति पर है। इस पवित्र कार्य में जन–जन का निरन्तर सहयोग आवश्यक है।

प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को प्रदत्त निःशुल्क कुटीर ज्योति विद्युत संयोजनों के विद्युत शुल्क की वसूली

**2–श्री प्रकाश पंत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को प्रदत्त निःशुल्क कुटीर ज्योति विद्युत संयोजनों के विद्युत शुल्क की वसूली की कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार अवशेष भुगतान को माफ करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुटीर ज्योति संयोजनों पर औसत विद्युत आपूर्ति दर से कम दरों पर विद्युत दर अधिरोपित है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

तारांकित प्रश्न

सरकारी सेवा में अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवा विस्तार/पुनः सेवायोजन पर शासन की नीति एवं उसका औचित्य

*श्री किशोर उपाध्याय–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकारी सेवा में अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवा विस्तार/पुनः सेवायोजन दिये जाने के सम्बन्ध में शासन की कोई नीति है ?

यदि हाँ, तो वर्तमान कैलेण्डर वर्ष में किन–किन अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा विस्तार/पुनः सेवायोजन दिया गया है ? उसका औचित्य क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

राज्य गठन के बाद कोई नई नीति निर्धारित नहीं की गई है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री किशोर उपाध्याय–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

पूर्ववर्ती/वर्तमान सरकार के शासन काल में अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्ति एवं सरकार पर प्रतिवर्ष पड़ने वाला व्यय भार

*2–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान सरकार के शासनारुढ़ होने से पूर्व प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कितने अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी?

क्या वर्तमान सरकार के शासनकाल में भी अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है ?

यदि हाँ, तो इतने अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्ति किये जाने का क्या औचित्य है तथा इससे सरकार को प्रतिवर्ष कुल कितना व्यय भार वहन करना पड़ रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अपर महाधिवक्ता के पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गयी थी।

जी हाँ। वर्तमान सरकार के शासनकाल में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में 03, मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल में 03 एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ में 02 अर्थात् कुल 08 अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है।

मा0 न्यायालयों में अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्ति कार्य की आवश्यकता एवं राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी करने के दृष्टिगत एक निश्चित अवधि के लिए की गयी है। इससे सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 27.00 लाख का वार्षिक व्यय भार वहन करना पड़ रहा है।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत बिन्दाल एवं दुल्हनी नदी में शहर की सीवर लाइनों को छोड़ने से पर्यावरण का दूषित होना

*3–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री के संज्ञान में है कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत बिन्दाल नदी एवं दुल्हनी नदी में शहर की सीवर लाइन छोड़ दी गयी है ?

यदि हाँ, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उक्त सीवर लाइन से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तथा सुसवा नदी पूरी तरह प्रदूषित हो गयी है ?

यदि हाँ, तो सुसवा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सीवर लाइन कार्गी स्थित नाले में छोड़ी गई है जो लगभग 1.20 कि0मी0 दूर बिन्दाल नदी में मिलती है। दुल्हनी नदी में शहर की सीवर लाइन नहीं छोड़ी गई है।

ऐसा मल शोधन संयंत्र अधिष्ठापित न होने के कारण किया गया है, फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।

इस समस्या के निराकरण हेतु देहरादून में दो मल शोधन संयंत्रों की स्थापना प्रस्तावित है। देहरादून नगर के नवीन मास्टर प्लान में मल शोधन संयंत्रों के लिए भूमि चयन करने के उपरान्त मल शोधन संयंत्रों का निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में आवास नीति एवं उसका क्रियान्वयन

*4–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में आवास नीति बना ली गई है ?

यदि हाँ, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं तथा उक्त नीति प्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित हो चुकी है ?

यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

आवास नीति तैयार की जा रही है।

नाबार्ड से प्राप्त कुल ऋण व ब्याज भुगतान की प्रक्रिया

*5–श्री नारायण पाल–

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने अब तक 'नाबार्ड' से कुल कितना ऋण लिया तथा यह ऋण किन–किन योजनाओं/कार्यों में लगाया गया ?

ऋण एवं ब्याज भुगतान की प्रक्रिया क्या है ?

सरकार द्वारा नाबार्ड को कितना ऋण एवं ब्याज भुगतान किया गया एवं कितना बकाया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

नाबार्ड से 21–03–2005 तक कुल रु0 17495.62 लाख (रुपये एक सौ चौहत्तर करोड़ पिचानवें लाख बासठ हजार मात्र) का ऋण प्राप्त हुआ है। यह ऋण जल विद्युत, सड़क एवं पुलों, नलकूप एवं लघु सिंचाई, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, पेयजल, लिफ्ट इरीगेशन एवं पावर सेक्टर की सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट, रूरल क्रेडिट आदि की कुल 722 परियोजनाओं हेतु लिया गया है।

ऋण का भुगतान ऋण प्राप्ति के 36 महीने बाद किया जाता है एवं ब्याज का भुगतान त्रैमासिक आधार पर देय होता है।

सरकार द्वारा अब तक रु0 1620.24 लाख (रुपये सोलह करोड़ बीस लाख चौबीस हजार मात्र) का ऋण एवं रु0 10,90,44,258 (रुपया दस करोड़ नब्बे लाख चौवालिस हजार दो सौ अट्ठावन मात्र) ब्याज का भुगतान किया गया है तथा रु0 15875.38 लाख (रुपये एक सौ अट्ठावन करोड़ पच्चत्तर लाख अड़तीस हजार मात्र) का ऋण बकाया है।

प्रदेश में विद्युत मूल्य वृद्धि की योजना व लाइन लॉस में होने वाली क्षति की उपभोक्ताओं से वसूली

*6–श्री हरबंस कपूर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विद्युत मूल्य वृद्धि की कोई योजना है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि लाइन लॉस में होने वाली क्षति की वसूली का भार उपभोक्ता पर पड़ रहा है ?

यदि हॉं, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

राज्य सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। राज्य में विद्युत वितरण के एकमात्र अनुज्ञापी उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 के लिए विद्युत दर निर्धारण हेतु उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जो आयोग के विचाराधीन है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्राविधानान्तर्गत अनुज्ञापी द्वारा अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए0आर0आर0) के आधार पर विद्युत मूल्य निर्धारण का प्रस्ताव किया जाता है। आयोग द्वारा सभी सम्बन्धित को आपत्ति/प्रत्यावेदन का अवसर देकर विद्युत मूल्य निर्धारण किया जाता है।

जी हॉं, लाइन लॉस (जिसमें तकनीकी एवं गैर तकनीकी यथा विद्युत चोरी सम्मिलित है) से होने वाली क्षति की वसूली का भार उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है।

लाइन लॉस को मानक स्तर पर लाने के लिए पर्याप्त समयावधि आवश्यक है एवं हानियों को शनैः–शनैः ही कम किया जा सकता है।

राज्य की पुलिस में निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों और आरक्षी के रिक्त पदों को भरने की कार्य योजना

*7–काजी निजामुद्दीन–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि राज्य की पुलिस में निरीक्षकों उपनिरीक्षकों और आरक्षी के पदों की भारी कमी है ?

यदि हाँ, तो सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्य योजना बना रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सम्प्रति पुलिस विभाग में निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा आरक्षी के पदों की कमी है।

रिक्त पद प्रोन्नति तथा उत्तर प्रदेश से कार्मिकों के आगमन होने से भर जायेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र के विकास हेतु सीमान्त विकास प्राधिकरण की स्थापना तथा वर्ष 2004–2005 में व्यय की गई धनराशि

*8–श्री प्रकाश पंत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र के विकास हेतु सीमान्त विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है ?

यदि हाँ, तो प्राधिकरण के माध्यम से वर्ष 2004–05 में कितनी धनराशि किन–किन योजनाओं में व्यय की गई है ?

क्या मुख्यमंत्री जी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

प्राधिकरण हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 8.50 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2004–05 में सीमान्त क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं हेतु रु0 6.5148 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है किन्तु अभी कोई धनराशि व्यय नहीं हुई।

योजनान्तर्गत कोई धनराशि व्यय न होने के कारण प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता

उत्तरांचल में पेयजल निगम कर्मियों के लिए अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष करने पर विचार

*9–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में पेयजल निगम कर्मियों के लिए अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल में पेयजल निगम कर्मियों एवं उत्तरांचल में अन्य क्रियाशील निगमों/परिषदों आदि में कार्यरत कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने हेतु सम्बन्धित निगमों/परिषदों के अध्यक्ष मण्डल से प्राप्त संस्तुतियों पर विचार किया जा रहा है। शीघ्र ही इस प्रकरण पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय ले लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में पंजीकृत एन0जी0ओ0 की संख्या एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग पर कार्यवाही

*10–श्री मदन कौशिक–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कितने पंजीकृत एन0जी0ओ0 कार्यरत हैं ?

क्या यह सत्य है कि कतिपय गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसी संस्थाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

गढ़वाल मण्डल में 30390 तथा कुमायूँ मण्डल में 17391 कुल 47781 संस्थायें सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना हेतु काश्तकारों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान

*11–डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना हेतु काश्तकारों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान सरकार द्वारा कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो किस दर से ?

क्या मंत्री जी अधिग्रहित भूमि के स्थान पर भूमि ही उपलब्ध कराए जाने पर विचार करेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए राष्ट्रीय विस्थापन एवं पुनर्वास नीति, 2003 के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में विधायक क्षेत्र विकास निधि के मानकों में संशोधन पर विचार

*12–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में विधायक क्षेत्र विकास निधि के मानकों में संशोधन करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो मानकों में कब तक संशोधन कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

विधायक निधि योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन और अनुश्रवण आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये हैं। अपरिहार्य परिस्थितियों में शिथिलीकरण की आवश्यकता होने पर सम्यक् विचारोपरान्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों में शिथिलीकरण प्रदान किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम नाचनी के धामी गाँव में सरकार द्वारा हाईड्रम योजना निर्माण की जानकारी

1–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम नाचनी के धामी गाँव में सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान में हाईड्रम योजना का निर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम नाचनी के धामी गाँव में सिंचाई सुविधा हेतु पूर्व में ही सिंचाई विभाग द्वारा नहर निर्मित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में सिंचाई सुविधा हेतु नहर निर्मित की जा चुकी है अतः हाईड्रम योजना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट में थाना स्वीकृति एवं थाना भवन हेतु भवन का चयन

2—श्री नारायण राम आर्य—

क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट में थाना स्वीकृत हो चुका है तथा थाना भवन हेतु भूमि का चयन किया जा चुका है ?

यदि हाँ, तो कब तक भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

पिथौरागढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत रा0 महाविद्यालय में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों की संख्या एवं पदों को भरे जाने पर विचार

3—श्री नारायण राम आर्य—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत रा0 महाविद्यालय में कितने प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं?

क्या सरकार प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

महाविद्यालय में सृजित प्रवक्ता के एक पद के विरुद्ध शिक्षक की व्यवस्था की गयी है।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के पशुचिकित्सालय, स्यालना में रिक्त चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति पर विचार

4—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के पशुचिकित्सालय, स्यालना में पशु चिकित्साधिकारी का पद रिक्त है ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

जनपद के विकास खण्ड डुण्डा के पशुचिकित्साधिकारी का पद दिनांक 28—09—2002 से रिक्त चल रहा है। वर्तमान में पशुचिकित्सालय, स्यालना में सप्ताह में दो दिन कार्य करने हेतु डा0 सुधीर कुमार, पशुचिकित्सक (संविदा) भेड़ प्रक्षेत्र, डुण्डा को दिनांक 3—11—2004 को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में स्थित ग्राम पटारा, मालना लोल्दा, बांद्, पुजार गाँव और जखारी की पेयजल समस्या हेतु ग्योण्योटी नामक स्थान पर पेयजल योजना के निर्माण पर विचार

5—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में स्थित ग्राम पटारा, मालना, लोल्दा, बांद्, पुजार गाँव और जखारी के ग्रामीणों के लिये पेयजल समस्या से निपटने के लिए ग्योण्योटी नामक स्थान से पेयजल योजना का निर्माण करवाया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ। पुजार गाँव पेयजल योजना का स्रोत ग्योण्योटी नामक स्थान से है जिसमें ग्राम पटारा एवं ग्राम जखारी सम्मिलित नहीं हैं। इस योजना में ग्राम मालना, लोल्दा, बान्द्, पुजार गाँव एवं पटारा ग्राम का पंगेली तोक सम्मिलित हैं। योजना की डिजाइन अवधि पूर्ण हो चुकी है अतएव योजना का पुनर्गठन जिला योजना वर्ष 2004—05 में प्रस्तावित किया गया, जिसके सापेक्ष रु0 0.10 लाख की राशि स्वीकृत हुई है।

ग्राम पटारा एवं ग्राम जखारी, पटारा पेयजल योजना में सम्मिलित हैं जिसके स्रोत पर ग्रीष्म ऋतु में स्राव कम हो जाने के कारण सुचारु पेयजल आपूर्ति हेतु अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना के क्रियान्वयन में स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन हेतु मापदण्ड की जानकारी

6–श्री अजय भट्ट–

(1) क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना का क्रियान्वयन स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है ?

(2) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन संस्थाओं के चयन हेतु क्या मापदण्ड रखे गये हैं ?

(3) क्या केन्द्र सरकार के मानकों के आधार पर ही प्रदेश सरकार संस्थाओं का चयन करेगी अथवा कोई अन्य नियम बनायेगी ?

महिला सशक्तिकरण राज्य मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

(1) इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना के अन्तर्गत गतिविधियों का संचालन स्वयं सेवी संस्थाओं, शासकीय/अर्द्धशासकीय संगठन, सहकारी समितियाँ, बैंकों द्वारा वित्त पोषित स्वयं सहायता समूह, नगर निकाय, जिला/क्षेत्र/ग्राम पंचायतें, सार्वजनिक उद्यम, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय, शोध एवं अनुसंधान संस्थाओं आदि के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये विभिन्न समाचार–पत्रों में विज्ञापन देकर प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं।

(2) इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति गुणावगुण के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा दी जाती है।

(3) उपरोक्तानुसार।

इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा चलाये जा रहे महिला जागृति से सम्बन्धित बिन्दुओं पर शोध सर्वेक्षण, अध्ययन व मूल्यांकन तथा प्रकाशन

7–श्री अजय भट्ट–

(1) क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना के अन्तर्गत महिला जागृति से सम्बन्धित बिन्दुओं पर शोध सर्वेक्षण, अध्ययन एवं मूल्यांकन तथा प्रकाशन का कार्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है ?

(2) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

(1) इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना के अन्तर्गत महिलाओं से सम्बन्धित विषयों पर शोध, सर्वेक्षण, अध्ययन, मूल्यांकन तथा प्रकाशन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कोई कार्य संचालित नहीं है, समाचार–पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में वित्तीय वर्ष 2004–2005 में माह सितम्बर, सन् 2004 तक राजस्व विभाग द्वारा सरकारी ऋणों की कुल वसूली की गई धनराशि एवं बकायादारों का विवरण

8–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में वित्तीय वर्ष 2004–05 में माह सितम्बर, सन् 2004 तक राजस्व विभाग द्वारा सरकारी ऋणों की कुल कितनी धनराशि वसूल की गयी ?

राजस्व विभाग द्वारा तहसील थलीसैण, पौड़ी तथा कोटद्वार के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 2004 तक कितनी धनराशि बकायादारों से वसूल की गयी है तथा कितनी धनराशि वसूल की जानी शेष है ?

कुल कितने कर्जदारों को राजस्व विभाग द्वारा हिरासत में लिया गया और कितने कर्जदारों की चल–अचल सम्पत्ति की नीलामी की गयी ?

क्या सरकार उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में वित्तीय वर्ष 2004–05 में माह सितम्बर, 2004 तक राजस्व विभाग द्वारा सरकारी ऋण रु0 16135135.00 शुद्ध मांग के विरुद्ध रु0 7143233.00 की वसूली की गयी, जो कि कुल मांग का 44 प्रतिशत है।

राजस्व विभाग द्वारा तहसील थलीसैण के अन्तर्गत रु0 553892.00 तहसील पौड़ी के अन्तर्गत रु0 1844328.00 एवं तहसील कोटद्वार के अन्तर्गत रु0 2088438.00 धनराशि 30 सितम्बर, 2004 तक बकायादारों से वसूली की गयी तहसील थलीसैण में रु0 1156664.00, तहसील पौड़ी में रु0 1818183.00 एवं तहसील कोटद्वार में रु0 2452155.00 की धनराशि 30 सितम्बर, 2004 के बाद वसूल की जानी अवशेष थी।

तहसील थलीसैण में 01 बकायादार, तहसील पौड़ी में 09 बकायादारों एवं तहसील कोटद्वार में 04 बकायादारों को राजस्व बन्दी गृह में 14 दिन बन्द रखा गया। तहसील पौड़ी के अन्तर्गत 01 बकायादार की चल सम्पत्ति की नीलामी की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत 'मेगाटेक' कम्पनी द्वारा सड़क निर्माण एवं स्वीकृत धनराशि का विवरण

9–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत 'मेगाटेक' कम्पनी के माध्यम से राज्य में किन–किन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है तथा इन सड़कों की लम्बाई तथा प्रत्येक सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण क्या है ?

क्या यह सत्य है कि 'मेगाटेक' कम्पनी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा इन सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

विवरण संलग्न परिशिष्ट–"क" में दिया गया है।

जी हाँ।

मैदानी क्षेत्रों हेतु मोटर मार्ग निर्माण हेतु निर्धारित एक वर्ष की समय सीमा के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में इस अवधि में मोटर मार्ग निर्माण कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मोटर मार्गों का निर्माण दो स्टेजों पर सम्पन्न किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर मार्गों का निर्माण दो स्टेजों में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, प्रथम स्टेज में हिल साइड कटिंग, प्रोटेक्शन कार्य पुल एवं पुलिया निर्माण तथा पहाड़ के स्थित होने पर दो मानसून गुजरने के बाद द्वितीय स्टेज के मार्गों को पक्का करने का कार्य किया जाता है जिसके कारण मोटर मार्ग पूर्ण करने में तीन वर्ष का समय लगता है, साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश मार्ग वन भूमि में बनाये जाने के कारण वन भूमि के हस्तान्तरण एवं समरेखण पर आने वाले वृक्षों के पातन पर भी समय लगता है, 38 मोटर मार्ग पूर्ण कराये जा चुके है। शेष मोटर मार्गों को पूर्ण करने की सम्भावित तिथि संलग्न परिशिष्ट–"क" में उल्लिखित की गयी है।

(परिशिष्ट देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 115–117)

जनपद पिथौरागढ़ के सुदूर अंचलों में विलुप्त होती राजी जनजाति के उत्थान हेतु सरकार के उपाय

10–श्री गगन सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के सुदूर अंचलों में निवास करने वाली राजी जनजाति जो विलुप्त होने जा रही है, के उत्थान के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

यदि नहीं किए जा रहे हैं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रदेश के जनपद पिथौरागढ़ के सुदूर अंचलों में निवास करने वाली राजी जनजाति की जनसंख्या विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1993 में 480 तथा वर्ष 2002–03 में 670 है। इस प्रकार राजी जनजाति की जनसंख्या में वृद्धि हुई है तथा यह विलुप्त नहीं हो रही है।

राजी जनजाति के उत्थान के लिए निम्नलिखित योजनायें पूर्व से ही संचालित की जा रही हैं :–

1. दुधारू पशुपालन योजना

2. स्वतः रोजगार योजना

3. कृषि सम्बन्धी योजना

4. आवास निर्माण योजना (इन्दिरा आवास योजना के पैटर्न पर)

वित्तीय वर्ष 2004–05 से जनजातियों के उत्थान हेतु निम्नलिखित दो योजनायें चालू की जा रही हैं :–

1. शिल्पी ग्राम योजना

2. जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय महाविद्यालय बलवाकोट एवं मुनस्यारी में संचालित विषयों तथा रिक्त पदों पर प्रवक्ताओं की तैनाती

11–श्री गगन सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय महाविद्यालय बलवाकोट एवं मुनस्यारी में कुल कितने विषय संचालित किये जा रहे हैं ?

क्या इन विषयों के शिक्षक उपलब्ध हैं ?

यदि नहीं, तो कब तक रिक्त पदों पर तैनाती दी जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

राजकीय महाविद्यालय, बलवाकोट में 09 विषय तथा मुनस्यारी में 07 विषय संचालित हैं।

राजकीय महाविद्यालय, बलवाकोट में 04 प्रवक्ता तथा मुनस्यारी में सृजित 01 पद के विरुद्ध विजिटिंग प्रवक्ता कार्यरत हैं।

रिक्त पदों के प्रति आगामी शैक्षिक सत्र 2005–2006 में प्रवक्ताओं की तैनाती की व्यवस्था होनी सम्भव है।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सरप्रोड़ा से दुँगातोली पेयजल योजना की जाँच व दोषियों के प्रति कार्यवाही

12—श्री गगन सिंह—

क्या पेयजल मंत्री को ज्ञात है कि विकास खण्ड धारचूला, जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सरप्रौड़ा से डुँगातोली पेयजल योजना की जाँच की जानी थी ?

यदि हाँ, तो क्या जाँच पूर्ण हो गयी तथा सरकार द्वारा दोषियों के प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

जाँच में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल स्थित गाँधी संस्थान, ताकुला के विकास के लिए हिमालयन म्यूजियम स्थापित करने पर विचार

13—श्री नारायण सिंह जन्तवाल—

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल स्थित गाँधी संस्थान, ताकुला के विकास हेतु शासन को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ? क्या सरकार उक्त स्थल के विकास के लिए हिमालयन म्यूजियम स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस सन्दर्भ में माननीय सदस्य, विधान सभा, नैनीताल की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र में प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड, चिन्यालीसौड़ के हटनाली—मुरोगी गाँव में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों की मरम्मत

14—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड, चिन्यालीसौड़ के हटनाली—मुरोगी गाँव में बिछाई गयी विद्युत लाइन के खम्भों की दूरी एक—एक कि०मी० की दूरी पर है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त विद्युत लाइन भारी बर्फ गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है तथा कुछ परिवार आच्छादन से वंचित किये गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या निर्धारित मानकों के अनुरूप क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

तथा विद्युत आच्छादन से वंचित परिवारों को कब तक आच्छादित कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड, चिन्यालीसौड के हटनाली–मुरोगी गाँव में बेछाई गयी विद्युत लाइन के खम्भों की दूरी एक–एक कि०मी० की दूरी पर नहीं है। बल्कि अधिकतम दूरी 300 मीटर है।

जी हाँ।

यथाशीघ्र क्षतिग्रस्त लाइन को ठीक कर विद्युत आपूर्ति बहाल की जायेगी।

वंचित परिवारों को विद्युत आच्छादन करना सम्बन्धित परिवारों द्वारा विद्युत आच्छादन हेतु आवेदन पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तोड़ा ग्राम में विद्युतीकरण की योजना

15–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तोड़ा ग्राम में विद्युतीकरण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम अन्तोड़ा को विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2005–06 की योजना में शामिल कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

हल्द्वानी, जिला नैनीताल में साप्ताहिक शनिबाजार के आन्दोलन में दर्ज मुकदमों में राजनैतिक आन्दोलनकारियों पर गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमें

16–श्री नारायण पाल–

क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में है कि 5 फरवरी, 2005 को हल्द्वानी, जिला नैनीताल में साप्ताहिक शनिबाजार के आन्दोलन में दर्ज मुकदमों में राजनीतिक आन्दोलनकारियों पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज किये गये हैं ?

यदि हाँ, तो गैंगस्टर एक्ट लगाए जाने के क्या कारण रहे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

अभियुक्तों की संदर्भित कारगुजारी "राजनीतिक" श्रेणी में नहीं लायी जा सकती।

अभियुक्तों द्वारा अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह के रूप में अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आम जनता में रोष फैलाने,

सरकारी व गैर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने, अव्यवस्था फैला कर जनता में भय उत्पन्न करने का कार्य किया गया, जिस पर थाना हल्द्वानी में मु0अ0सं0–775/2005 धारा 147, 149, 336, 332, 341, 353, 306, 309 भा0द0वि0, 3 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट, 3/4 लो0स0अनु0अधि0 एवं 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। अभियोग विवेचनाधीन है।

श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति में विधायकों को नामित किये जाने की जानकारी

17–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या तीर्थाटन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति में उत्तरांचल विधान सभा से तीन विधायक नामित होने का मन्दिर समिति एक्ट में प्रावधान है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार तीन विधायकों को उक्त समिति में नामित करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ। राज्य गठन के उपरान्त श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ अधिनियम में संशोधन कर मन्दिर समिति में उत्तरांचल विधान सभा के तीन हिन्दू मा0 सदस्य गणों को सदस्य के रूप में नामित करने का प्राविधान किया गया है। इन सदस्यों के नामांकन के सन्दर्भ में कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

18–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

उत्तरांचल राज्य गठन से पूर्व सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता जोड़ते हुए पेंशन का भुगतान

19–श्री हरबंस कपूर–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य गठन से पूर्व (9–11–2000 से पूर्व) सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को उत्तरांचल में पेंशन का भुगतान उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 54 के साथ पठित आठवीं अनुसूची के अनुसार उत्तरांचल सरकार द्वारा किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो उक्त पेंशनरों को अप्रैल, 04 में स्वीकृत 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को पेंशन में जोड़ते हुए पेंशन राहत का भुगतान सरकार द्वारा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उक्त अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन एवं भेदभाव हेतु दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

दिनांक 9 नवम्बर, 2000 से पूर्व के पेंशन धारकों को यह भुगतान नहीं किया जा रहा है।

पुनर्गठन अधिनियम के प्राविधानों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराये जाने हेतु प्रकरण भारत सरकार को संदर्भित है।

प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्गठन अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

20–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–तृतीय सोमवार के अता0 38 में स्था0।

टी स्टेट बंजरावाला, जनपद देहरादून में बांध विस्थापितों को अन्य बांध विस्थापितों की तरह मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक

21–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि टी स्टेट बंजारावाला, जनपद देहरादून में बांध विस्थापितों को अन्य बांध विस्थापितों की तरह मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं ?

यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

वर्ष 1988 से आरम्भ करने के उपरान्त वर्ष 1997 तक समस्त सुविधायें उपलब्ध करा दी गयी थीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति अधिनियम को निरसित कर अन्य अधिनियम लाने की योजना

22–श्री अजय भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार बद्रीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति अधिनियम को निरसित कर उसके स्थान पर कोई अन्य अधिनियम लाने की योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो क्यों और प्रस्तावित विधेयक का स्वरूप क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मा0 केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित चारधाम विकास परिषद् की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार उत्तरांचल में स्थित चारधाम यथा

यमुनोत्री, गंगोत्री, श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ के अवस्थापना एवं प्रशासनिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के दृष्टि से एक नवीन व्यवस्था बनाये जाने हेतु कार्यदल गठित किया गया। कार्यदल द्वारा की गयी संस्तुतियों पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

राजकीय महाविद्यालय, चौखुटिया, जनपद अल्मोड़ा के विद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि चयन तथा निर्माण की कार्यवाही

23—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय, चौखुटिया, जनपद अल्मोड़ा के विद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है ?

यदि हाँ, तो विद्यालय भवन निर्माण की कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

भवन निर्माण के सम्बन्ध में यथासमय वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत निर्णय लिया जायेगा।

भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील उत्तरांचल में आपदा से निपटने के लिए नीति निर्धारण

24—श्री हरबंस कपूर—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील उत्तरांचल में आपदा से निपटने के लिए कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राज्य में दैवी आपदाओं की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए दैवीय आपदा से बचाव एवं राहत कार्य हेतु ग्राम, ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन की नीति तैयार की जा रही है, जिसके अन्तर्गत भूकम्प अवरोधी भवन निर्माण तकनीकी हेतु राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण जागरूकता एवं ग्राम स्तर पर आपदा अन्तराक्षेपण दलों का गठन किया जा रहा है। खोज एवं बचाव कार्य हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं तथा राज्य की भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित आपदा के उपरान्त विभिन्न संसाधनों का वृहद डाटाबेस तैयार किया जा रहा है जो आपदा के अतिरिक्त विभिन्न विकास कार्यों के नियोजन में भी उपयोगी होगा। वर्तमान में विभिन्न आपदाओं के सापेक्ष जोखिम आंकलन के कार्य भी किये जा रहे हैं तथा राज्य में आपदा प्रबन्धन व्यवस्था के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन अधिनियम बनाये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

25—श्री हरबंस कपूर—प्रथम शुक्रवार के अता० 75 में स्था०।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील धारचूला–मुनस्यारी में सरकार द्वारा दैवीय आपदा सम्बन्धी किये गये उपाय

26–श्री गगन सिंह–

क्या मुख्यमंत्री अवगत है कि दैवीय आपदा की दृष्टि से जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला–मुनस्यारी अति संवेदनशील है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला एवं मुनस्यारी दैवीय आपदा से अधिक प्रभावित रहते हैं।

तहसील धारचूला–मुनस्यारी में दैवीय आपदा प्रबन्धन कार्यों के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय/ब्लॉक स्तरीय/तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्य योजना का निर्माण किया जा रहा है। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों/भूमि/मार्ग आदि का निर्माण किया जा रहा है तथा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में भूमि संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों के दैवीय आपदा से प्रभावित गाँवों को अन्यत्र बसाने की कार्यवाही की जा रही है। अतिसंवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए आपदा जोखिम प्रबन्धन परियोजना के अन्तर्गत भूकम्प अवरोधक निर्माण/तकनीक का प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बचाव एवं राहत कार्यों के लिए ग्राम, तहसील एवं जनपद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं। दैवीय आपदा राहत कार्यों हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि का अधिक आनुपातिक व्यय आपदा को देखते हुए इन तहसीलों में किया जाता है।

टिहरी जनपद की कोश्यारताल तथा सारज्यूला पम्पिंग योजना की स्वीकृति की जानकारी

27–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी जनपद की कोश्यारताल तथा सारज्यूला पम्पिंग योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

कोश्यारताल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना एवं सारज्यूला पम्पिंग पेयजल योजना के प्रारम्भिक प्राक्कलन स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

संसाधनों की उपलब्धता पर अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव है।

जनपद टिहरी के अन्तर्गत टिहरी बाँध से प्रभावित गडोली, प्रताप नगर के सत्रह (17) परिवारों का पुनर्वास

28–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत टिहरी

बाँध से प्रभावित गडोली, प्रतापनगर के सत्रह (17) परिवारों का सरकार पुनर्वास करने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

आंशिक डूब क्षेत्र के ग्राम गडोली के 17 परिवारों के पुनर्वास हेतु पात्रता निर्धारण की कार्यवाही गतिमान है। पात्रता निर्धारण के उपरान्त पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पात्रतानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में आन्दोलनकारियों के परिवारों के हितों की रक्षा हेतु सरकार की नीति

29–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में शहीद, लापता, घायल एवं जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों के परिवारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारण किया जा चुका है ?

यदि हाँ, तो अब तक कितने आन्दोलनकारियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में शहीद, लापता, घायल एवं जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों के परिवारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित नीति विषयक निर्णय लिये गये हैं :–

1. शहीदों के आश्रितों को सेवायोजित करना।
2. लापता आन्दोलनकारियों को शहीद घोषित करना।
3. सात दिन तक जेल में निरुद्ध आन्दोलनकारियों को सेवायोजित करना।
4. घायल आन्दोलनकारियों को सेवायोजित करना।

अब तक कुल 225 आन्दोलनकारियों को सेवायोजित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बाँध की सुरंगों से पानी की निकासी को बन्द किये जाने विषयक

30–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बाँध की कितनी सुरंगों से पानी की निकासी की जा रही है ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिन सुरंगों से पानी की निकासी हो रही है, उन्हें कब तक बन्द कर दिया जायेगा ?

श्रीमती अमृता रावत–

वर्तमान समय में टिहरी बाँध की एक मात्र सुरंग संख्या टी–2 से पानी की निकासी की जा रही है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जल निकासी बन्द करने से पूर्व, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति लेना बाध्यकारी है। यद्यपि टी0एच0डी0सी0 से प्राप्त सूचना अनुसार व्यावर्तन सुरंग संख्या टी–2 को वर्ष 2005 में बन्द कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश सरकार के पास उपलब्ध विमान एवं हैलीकॉप्टरों की संख्या एवं उनका रख–रखाव

31–काजी निजामुद्दीन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार के पास वर्तमान में कितने विमान एवं हैलीकॉप्टर हैं ?

सरकार द्वारा उक्त विमानों को रखने के लिए हैंगर की व्यवस्था कहाँ की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

एक विमान व दो हैलीकॉप्टर है।

हैंगर जौलीग्रान्ट एअरपोर्ट, देहरादून में निर्माणाधीन है।

राज्य के भेषज क्रय विक्रय संघों द्वारा वर्ष 2004–05 में क्रय की गई जड़ी–बूटी का विवरण

32–श्री प्रकाश पंत–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के भेषज क्रय–विक्रय संघों द्वारा वर्ष 2004–05 में कितनी जड़ी–बूटी क्रय की गयी ?

क्या मंत्री जी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत जिला भेषज एवं क्रय–विक्रय संघों द्वारा वर्ष 2004–05 में वन एवं नाप भूमि से कुल 8145.94 कुन्तल जड़ी–बूटी एवं पौध का क्रय किया गया।

जी हाँ, विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(संलग्नक देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 118 पर)

उत्तरांचल में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना

33–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार उत्तरांचल में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो उक्त सन्दर्भ में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

प्रकरण शासन के सक्रिय विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

34–श्री महेन्द्र भट्ट–

तृतीय सोमवार के अता० 37 में स्था०।

सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मानकों के अतिरिक्त गेहूँ वितरण के शासनादेश की जानकारी

35–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के अन्तर्गत एक मानव दिवस पर भारत सरकार द्वारा 5 कि०ग्रा गेहूँ के वितरण के मानक के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा किन कारणों से 8 कि०ग्रा० गेहूँ आवंटन का शासनादेश निर्गत किया गया है ?

यदि हाँ, तो उक्त शासनादेश के अनुरूप क्या प्रत्येक मानव दिवस पर 8 कि०ग्रा० गेहूँ का वितरण किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार द्वारा गेहूँ वितरण किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–02 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अन्तर्गत प्रथमबार खाद्यान्न का आवंटन अन्तिम माह में किया गया जिसका पूर्ण उपभोग आवंटन वर्ष में नहीं किया जा सका, जनपदों में खाद्यान्न की अधिक मात्रा अवशेष रहने के कारण प्रति मानव दिवस 5 कि०ग्रा० के स्थान पर 8 कि०ग्रा० गेहूँ वितरित करने का शासनादेश जारी किया गया ताकि खाद्यान्न का समय से पूर्ण उपभोग किया जा सके एवं राज्य को वित्तीय हानि न उठानी पड़े।

जी हाँ।

666

प्रश्न नहीं उठता।

अग्रिम आदेशों तक।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत सरमाली–सोमन पेयजल योजना का निर्माण कार्य

36–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत सरमाली–सोमन पेयजल योजना का निर्माण कब किया गया ?

क्या यह सत्य है कि उक्त पेयजल योजना कुल एक कि0मी0 ही निर्मित की गयी थी ?

यदि हाँ, तो उक्त अधूरी पेयजल योजना का निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सरमाली–सोमन नाम से कोई पेयजल योजना निर्मित नहीं है। बल्कि विकास क्षेत्र डुण्डा के अन्तर्गत सोमन ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण वर्ष 1993 में किया गया। योजना पर रु0 5.55 लाख व्यय कर 4.25 कि0मी0 पाईप लाइन, 5.00 कि0ली0 क्षमता का जलाशय एवं 6 नग जल स्तम्भों का निर्माण करते हुए उपलाबाला नामक बस्ती को लाभान्वित किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित न होने तथा आंगनबाड़ी केन्द्र विहीन ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने विषयक

37–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के कितने ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हैं ?

आंगनबाड़ी केन्द्र विहीन ग्राम पंचायतों में कब तक आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

(i) जनपद उत्तरकाशी के लिए कुल स्वीकृत 296 आंगनबाड़ी केन्द्र के सापेक्ष 296 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

(ii) आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना का मानक मैदानी क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या व पहाड़ी व जनजाति क्षेत्रों में 700 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र है।

(iii) प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा जिले के विकास खण्ड ताड़ीखेत के ग्राम कोटली पोस्ट सिलोर महादेव को गगास नदी के बहाव से उत्पन्न खतरा

38–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले के विकास खण्ड ताड़ीखेत के ग्राम कोटली पोस्ट सिलोर महादेव को गगास नदी के बहाव से भूमि कटाव के कारण गम्भीर खतरा बना हुआ है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा गाँव को बचाने हेतु क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं तथा कब तक गाँव को पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर दी जायेगी ?

श्रीमती अमृता रावत–

जिला अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत के ग्राम कोटली पोस्ट सिलोर महादेव को गगास नदी के कटाव से वर्तमान में कोई खतरा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा जिले के ग्राम टाना–रौली में विद्युतीकरण की कार्यवाही

39–श्री अजय भट्ट–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत है कि अल्मोड़ा जिले का ग्राम टाना–रौली विद्युतीकृत है?

क्या यह सत्य है कि उक्त ग्राम का विद्युतीकरण आज तक नहीं किया गया है?

यदि हाँ, तो उक्त गाँव को विद्युतीकृत दिखाने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

क्या सरकार जनहित में उक्त गाँव का विद्युतीकरण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्रीमती अमृता रावत–

ग्राम का विद्युतीकरण दिनांक 15–06–1986 को हुआ था।

ग्रामवासियों द्वारा संयोजन न लेने तथा इस क्रम में लाइन क्षतिग्रस्त होने से ग्राम में विद्युत आपूर्ति बाधित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ, ग्रामवासियों द्वारा विद्युत संयोजन लेने (न्यूनतम 10% घरों द्वारा) की शर्त वर्तमान विद्युतीकरण परिभाषा में आवश्यकीय है। उत्तरांचल पावर कारपोरेशन एक वाणिज्यिक संस्था है। अतः 100% घरों द्वारा संयोजन लिया जाना अधिक उपयुक्त होगा।

उक्त ग्राम वर्ष 2005–06 में पुनः विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति रोस्टर प्रणाली की जानकारी

40–श्रीमती आशा देवी–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति रोस्टर प्रणाली के तहत भरे जाने का कोई विशेष प्राविधान है?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु आरक्षित पदों को भरे जाने हेतु रोस्टर प्रणाली निर्धारित की गयी है।

अनुसूचित जाति हेतु 100 पदों के सापेक्ष रोस्टर क्रमांक 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 93 तथा अनुसूचित जनजाति हेतु 24, 48, 72, 96 निर्धारित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ावों पर क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं का पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार

41–श्रीमती आशा देवी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केदारनाथ यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ावों पर क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो क्षतिग्रस्त योजनाओं का कब तक पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यथाशीघ्र क्षतिग्रस्त योजनाओं का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

42–श्रीमती विजय बड़थ्वाल– तृतीय सोमवार के अता0 18 में स्था0।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वितीय चरण में देवप्रयाग–व्यासघाट मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति एवं लाभान्वित गाँव

43–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वितीय चरण में देवप्रयाग–व्यासघाट मोटर मार्ग (12 कि0मी0) निर्माण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ?

यदि हाँ, तो इस मार्ग निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और उसके सापेक्ष अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा इस मार्ग निर्माण से किन–किन गाँवों को लाभान्वित करने का प्राविधान है ? अब तक किन–किन गाँवों को इस मार्ग से जोड़ा गया है ?

क्या यह भी सत्य है कि इस मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम्य विकास शाखा के अपर सचिव (ग्रा0वि0) उत्तरांचल शासन के पत्रांक 322/यू0टी0 03–04/पीएमजीएसवाई के दिनांक 25 मार्च, 2004 के द्वारा दिनांक 30 जून, 2004 में बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ?

यदि हाँ, तो क्या बढ़ाई गई अवधि में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है ?

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

इस मार्ग के निर्माण हेतु स्वीकृत रु0 385.65 लाख के सापेक्ष फरवरी, 2005 तक रु0 216.57 लाख व्यय किया जा चुका है। इस मार्ग निर्माण से ग्राम–सौड़, उमरासू एवं व्यासचट्टी लाभान्वित होंगे, इस मार्ग का निर्माण पूर्ण होने पर उक्त ग्राम इस मार्ग से जुड़ जायेंगे।

जी हाँ।

जी नहीं।

मार्ग के समरेखण में पड़ने वाली ग्राम–उमरासू की निजी भूमि प्रतिकर विवाद एवं समरेखण में आ रही चट्टानों की कटिंग हेतु विस्फोटक सामग्री लाइसेन्स समय से न मिलने के कारण विलम्ब हुआ, इसके अतिरिक्त इस वर्ष अत्यधिक वर्षा से होने वाले भू–स्खलन के कारण निर्माण कार्य कई माह बाधित रहा।

सरकार द्वारा टिहरी जल विकास निगम को प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य दिये जाने पर विचार

44–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार टिहरी जल विकास निगम को प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का कार्य दिये जाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड थौलधार तल्ला उप्पू, उप्पू, सौड़, उप्पू मठ तथा उप्पू सिल्ला के ग्रामों को पूर्ण डूब क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने विषयक

45–श्री किशोर उपाध्याय एवं श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड थौलधार तल्ला उप्पू, उप्पू, सौड, उप्पू मठ तथा उप्पू सिल्ला उप्पू के निवासी उक्त ग्रामों को पूर्ण डूब क्षेत्र घोषित करने हेतु विगत 5 दिसम्बर, 2004 से आंदोलनरत हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त ग्रामों को पूर्ण डूब क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल कर रह रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

टिहरी बाँध परियोजना की पुनर्वास नीति के अनुसार विकास खण्ड थौलधार के ग्राम तल्ला उप्पू, उप्पू, सौड, उप्पू, मठ तथा उप्पू सिल्ला उप्पू आंशिक डूब क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं पुनर्वास नीति के अनुसार उक्त ग्रामों को पूर्ण डूब क्षेत्र की श्रेणी में लिया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार के भिल्डयाना बाजार को पूर्ण डूब क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने पर विचार

46–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार के भल्डियाना बाजार को पूर्ण डूब क्षेत्र में सम्मिलित किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

भल्डियाना बाजार टिहरी बाँध परियोजना की अंतिम डूब क्षेत्र रेखा अर्थात् आर०एल० 835 मी० से ऊपर स्थित होने के कारण पुनर्वास नीति के अनुसार डूब क्षेत्र में नहीं आता है जिस कारण भल्डियाना बाजार को डूब क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है।

47–पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

पी०पी०एस० श्रेणी के अधिकारियों की डी०पी०सी० उपरान्त पदोन्नति एवं डेपुटेशन में कार्य कर रहे आई०पी०एस० ऑफिसर्स

48—श्री नारायण पाल—

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पी0पी0एस0 श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति की जा रही है। वर्तमान में कितने आई0पी0एस0 ऑफिसर्स राज्य सरकार में डेपुटेशन में कार्य कर रहे हैं ?

क्या सरकार पी0पी0एस0 अधिकारियों की डी0पी0सी0 शीघ्र किये जाने के उपरान्त पदोन्नति करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

वर्तमान में उत्तरांचल में मात्र 02 अधिकारी श्री विजय भाटिया, आई0पी0एस0 1995 (उ0प्र0 संवर्ग) एवं श्री विजय साखरे, आई0पी0एस0 1996 (केरल संवर्ग) डेपुटेशन पर कार्य कर रहे हैं एवं श्री अभिनव कुमार, आई0पी0एस0 1996 (उ0प्र0 संवर्ग) राज्य गठन के समय से ही उत्तरांचल में ही कार्यरत हैं।

जी हाँ।

रिक्तियों के सापेक्ष यथाआवश्यकता विभागीय प्रोन्नति समिति बैठाकर पदोन्नति की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

49—श्री किशोर उपाध्याय—पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

ब्लॉक सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर स्थित सम्पूर्णानन्द कारागार शिविर की कुल भूमि एवं उक्त भूमि की फसल से वर्ष 2003 से 2005 तक प्राप्त राजस्व

50—श्री नारायण पाल—

क्या कारागार मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि ब्लॉक सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर स्थित सम्पूर्णानन्द कारागार शिविर की कितनी भूमि है तथा उक्त भूमि की फसल से वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 तक सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है?

क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ब्लॉक सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर स्थित सम्पूर्णानन्द कारागार शिविर की वर्तमान में कुल भूमि 2499.00 एकड़ है। शिविर ने वर्ष 2002—03 में 570.00 एकड़ में वर्ष 2003—04 में 883.00 एकड़ में फसल उत्पादित की गयी थी तथा वर्ष 2004—05 में 743.50 एकड़ में फसल बोयी गयी है, जिसके अनुसार वर्ष 2002—03 में रु0 2,00,760.00 तथा वर्ष 2003—04 में रु0 1,81,994.81 का शुद्ध लाभ हुआ। वर्ष 2004—05 का लाभ—हानि का आंकलन कृषि वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होगा।

जी हाँ।

ब्लॉक सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर स्थित सम्पूर्णानन्द कारागार शिविर की भूमि केन्द्रीय कारागार क्षेत्र व औद्योगिक आस्थान हेतु दिये जाने विषयक जानकारी

51—श्री नारायण पाल—

क्या कारागार मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि ब्लॉक सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर स्थित सम्पूर्णानन्द कारागार शिविर की भूमि केन्द्रीय कारागार क्षेत्र व औद्योगिक आस्थान हेतु दी गई है ?

यदि हाँ, तो कितनी भूमि दी गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधमसिंह नगर की भूमि में से केन्द्रीय कारागार के निर्माण हेतु 97.00 एकड़ तथा औद्योगिक आस्थान हेतु 1173.00 एकड़ भूमि दी गयी है।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धारचूला के ग्राम जुम्मा की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना एवं पुनर्गठन

52—श्री गगन सिंह—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धारचूला के ग्राम जुम्मा पेयजल योजना को बने 30 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, जो कि वर्तमान में भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पेयजल योजना का पुनर्गठन कब तक करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ। योजना अपनी आयु पूर्ण कर चुकी है। वर्ष 2004—05 की जिला योजना से योजना में अस्थाई रूप से जलापूर्ति चालू की गई है।

आगामी वर्ष की कार्ययोजना में उक्त पेयजल योजना का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 'चीला जल विद्युत निगम' चीला में 06 दुकानों से किराया न जमा कराये जाने पर राजस्व का नुकसान

53—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 'चीला जल विद्युत निगम' चीला में लगभग 06 दुकानों से किराया जमा न कराये जाने से विभाग को लाखों रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है ?

यदि हाँ, तो सरकार इन दुकानों को किराये पर उठाने हेतु दुबारा नीलामी करवायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत—

जी हाँ, उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 को इस कारण प्रतिवर्ष राजस्व का नुकसान हो रहा है।

जी हाँ, वर्तमान कब्जेदारों से दुकाने रिक्त कराने के उपरान्त नीलामी की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजस्व पुलिस सम्वर्गीय कर्मियों को महत्वपूर्ण दायित्वों के अनुरूप वेतनमान

54—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राजस्व पुलिस सम्वर्गीय कर्मी राजस्व निरीक्षक को इंस्पेक्टर, पटवारी को सब इंस्पेक्टर पुलिस एवं चपरासी को कांस्टेबल पुलिस के दायित्वों के साथ—साथ प्रशासनिक व्यवस्था, भूलेख एवं शासन के सभी महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन कराया जाता है ?

यदि हाँ, तो राजस्व पुलिस को दायित्वों के अनुरूप वेतनमान दिया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस सम्बन्धी कार्य के लिए राजस्व निरीक्षक को 300/— रु0 एवं पटवारी को 900/— रु0 तथा पटवारी व राजस्व निरीक्षक से सम्बद्ध अनुसेवक को 120/— रु0 प्रतिमाह की दर से प्रतिकर भत्ता दिया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य के आन्दोलनकारियों को दी गई सरकारी नौकरियों की सूची सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

55—श्री नारायण पाल—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य के आन्दोलनकारियों के लिए सरकार द्वारा अब तक कितने आन्दोलनकारियों को सरकारी नौकरियाँ दी गई है?

क्या सरकार सेवायोजित किए गए आन्दोलनकारियों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 225 आन्दोलनकारियों को नौकरियाँ दी जा चुकी हैं।

अब तक सेवायोजित किए गये आन्दोलनकारियों की सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(संलग्नक देखिये आगे नत्थी "ग" पृष्ठ 118–126)

56–श्री किशोर उपाध्याय–पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

टिहरी के पुनर्वासित परिवारों एवं दिये गये भूमिधरी अधिकार की माँग विषयक

57–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि नई टिहरी में कुल कितने परिवार पुनर्वासित किये गये हैं तथा इन पुनर्वासित परिवारों में से कितने परिवारों को भूमिधरी अधिकार दिये गये हैं ?

वर्तमान में कुल कितने परिवारों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने शेष हैं तथा इन्हें कब तक भूमिधरी अधिकार दे दिये जायेंगे ?

श्रीमती अमृता रावत–

नई टिहरी में 2612 परिवारों को पुनर्वासित कर लिया गया है, जिसमें पुरानी टिहरी शहर के पुनर्वासित भूमिधरों में से 675 परिवारों को भूमिधरी अधिकार दे दिये गये हैं।

वर्तमान में 1937 परिवारों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने शेष हैं। पुरानी टिहरी के नई टिहरी में पुनर्वासित भूमिधरों को उनके द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण करने पर भूमिधरी अधिकार तत्काल दिये जा रहे हैं।

टिहरी बाँध प्रभावित ग्रामीणों का समुचित पुनर्वास

58–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बाँध प्रभावित ग्रामीणों का समुचित पुनर्वास हो चुका है ?

यदि नहीं, तो कितने पुनर्वास के प्रकरण अभी तक शेष हैं तथा कब तक प्रभावितों को पुनर्वासित कर दिया जायेगा ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

लगभग 800 ऐसे विस्थापित जो आर0एल0 760 से ऊपर निवासरत हैं, के प्रकरण शेष हैं, जिन्हें माह अक्टूबर, 2005 तक पुनर्वासित किये जाने का लक्ष्य है।

जनपद टिहरी के नई टिहरी नगर निर्माण हेतु पुनर्वासित व्यवसायियों को प्रतिपूर्ति का भुगतान एवं उनके मानक

59–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के नई टिहरी नगर निर्माण हेतु ग्राम कुलणा, मोलधार एवं बौराड़ी के नई टिहरी में पुनर्वासित व्यवसायियों के प्रतिपूर्ति सहायता, दुकान साज–सज्जा का भुगतान कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो कितने व्यवसायियों को एवं किन मानकों के अनुसार (ग्रामीण/शहरी पुनर्वास) भुगतान किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्वास नीति में कुलणा, मोलधार एवं बौराड़ी के व्यवसायियों को प्रतिपूर्ति सहायता, दुकान साज–सज्जा का प्राविधान नहीं है।

प्रदेश के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवशेष 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता पेंशन में जोड़ कर दिया जाना

60–श्रीमती आशा देवी–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवशेष मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत जो मूल पेंशन पर जोड़ कर दिया जाना था, का भुगतान कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

दिनांक 9 नवम्बर, 2000 से पूर्व के पेंशनधारकों को यह भुगतान नहीं किया जा रहा है।

पुनर्गठन अधिनियम के प्राविधानों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराए जाने हेतु प्रकरण भारत सरकार को संदर्भित है।

प्रदेश के आश्रम पद्धति विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा, भोजन, छात्रवृत्ति एवं स्टेशनरी आदि में अनियमितता

61–श्री हरबंस कपूर–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि 2001–02 एवं 2002–03 में प्रदेश के आश्रम पद्धति विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा, भोजन, छात्रवृत्ति एवं स्टेशनरी आदि में भारी वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त वित्तीय वर्षों में निर्धारित धनराशि से कहीं अधिक धनराशि व्यय की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में नहीं है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों एवं छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों की संख्या

62–श्री हरबंस कपूर–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002–03 में प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कुल कितने छात्र थे ?

क्या सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो गयी है ?

यदि हाँ, तो कुल कितनी छात्रवृत्ति दी गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 2002–03 में प्रदेश में अनुसूचित जाति के 346933 तथा अनुसूचित जनजाति के 56949 कुल 403882 छात्र थे।

जी हाँ। सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर दी गई है।

कुल रुपये 1798.09 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कर्मचारियों के पंचम् वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सामूहिक जीवन बीमा की मासिक प्रीमियम की दरों का निर्धारण

63–श्री मदन कौशिक–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि राज्य कर्मचारियों को सामूहिक जीवन बीमा हेतु मासिक प्रीमियम की दरें निर्धारित की गई हैं ?

क्या सरकार द्वारा पंचम् वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़े वेतन–मान के अनुसार प्रीमियम की धनराशि भी बढ़ा दी गयी है ?

यदि हाँ, तो कितनी और कब से ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल मत्स्य विभाग में सहायक निदेशकों के रिक्त पद एवं उन पर नियुक्ति

64–श्री कैलाश शर्मा–

क्या मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल मत्स्य विभाग में सहायक निदेशकों के कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार सहायक निदेशकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्तमान विभागीय ढांचे के अनुसार मत्स्य विभाग, उत्तरांचल में वर्तमान में सहायक निदेशक के चार पद रिक्त हैं।

मत्स्य विभाग का पृथक विभागीय पुनर्गठन विचाराधीन है जो अभी अन्तिम नहीं हुआ है। विभागीय पुनर्गठन पर सहमति हो जाने के पश्चात् सहायक निदेशक के रिक्त पद पर नियुक्तियाँ की जानी सम्भव हो सकेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के नगरपालिका परिषद् क्षेत्रान्तर्गत पेयजल लाइनों का निर्माण एवं लक्ष्य

65–श्री प्रकाश पंत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के नगरपालिका परिषद् क्षेत्रान्तर्गत पेयजल लाइनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो निर्माण की अनुमानित लागत कार्य का लक्ष्य एवं लक्ष्य के अनुरूप प्रगति का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री महोदय सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

निर्माण कार्य की अनुमानित लागत रु0 358.37 लाख है, जिसके अन्तर्गत 35,086 कि0मी0 वितरण प्रणाली एवं तीन नग जलाशय निर्माण के लक्ष्यों के सापेक्ष माह फरवरी, 2005 तक 32.186 कि0मी0 पाईप लाइन एवं एक जलाशय का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजनान्तर्गत माह फरवरी, 2005 तक रु0 261.291 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

जी हाँ, विवरण संलग्न है।

(संलग्नक देखिए नत्थ ''घ'' आगे पृष्ठ 128 पर)

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में गुरना–गोगना मोटर मार्ग का निर्माण मानकों के अनुरूप न किये जाने की शिकायत पर सरकार की कार्यवाही

66–श्री प्रकाश पंत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में गुरना–गोगना मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन है ?

क्या उक्त मार्ग का निर्माण मानकों के अनुरूप न किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राजकीय महाविद्यालय, बड़कोट, उत्तरकाशी के भवन निर्माण हेतु भूमि का चिन्हीकरण एवं भवन निर्माण का आरम्भ

67–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मनेरी नामक स्थान में दिनांक 10 फरवरी, 2004 को उनके द्वारा राजकीय महाविद्यालय, बड़कोट के भवन निर्माण की घोषणा की गयी थी ?

क्या महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि चयन कर लिया गया है ?

यदि हाँ, तो भवन निर्माण कब से प्रारम्भ कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

भूमि चयन की कार्यवाही गतिमान है।

यथा समय वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत भवन निर्माण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल मत्स्य विभाग के पुनर्गठन पर विचार

68–श्री कैलाश शर्मा–

क्या मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार उत्तरांचल में मत्स्य विभाग का पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

प्रकरण शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना किसानों को चालू पेराई सत्र का चीनी मिलों पर बकाया धन एवं उनका भुगतान

69–श्री किशोर उपाध्याय एवं श्री मदन कौशिक–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गन्ना किसानों का विभिन्न चीनी मिलों पर चालू पेराई सत्र का कितना धन बकाया है तथा बकाया का भुगतान कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

किसानों का विभिन्न चीनी मिलों पर चालू पेराई सत्र 2004–05 में दिनांक 22–3–2005 तक पेरे गये गन्ने पर देय गन्ना मूल्य के रूप में रु0 5271.55 लाख रु0 भुगतान किया जाना अवशेष है।

अवशेष गन्ना मूल्य के शीघ्र भुगतान के प्रयास किये जा रहे हैं।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के नाग गाँव में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन एवं ट्रांसफार्मर

70–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के नाग गाँव में वर्ष 2001 से विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त व ट्रांसफार्मर जला हुआ है?

क्या यह सत्य है कि उपभोक्ताओं द्वारा विभाग से विद्युतीकरण बहाली हेतु कई बार लिखित अनुरोध किया जा चुका है?

यदि हाँ, तो उक्त गाँव में कब तक विद्युत बहाली की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ साथ ही यह भी इंगित करना है कि गाँव में केवल 05 परिवारों द्वारा विद्युत संयोजन लिया गया था जिनके द्वारा बिलों का भुगतान न करने के कारण विद्युत आपूर्ति वर्ष 2001 से बन्द थी। सम्बन्धित बकायेदारों द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

जी हाँ।

अप्रैल, 2005 तक। साथ ही यह भी प्रतिबन्ध है कि सम्बन्धित बकायेदारों द्वारा लम्बित बिलों का भुगतान तत्काल कर दिया जायेगा एवं ग्रामीण विद्युतीकरण की नयी परिभाषा के अनुसार कम से कम 10 प्रतिशत परिवारों द्वारा विद्युत संयोजन लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य की भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुरूप जनपदवार/विकास खण्डवार विकास के मॉडल का स्वरूप

71–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुरूप जनपदवार/विकास खण्डवार विकास के मॉडल का कोई स्वरूप तैयार किया गया है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चूँकि ग्राम्य विकास विभाग की अधिकांश योजनायें केन्द्र पोषित योजनायें हैं तथा उनका क्रियान्वयन केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जाता है।

राज्य में चिन्हित भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन योजना पर विचार

72–श्री प्रकाश पंत–

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि राज्य में कितने भूमिहीन व्यक्ति चिन्हित किये गये हैं ?

क्या प्रत्येक भूमिहीन को भूमि आवंटन की योजना विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

ी नारायण दत्त तिवारी–

वर्तमान में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उत्तरांचल में भूमिहीन व्यक्तियों की ख्या 1,42,624 है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, 1895 के अन्तर्गत एवं भूमि प्रबन्धक समिति से अनुमोदित स्तावानुसार भूमिहीनों को भूमि आवंटन करने की व्यवस्था पूर्व से विद्यमान है।

जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट स्थित राजकीय महाविद्यालय को शिक्षा विभाग में हस्तान्तरण करने का जनप्रतिनिधियों का प्रस्ताव

3–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट में स्थापित राजकीय महाविद्यालय, बड़कोट, स्थापना वर्ष से ही आई0टी0आई0 छात्रावास संख्या दो में चल रहा है ?

क्या भवन हस्तान्तरण हेतु महाविद्यालय, बड़कोट द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को पत्रांक 117/2001–2002, दिनांक 8–12–2001 द्वारा प्रस्ताव, भवन का नक्शा तथा जनप्रतिनिधियों की संस्तुति सहित प्रेषित किया गया था ?

यदि हाँ, तो उसकी प्रगति क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में वरूणावत ट्रीटमेन्ट कार्य में लगी कम्पनियों को भुगतान की गई धनराशि का विवरण

74–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वरूणावत ट्रीटमेन्ट कार्य में लगी कम्पनियों को कितनी–कितनी धनराशि का भुगतान अभी तक किया जा चुका है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वरुणावत पर्वत उपचार कार्य हेतु श्रीग कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0, देहरादून को अब तक रु0 11,12,26,318/– की धनराशि एवं टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन को उपचार कार्य के कन्सल्टेंसी हेतु रु0 38,35,000/– की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

जनपद टिहरी गढ़वाल की चम्बा धनौल्टी–मसूरी फल पट्टी योजना में जमीनों की अवैधानिक खरीद फरोख्त की जाँच हेतु बनायी गयी समिति व उसकी रिपोर्ट

75–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल की चम्बा–धनौल्टी मसूरी फल पट्टी योजना में जमीनों की अवैधानिक खरीद–फरोख्त की जाँच हेतु कोई समिति बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल से जाँच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 14 वर्ष व 24 वर्षों की सेवा के उपरान्त प्रोन्नति तथा वेतनमान का निर्धारण

76–श्री हरबंस कपूर–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 14 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रथम प्रोन्नति तथा 24 वर्ष की सेवा उपरान्त द्वितीय प्रोन्नति देने का कोई वेतनमान निर्धारित किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

शासनादेश संख्या 1014/01वित्त/2001, दिनांक 12 मार्च, 2001 द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया। 14 वर्ष की सेवा में जो नियमित हो चुके हैं, वैयक्तिक रूप से पहला प्रोन्नति वेतनमान तथा 24 वर्ष पर दूसरा प्रोन्नति वेतनमान देय है, कि जिस संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

शासनादेश संख्या 1049/वित्त अनुभाग 03/2003, दिनांक 16–10–2003 द्वारा रु0 2550–3200 के वेतनमान में नियुक्त कर्मचारी को 14 वर्ष पर जिस संवर्ग/पद जिनके लिये प्रोन्नति का कोई पद नहीं है उनको इस वेतनमान का अलग वेतनमान रु0 2610–3540 देय है तथा 24 वर्ष पर रु0 2650–4000 के वेतनमान को संज्ञान में न लेते हुए रु0 2750–4400 अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी में गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्तर्गत लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम तथा जोंक में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाये जाने पर विचार

77–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्तर्गत लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रम तथा जोंक में सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो क्या प्रदेश सरकार सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट अविलम्ब बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ, सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के प्राक्कलन स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 1.00 बजे पुनः आरम्भ हुई.

होली मिलन समारोह में प्रशासन द्वारा धिस्सूपुरा में नेता प्रतिपक्ष को पुलिस कस्टडी में रखे जाने की घटना को नियम 311 में पुनः उठाये जाने का प्रयास

(भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी बात कहने लगे।)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने जो 311 में सूचना दी है, वह बहुत ही गम्भीर मामला है, कृपया उसे सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें। मैंने पहले भी कहा है कि इसे कल नियम 56 में सुन लूँगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है, श्रीमन्, नेता प्रतिपक्ष के साथ यह घटना हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग यह परम्परा बना रहे हैं, सूचना आप 311 में देते हैं और बाद में नियम 56 में सुनने के लिए कहते हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, नियम 56 में ही सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

(व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक, श्री हरबंस कपूर, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री अनिल नौटियाल, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, डा0 नारायण सिंह जंतवाल तथा श्री नारायण पाल की कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूँ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत श्री मातबर सिंह कंडारी, नेता प्रतिपक्ष ने श्री राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन प्रस्ताव पर दिये गये मुद्दों पर सरकार द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। सूचना औचित्य की परिधि में नहीं आती है। इसलिए मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

उत्तरांचल विनियोग विधेयक (2004–2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2005

1–सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक (2004–2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का पाँचवा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल नदी घाटी (विकास एवं प्रबन्ध) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल नदी घाटी (विकास एवं प्रबन्ध) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानो में) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का नवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 जनवरी, 2005 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का बारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005

सचिव, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 फरवरी, 2005 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

श्री मातबर सिंह नेता प्रतिपक्ष की गिरफ्तारी/रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष–

जिलाधिकारी, हरिद्वार ने अपने फैक्स सन्देश संख्या 11/05, दिनांक 27 मार्च, 2005 द्वारा सूचित किया है कि नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के आदेशानुसार श्री मातबर सिंह कण्डारी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा को धारा 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिनांक 25 मार्च, 2005 को अपराह्न 17:15 बजे गिरफ्तार किया गया तथा उसी दिन 25 मार्च, 2005 को अपराह्न 21:30 बजे रिहा कर दिया गया।

उत्तरांचल विधान सभा की आश्वासन समिति (2004–2005) का तृतीय प्रतिवेदन

(सभापति, आश्वासन समिति) श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा की आश्वासन समिति (2004–2005) का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

उत्तरांचल विधान सभा की आश्वासन समिति (2004–2005) का चतुर्थ प्रतिवेदन

(सभापति, आश्वासन समिति) श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा की आश्वासन समिति (2004–2005) का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड, भीमताल के अन्तर्गत ग्राम सभा आडूखान (बेलुआखान) में ट्रैक्टर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

*श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत ग्राम सभा आडूखान (बेलुवाखान) में ट्रैक्टर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री उमेश मिश्रा एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड, भीमताल के अन्तर्गत ग्राम सभा बेलुवाखान का विभाजन कर दो ग्राम सभाएं बनाये जाने के सम्बन्ध याचिका

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद नैनीताल के विकास खण्ड में भीमताल के अन्तर्गत ग्राम सभा बेलुवाखान का विभाजन कर दो ग्राम सभाएं बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री उमेश मिश्रा एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग 60वां वृत्त लैन्सडाउन के अधीन गैन्डखाल–आमसैण तथा कड़घर मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद पौड़ी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग 60वां वृत्त लैन्सडाउन के अधीन गैन्डखाल–आमसैण तथा कड़घर मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री ठाकुर सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग स्थाई खण्ड अस्कोट के अधीन ठानीधार से रिमझिम बैंक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग स्थाई खण्ड अस्कोट के अधीन ठानीधार से रिमझिम बैंक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री ब्रहम सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद चमोली के विकास खण्ड, पोखरी में आई0टी0आई0 खोलने के सम्बन्ध में याचिका

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में आई0टी0आई0 खोलने के सम्बन्ध में" श्री मनोज सती एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 मार्च, 2005 की बैठक में दिनांक 23 मार्च, 2005 से दिनांक 30 मार्च, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

23 बुधवार — बैठक नहीं होगी

24 गुरुवार से 26 शनिवार तक — होली अवकाश (बैठक नहीं होगी)

27 रविवार — रविवार (बैठक नहीं होगी)

28 सोमवार —

(1) वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

(2) नियम 103 के प्रस्ताव–

(क) श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत नियम 103 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा:–

"संविधान के अनुच्छेद–323 के खण्ड (2) के अधीन दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किये गये उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर माननीय सदन द्वारा चर्चा की जाये।"

(ख) काजी निजामुद्दीन, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिनांक 20 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य से बहने वाली नदियों के किनारे ऊँचे पहाड़ों पर स्थित ग्रामीण अंचलों में जल की आपूर्ति हेतु लिफ्ट वाटर स्कीम बनाई जाए।"

29 मंगलवार **विधायी कार्य–**

उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2005 के विचार एवं पारण हेतु तिथि निर्धारण पर विचार। (15 मिनट)

2– वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

30 बुधवार (1) अनुदान संख्या 11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा एवं मतदान।

(2) अनुदान संख्या 16, श्रम और रोजगार विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा एवं मतदान।

(3) अनुदान संख्या 12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा एवं मतदान।

(4) अनुदान संख्या (1)–08, आबकारी विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा एवं मतदान।

(5) (2)–26 पर्यटन विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा एवं मतदान।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री हरक सिंह रावत से सम्बन्धित प्रकरण में षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करने हेतु जाँच की घोषणा

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री हरक सिंह रावत जी ने स्वयं तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने दिनांक 21 व 22 मार्च, 2005 को श्री हरक सिंह रावत जी से सम्बन्धित प्रकरण षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करने हेतु जाँच की माँग की है। माननीय सदस्य श्री हरक सिंह रावत जी द्वारा योजित एक परिवाद देहरादून के माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय में विचाराधीन परिवाद से भिन्न पहलुओं पर माननीय सदस्यों की सदन में लगातार की जा रही माँग को स्वीकार करते हुए जाँच की घोषणा करती हूँ।

नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपके श्रीमुख से सदन को जानकारी प्राप्त हुई कि जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा अपने फैक्स संदेश 11/05, दिनांक 27 मार्च, 2005 के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि 25 मार्च, 2005 माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय श्री मदन कौशिक को गिरफ्तार किया। श्रीमन्, यह जो फैक्स संदेश 27 मार्च, 2005 को अर्थात् कल आपके कार्यालय को प्राप्त हुआ है, मैं इस सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का प्रश्न इस सदन के अन्दर आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। मैं व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ। हमारे पास जो कार्य संचालन नियमावली है, इस नियमावली का प्रदेश के अन्दर कितना अनुपालन हमारे अधिकारीगणों द्वारा किया जा रहा है, इसका स्पष्ट उदाहरण नियमावली के नियम 80 में उल्लिखित किया गया है कि दण्डाधिकारी द्वारा सदस्यों के बन्दीकरण निरोध आदि की अध्यक्ष को सूचना–जब कोई सदस्य किसी दोषारोपण या किसी दण्डेय अपराध के लिए बन्दी किये जायं या उन्हें किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया जाय या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाय, तो यथास्थिति न्यायाधीश या दण्डाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी प्रथम अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोष–सिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना शीघ्रता के साथ अध्यक्ष को देगा।

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, को जानकारी देंगे यह व्यवस्था इस नियम के अन्तर्गत है और इसकी रिहाई की सूचना नियम 81 के अन्तर्गत है। मान्यवर, प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत दिये गये परफार्मे के अनुसार इसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी को सूचित करायेंगे। मान्यवर, नियम 82 के अन्तर्गत क्या कार्यवाही हुई। मान्यवर, पहले फैक्स मशीन नहीं रही होगी, परन्तु वर्तमान में यह सुविधा है। मान्यवर, यदि घटना 25 मार्च, 2005 को 17:15 मिनट पर घटित हुई। वर्तमान में इलैक्ट्रॉनिक का जमाना है। 25 तारीख की सूचना को माननीय अध्यक्ष जी, सदन के सम्मुख 28 तारीख को रख रहे हैं। मान्यवर, इससे यह जाहिर होता है कि प्रशासन और सूचना तंत्र कितना गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष–

इसकी सूचना तुरन्त हमारे पास आनी चाहिए थी, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखा जाय।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं इनमें से श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री हरबंस कपूर तथा डा0 नारायण सिंह जन्तावाल की सूचना को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम 311 के अन्तर्गत हमारी जो सूचना थी, उसको नियम 56 के अन्तर्गत सुनने की आज्ञा दी। (व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है कि एक विषय नियम 311 के अन्तर्गत हमने उठाया था जिस पर आपने कृपा पूर्वक यह विनिश्चिय दिया था कि कल इस विषय को लिया जायेगा। मान्यवर, दूसरे दिन विधान सभा की कार्यवाही नहीं चली, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विषय को भी लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जाइये, आपके विषय को कल ले लेंगे।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मान्यवर, 23 तारीख को मुझे एक पत्र मिला, इस पत्र के अनुसार मुझे धिरसूपुरा में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। मान्यवर, वहाँ पर भारतीय जानता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री पुष्कर सिंह धामी को भी आमंत्रित किया गया था। मान्यवर, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैंने 25 मार्च, 2005 को नैनीताल से प्रस्थान किया। मान्यवर, मुझे 5 बजकर 15 मिनट पर पुलिस हिरासत में रखा गया, मगर मैं 4 बजे चिड़ियापुर में आ गया था। मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया गया। मान्यवर, एस0पी0 सिटी श्री जोशी द्वारा मुझे पुलिस द्वारा घसीटने का आदेश दिया गया, मैंने किसी तरह से अपने को छुड़ाया।

मान्यवर, मेरी गिरफ्तारी की सूचना से श्री मदन कौशिक, श्री राकेश एवं श्री मयंक जी को भी गिरफ्तार किया गया। मान्यवर, सांय चार बजे से लेकर रात्रि 11.30 बजे तक पुलिस कस्टडी में रखा गया। मान्यवर, आखिर मेरा कसूर क्या था, क्या मैंने कोई अपराध किया था। मान्यवर, मैंने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि आप मुझे बतायेंगे कि कोई सरकार द्वारा आदेश दिया गया, मगर कोई आदेश उनके पास नहीं था और इसके बाद भी मुझे घसीटा गया और होली समारोह में नहीं जाने दिया गया। इसके साथ ही साथ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री पुष्कर सिंह धामी को पुलिस की गाड़ी में रखा गया और जिस गाड़ी में श्री पुष्कर सिंह धामी को रखा गया, उस गाड़ी को जला दिया गया, तो क्या श्री धामी को जलाने का षड्यंत्र था। मान्यवर, धिरसूपुरा के प्रधान श्री अब्दुल सरन से मैंने बात की कि मैं इस कार्यक्रम में आना चाहता हूँ तो सूचना दी कि आप आयें और होली मनायें और होली के बाद 15–20 मिनट का समय मदरसे में दें।

मान्यवर, यह विषय तात्कालिक है, यह घटना लोकमहत्व की है, तात्कालिक इसलिए कह रहा हूँ कि यह परसों घटना हुई है और लोकमहत्व का इसलिए है कि सारे भारत में होली को उल्लास के साथ मनाते हैं और शासन प्रशासन ने वहाँ पर ढोल बजाने के लिए मना कर दिया। होली जलाने और खेलने के लिए मना कर दिया। मान्यवर, अगर देश में किसी त्यौहार को मनाने के लिए सरकार षड्यंत्र रचती है तो यह

दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी सरकार के पक्ष से जवाब आयेगा कि वहाँ पर दंगा होने की सम्भावना थी। मान्यवर, वहाँ पर गढ़वाल मण्डल के आयुक्त श्री सुभाष कुमार जी गये, ऐसे अधिकारी की मैं प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने वहाँ के प्रधान श्री अब्दुल सरन को पूछा कि यहाँ पर ढोल बजाने में आपको आपत्ति है, तो माननीय प्रधान जी ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, फिर श्री सुभाष जी ने कहा कि होली का दहन होगा तो क्या आपको आपत्ति है तो उन्होंने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है, तो मेरा कहना है कि जब वहाँ के मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि हिन्दू भाई होली के त्योहार को मनायें, ढोल बजायें तो क्या कारण थे कि लक्सर के एस0डी0एम0, डी0एम0, एस0पी0 बाधा डाल रहे थे, अर्थात् मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि यदि मुझे वहाँ पर जाने दिया होता, यदि श्री पुष्कर सिंह धामी को जाने दिया होता तो इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती और इसका परिणाम यह हुआ कि शासन और प्रशासन की दोषपूर्ण नीति के कारण पुलिस की जीप, मैटाडोर, पी0ए0सी0 की गाड़ी जला दी गई, माँ–बहनों के साथ बदसलूकी हुई, तीन आदमियों को जेल भेज दिया गया, अर्थात् शासन और प्रशासन ने स्वयं दंगा भड़काने का प्रयास किया।

मान्यवर, यह दुःखद है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, मुझे किस अपराध के कारण रोका गया। मान्यवर, यह हाल है। प्रदेश की सरकार क्या करना चाहती है, प्रशासन क्या करना चाहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह लोक महत्व का प्रश्न है, अविलम्बनीय है और तात्कालिक है। इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, यह इतना गम्भीर विषय है कि इसे मैं चार भागों में बताना चाहता हूँ धिस्सूपुरा, धनपुरा, शेरूपुर और चिड़ियापुर। इस प्रकरण से इन गाँवों का सीधा सम्बन्ध है। धिस्सूपुरा वह है जहाँ पर होली का आयोजन होना था। मान्यवर, 1994 में होली के पर्व को लेकर वहाँ पर झगड़ा हुआ और वहाँ पर एक हत्या भी हो गई थी, तब से होली के पर्व पर वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। मान्यवर, पिछले बार धिस्सूपुरा और धनपुरा में होली मनाने के लिए प्रतिबन्धित किया गया, वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं, जो सी0ओ0 हैं, उन्होंने 10 दिन पहले घोषणा की कि होली हर्षोल्लास से नहीं बल्कि अपने घर से निकल कर होलिका दहन कर दिया जाये और इससे वहाँ के लोगों में प्रतिक्रिया हुई। मान्यवर, उन्होंने एस0एस0पी0 और डी0आई0जी0 और अन्य उच्च अधिकारियों के सामने अपनी बात को रखी।

मान्यवर, धिस्सूपुरा जो गाँव है, वहाँ पर 80 प्रतिशत मुस्लिम और 20 प्रतिशत हिन्दू हैं। धनपुरा में भी इसी तरह हैं। मान्यवर यह अजीब स्थिति है कि इस विषय को पूरी तरह से साम्प्रदायिक दंगे की सम्भावना की नजर से देखा जा रहा है। मान्यवर, एक भी मुस्लिम भाई ने यह नहीं कहा कि होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जायेगा। मुस्लिम भाईयों ने कहा कि होली मनाईये। मान्यवर, कण्डारी जी से प्रधान की बात हुई और कोश्यारी जी से उनकी बात हुई और कोश्यारी जी ने डी0आई0जी0 से बात

की। मान्यवर, एक सुनियोजित ढंग से सी0ओ0 और एस0ओ0 ने प्रतिबन्धित किया कि होली का पर्व नहीं मनायेंगे। मान्यवर, वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, उस कार्यक्रम को वहाँ के हिन्दू और मुस्लिमों ने इसे मनाने की पूरी तरह योजना बनायी और वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं थी कि दंगे होते। मान्यवर, वहाँ से दो–तीन किलोमीटर दूर घेरूपुर में उन्हें रोका गया और कण्डारी जी को चिड़ियापुर में रोक दिया गया।

मान्यवर, जो धिस्सूपुरा में धरने पर बैठे थे, उन पर लाठी डंडे बरसाये गये, 100 राउण्ड गोलियाँ भी चली होंगी। मान्यवर, और वे सारे लोग, 400–500 महिलाएं धरने पर बैठ गयीं और उन्होंने कहा कि यदि हमें हर्षोल्लास के साथ होली नहीं मनाने दी जायेगी तो हम होली नहीं मनाएंगे। मान्यवर, रात के 12 बजे प्रशासन ने होली का दहन कर दिया। यह खबर फैलते ही उसके आस–पास के जो गाँव थे, घेरूपुर, धनपुरा और अन्य गाँव वालों ने ऐलान कर दिया कि अब हम होली का दहन नहीं करेंगे। स्थिति बहुत ही अजीब हो गयी, चप्पे–चप्पे पर पुलिस लगा दी गयी। इसके बाद माननीय प्रकाश पंत जी से, माननीय कोश्यारी जी से मेरी बात हुई। इन्होंने उच्च अधिकारियों से बात की। मान्यवर, 4–5 साल से यहाँ पर होली का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार प्रशासन ने जबरदस्ती की सख्ती कर रखी थी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सारी बातें आ चुकी हैं, कृपया समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब तक पूरी बात नहीं आ जाती है (व्यवधान) इसमें सच्चाई आनी चाहिए। शाम के समय डी0आई0जी0, गढ़वाल से फोन पर 5–6 बार मेरी बात हुई। मैंने उनसे कहा कि वहाँ पर होली का पर्व मनाया जा रहा है। मान्यवर, एक बजे के करीब मैं 12 किलोमीटर पैदल चलकर वहाँ पहुँचा। कमिश्नर और डी0आई0जी0 की उपस्थिति में मेरी ग्राम प्रधान से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है कि होली का पर्व ढोल–नागाडों के साथ मनाया जाये। मान्यवर, प्रशासन द्वारा वहाँ पर साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गयी। यह बहुत ही गम्भीर विषय है, तात्कालिक है। मैं इस विषय पर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस सूचना पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं।

*श्री चन्द्रशेखर–

मान्यवर, ग्राम धिस्सूपुरा में होली का त्यौहार मनाने की जहाँ तक बात है तो इस सम्बन्ध में प्रधान का कहना है कि उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या हुआ जब जनता को प्रताड़ित किया गया, उसे मारा–पीटा गया तो जनता इधर–उधर हो गयी और लोग धरने पर बैठ गये। डी0एम0 और एस0पी0 से वार्ता होती रही तो वहाँ पर क्या हुआ, डी0एम0 और एस0एस0पी0 बोले कि होली हमने जलवा दी है। तो मैंने कहा कि होली जलवा दी है या जला दी है। लेकिन होली नहीं जली थी, बल्कि होली प्रशासन द्वारा जला दी गयी थी जबकि एस0एस0पी0 भी यही कहते रहे कि होली हमने जलवा दी है। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ हमारे विधान सभा क्षेत्र में कलियर एक स्थान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है यहाँ पर 5 प्रतिशत हिन्दू रहते हैं और 95 प्रतिशत मुसलमान रहते हैं, लेकिन उनके बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरे भी इस सूचना पर हस्ताक्षर हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी कहेंगे तो क्षेत्रीय विधायक जी भी बोल सकते हैं, लेकिन जिन विधायकों के सूचना पर हस्ताक्षर हैं, उन्हें तो बोलने का अवसर मिलना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको तो 27 साल का अनुभव है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, 2 बिन्दु छूट गये हैं, उन्हीं को बताना चाहता हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय अध्यक्ष जी को सदन चलाने दें।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें, मैं सुन रहा हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, सदन तो माननीय अध्यक्ष ही चलाते हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में कोई दखल नहीं दे सकता है।

*श्री तसलीम अहमद–

मान्यवर, मैं वहाँ का क्षेत्रीय विधायक हूँ, मैं वहाँ गया था, आप मुझे तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

तसलीम अहमद जी, आप कृपया बैठ जाये।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं समय की बचत के लिए बहुत ज्यादा नहीं बोलूँगा, संक्षिप्त में अपनी बात रखूँगा। मान्यवर, यह स्पष्ट हो चुका है कि यह हिन्दू और मुसलमान वाली बात नहीं है। मैं अपने आप को माननीय कण्डारी जी और मदन कौशिक जी से भी सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, वहाँ के ग्राम प्रधान और मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि होली होनी चाहिए, लेकिन होली नहीं होगी, ढोल नहीं बजेगा। यह किसने किया, यह जाँच का विषय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। दूसरा यह बिन्दु है कि वहाँ पर लोगों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज हुए हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और कई लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा है और यहाँ तक दबाव बनाया जा रहा है कि सदन में यह बात न उठे।

मान्यवर, जिसे देवभूमि कहा जाता है हमारे प्रदेश को उसमें इस तरह की घटनायें होंगी ? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ क्यों चले गये। हम गये थे, मान्यवर, आप भी अपने क्षेत्र में होली मिलने गये होंगे, सत्ता पक्ष के लोग भी गये होंगे। अभी हमें होली मिलन में लखनऊ जाना है वहाँ पर बुलाया गया है, सत्ता पक्ष के लोगों को भी लखनऊ में बुलाया गया होगा, अभी 3 तारीख को दिल्ली में होली मिलन है हम वहाँ भी जायेंगे। तो क्या इसे भी शासन की तरफ से साम्प्रदायिक रूप में दिया जायेगा ? यह बहुत विचारणीय बिन्दु है श्रीमन्। मान्यवर, हमारा कहना यह है कि जो भी मुकदमें वहाँ पर दर्ज हुए हैं, उन्हें वापस लिया जाय, जो बन्द हैं, उन्हें रिहा किया जाय और इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ।

श्री हरिदास—

मान्यवर, हमारे दल के माननीय सदस्य भी इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, आप अगर नियम 56 में देते तो सुन लेते। आप कृपया बैठ जांय।

शहरी विकास मंत्री (श्री नव प्रभात)—

मान्यवर, जब संविधान ने पंथनिरपेक्षता की परिकल्पना की, तभी से कुछ ताकतें इन चीजों को तोड़ना चाहती हैं। और जिस गाँव का जिक्र किया गया यह उसी संवेदनशीलता का विषय बना। यह वर्ष 1981 से एक ऐसा स्थल बन गया जिसे तत्कालीन प्रशासन ने संवेदनशील विवादित स्थल की सूची में रखा। वह संवेदनशील था वर्ष 1981 से 1990 में पुनः इसी गाँव में मोहर्रम के अवसर पर विवाद हुआ और उसमें जो परगनाधिकारी थे उनसे मारपीट भी हुई और एक सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुआ था, 1994 में भी वहाँ पर एक विवाद हुआ था। मान्यवर, इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिसको अभी माननीय कौशिक जी ने स्वयं स्वीकार किया है। मान्यवर, 56 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी हुए और इस मौके पर लापरवाही बरतने के आरोप में 1994 में तत्कालीन उप निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी और उप जिलाधिकारी, इन तीन व्यक्तियों को निलम्बित किया गया। मान्यवर, 1984 से 1993 तक लगातार इस क्षेत्र में ऐसे तत्व सक्रिय रहे जो विवाद भड़काने की चेष्टा करते रहे।

मान्यवर, 1981 से 1994 तक चाहे जो भी सरकार रही हो, उसने इस क्षेत्र में कठोरतम कार्रवाई करके शान्ति को कायम रखा। मान्यवर, इस वर्ष भी मुहर्रम के अवसर पर ढोल बजाने को लेकर वहाँ विवाद होने की सम्भावना थी लेकिन मुहर्रम शान्ति पूर्वक मनाया गया। होली के लिए भी वहाँ पर एक शान्ति समिति गठित की गयी और सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह तय हुआ। मान्यवर, यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर

दूँ कि यह मामला घिस्सूपुरा का है लेकिन फीरपुर के निवासी द्वारा होली जलाने के कार्ड बंटवाये गये। मान्यवर, हम भी होली मिलन करवाते हैं, उसमें भी भाग लेते हैं। लेकिन होली मिलन का काम बाद में होता है। मान्यवर, होली जलाने के कार्ड बांटने के पीछे कोई न कोई मंशा अवश्य रही।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या निमंत्रण कार्ड बंटवाने में कोई आपत्ति है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, निमंत्रण कार्ड बंटवाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मान्यवर, 1994 में वहाँ पर दो व्यक्तियों ने होली की संध्या पर आत्मदाह करने की धमकी दी थी, इनमें नाम खूब सिंह और सुदेश कुमार हैं। मान्यवर, इसी आशंका से पूरे जनपद में धारा 144 लागू की गयी। माननीय नेता प्रतिपक्ष को ससम्मान अवगत कराया गया कि आपका जो प्रोग्राम है, उसको स्थगित कर दें क्योंकि घिस्सूपुरा अति संवेदनशील बना हुआ है। इसलिए आप होली मिलन समारोह में उपस्थित न हों।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, ऐसा कोई पत्र मुझे नहीं मिला है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 24 तारीख को यह पत्र आपको भेजा गया है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह [XXX] है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, [XXX] शब्द असंसदीय है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं इसे संशोधित कर देता हूँ यह सत्य से परे है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वहाँ पर 24 तारीख को एस0डी0एम0 को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया और वहाँ पर पी0ए0सी0 की तैनाती की गयी और सशस्त्र गार्ड लगाये गये। जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन वहाँ पर 100–150 लोगों की भीड़ ने तीन वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा वहाँ पर अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को चोट लगी। मान्यवर, अभी आपने पूछा था कि आपको किस धारा में निरुद्ध किया गया, तो मान्यवर, मैं आपको बता दूँ कि आपको धारा 151 में निरुद्ध किया गया ताकि वहाँ पर स्थिति अति संवेदनशील न हो जाय।

नोट :– [XXX] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, क्या मेरे जाने से माहौल के संवेदनशील होने की आशंका थी ? क्या वहाँ पर कोई आन्दोलन होने जा रहा था ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, होने की सम्भवना थी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(श्री प्रकाश पंत जी, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी, श्री मदन कौशिक जी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी तथा श्रीमती आशा देवी जी द्वारा अपनी–अपनी बात को जोर–जोर से कहने का प्रयास करने लगे जिस कारण सदन में घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सारी वकालत इस बात की है कि मुकदमें फर्जी मान लिये जाएं। मुकदमें वापस से लिये जाएं।

(माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट जी, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी द्वारा अपनी बात को जोर–जोर से कहने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, फर्जी मान लिये जाएं नहीं बल्कि ये मुकदमें फर्जी हैं। मैंने मान लिये जाएं नहीं कहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, विपक्ष में माननीय सदस्यों द्वारा जो बातें नहीं गई उन सब बातों को हम लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना किन्तु जब सरकार अपना पक्ष रख रही है तो विपक्ष के माननीय सदस्य बात को नहीं सुन रहे हैं। मुझे इस बात पर आपत्ति है। आप सरकार के किसी पक्ष से सहमत न हों यह बात दूसरी है, किन्तु आप तो सरकार का पक्ष ही सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हमारे झूठ शब्द से आपत्ति थी तो हमने भाषा में सुधार कर उसे असत्य कह दिया। किन्तु जब माननीय सदस्य द्वारा बात कही गई और हमने उस पर एतराज किया तो हमारी बात गलत हो गई। मान्यवर, यह होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व का मामला है। इस मामले को हँसी–खुशी हल करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि होली जैसे पर्व

को गोली से चलाना चाहते है। वह इस मामले को उलझाना चाहते हैं। यह हम पर आरोप लगा रहे हैं। जिससे यह मामला उलझ जाए। माननीय सदस्य यह कह सकते थे कि हमारे अधिकारियों ने गलती की हैं। जिस कारण हमने वहाँ पर बाद में कमिश्नर को भेजा तथा डी0आई0जी0 को भेजा। वहाँ पर पहले अधकचरे अफसर बिठाये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने उन अधकचरे अफसरों से कह रखा था माहौल बिगाड़ने के लिए। वरना वहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आप लोगों की जानकारी में ही विरोधाभास हैं। अभी आपने कमिश्नर की प्रशंसा की है। जो आपने अभी कहा है मैं उसे शब्दशः तो नहीं दोहरा सकता हूँ। आप कार्यवाही देख लें।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, कौशिक जी ने कहा कि सरकार साम्प्रदायिक उन्माद फैलाना चाहती है, जो अधिकारी थे वे साम्प्रदायिकता का वातावरण फैलाना चाहते थे। मान्यवर, ऐसा नहीं है वे अधिकारी 1981 के जी0ओ0 के तहत कार्य कर रहे थे।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा ... (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत तथा श्री हरबंस कपूर जी द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा निवेदन है कि हमने एस0डी0एम0 लक्सर की गतिविधियों को गलत बताया, हमने एस0पी0 सिटी की गतिविधि को गलत बताया। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत ....

(घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य केवल माननीय मातबर सिंह कण्डारी को छोड़कर अपनी–अपनी बात एक साथ कहने लगे– यह सरकार दंगा फैलाना चाहती है, इसलिए हम सदन का बहिर्गमन करते हैं। और सदन से बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में वापस आ गये।)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी में प्रसिद्ध तीर्थ धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के अलावा गौमुख, डोडीताल, नचिकेता ताल, कुश कल्याण, दयारा धिनाड़ा, हरकी दून, बन्दरपूँछ, बैलक जौराई, साहसिक अभियान व पर्वतारोहण के विभिन्न पीक्स विद्यमान हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में तीर्थयात्री व पर्यटक आते हैं, जिसमें कई हजार विदेशी पर्यटक होते हैं। मान्यवर, गंगोत्री–यमुनोत्री तीर्थ धामों के अलावा विभिन्न पर्यटक व धार्मिक स्थलों में जाने व शहर उत्तरकाशी के आसपास के दर्शनीय स्थलों के भ्रमण/दर्शन के लिए तीर्थयात्री, पर्यटक व विदेशी पर्यटक उत्तरकाशी शहर में प्रवास करते हैं। यहाँ पर विदेशी पर्यटकों को काफी असुविधा होती है, उन्होंने बताया कि हमें उत्तरकाशी शहर और वहाँ के आसपास के स्थल सुन्दर लगे और यहाँ हम एक सप्ताह रुकना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास भारतीय मुद्रा खत्म है और यहाँ पर विदेशी मुद्रा विनिमय की कोई सुविधा नहीं है। यह सुविधा ऋषिकेश में है जो उत्तराकाशी से काफी दूरी पर है। मान्यवर, मैंने वहाँ के होटल व्यवसायियों और पर्यटन से जुड़े लोगों से निवेदन किया। मान्यवर, निवेदन किया कि आप इन पर्यटकों की मदद कीजिए, उन्होंने उनकी मदद आर्थिक रूप से की, वे पर्यटक एक हफ्ते तक उत्तरकाशी में रहे। मान्यवर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जगह–जगह कन्क्लेव आयोजित करती है, विदेशों में कांफ्रेंस करती है कि अपने उत्तरांचल में विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़े।

मान्यवर, हम पर्यटन को रोजगार से जोड़ने की बात करते हैं, विदेशी पर्यटकों को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, आकर्षित करते हैं, लेकिन मूलभूत आवश्यक सुविधायें हम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर हमारे पर्यटन व्यवसाय को नुकसान हो रहा है। इसलिए जनपद उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी शहर में विदेशी मुद्रा विनिमय काउन्टर खोलने के लिए मैं सरकार से आपके माध्यम से माँग करता हूँ, ताकि जनपद उत्तरकाशी में और उत्तरांचल में विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़े और जो हमारी मंशा है कि पर्यटन व्यवसाय से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके वह भी बढ़े। मान्यवर, उत्तरकाशी में विदेशी मुद्रा विनिमय काउन्टर खोलने की माँग स्थानीय लोगों, होटल व्यवसाइयों, टूरिस्ट गाईड से जुड़े लोगों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, एक ध्यानाकर्षण के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है जिसे माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया। यह आवश्यक है जब यह प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जब हमें अनेकों पुरस्कार मिल रहे हैं, तो इस ओर भी ध्यान जाना चाहिए। मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य अवगत हैं कि विदेशी मुद्रा के विनिमय का कार्य या तो किसी बैंक को दिया जा सकता है या यह सीधे पोस्ट ऑफिस में कराई जाती है और इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। विदेशी मुद्रा का कार्यक्रम रिजर्व बैंक में होता है और जब किसी शहर में ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो

जाती है कि विदेशी मुद्रा विनिमय करना आवश्यक हो जाता है तो सामान्यतया पोस्ट ऑफिस और बैंक इस किस्म की व्यवस्था कर लेते हैं, उत्तराकाशी में ऐसी व्यवस्था नहीं है, निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, अभी हमारे स्टेट लेवल बैंकर कमेटी की बैठक होगी तो कहेंगे कि एक शाखा खोल दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण सूचना को नियम 56 में सुनने की अनुमति प्रदान की। मान्यवर, 21 मार्च से नगर निगम में कुछ कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण शहर में गन्दगी और कूड़े का उठान नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, 8 दिन बीत जाने के पश्चात् भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और नगर निगम अपने आप को असहाय सा महसूस कर रही है। पूरे शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि आज देहरादून का पूरा शहर कूड़ेदान के रूप में परिवर्तित हो रहा है। मान्यवर, यह गम्भीर विषय है क्योंकि 30 तारीख को यहाँ पर झंडे का मेला है। लाखों की संख्या में बाहर से श्रद्धालु आते हैं और जगह–जगह निवास करते हैं। मान्यवर, स्थिति यह बन गई है कि कूड़ा न उठने के कारण मक्खी और मच्छर इतने ज्यादा हो गये हैं कि आम जीवन नर्क सा बन गया है, इससे कोई भी महामारी फैल सकती है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण, तात्कालिक सूचना को ग्राह्य करते हुए इस पर चर्चा करायी जाये और इसका संज्ञान लेते हुए इस सफाई व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त करने की कार्यवाही की जाये।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य की सूचना सही है कि नगर निगम के कर्मचारियों का एक हिस्सा हड़ताल पर है। उन्होंने दो बातें हमारे सामने रखी एक तो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाये और दूसरा बढ़े हुए भत्ते को नगद रूप में दिये जाने की बात है। मान्यवर, वह एन0एस0सी0 में जाने के बजाय वह इसका नगद भुगतान चाहते हैं, यह नियमों के अन्तर्गत नहीं है। मान्यवर, हमारी निकायों के कर्मचारियों से कुछ समझौते हुए उसमें से कुछ किये जा चुके हैं। यह संयुक्त कर्मचारी महासंघ है, इसके साथ भी हमारी वार्ता लगातार चल रही है, जो बची हुई माँगे थी उस पर चर्चा हुई। मान्यवर, बीच में होली पड़ गई। 28 तारीख से कार्यवाही पुनः शुरू कर दी है। हमने संवेदनशील स्थानों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करा दिया है। कमी की तरफ ध्यान आकर्षित किया उसे मैं पूरा कर दूँगा। 10 लाख लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जायेगा। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर और कोई सुझाव हो तो स्वीकार करूँगा।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, 30 तारीख को झंडा मेला है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दूँगा और जो बार–बार स्ट्राइक पर जाकर अनुचित दबाव बना रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करूँगा।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें या न करें यह सरकार का विषय है। वार्ता करके भी समस्या का समाधान किया जा सकता है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, लगातार वार्ता चल रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य हरबंस कपूर और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, आपने नियम 56 के अन्तर्गत मेरी कार्य स्थगन की सूचना को ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ पूरे प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मान्यता प्राप्त संगठन है। यह संगठन काफी लम्बे समय से अपनी 11 सूत्री माँगों के लिए माँग कर रहा है। इसमें इनकी प्रमुख माँग पदोन्नत वेतनमान की है। तत्सम्बन्धी शासनादेश को लागू करने में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है। प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर समस्त वर्गों एवं पदों पर 14 वर्ष की सेवा के पश्चात् अगले उच्च पद का प्रथम पदोन्नत वेतनमान तथा 24 वर्ष की सेवा पर पुनः दूसरे उच्च पद का द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान बिना किसी पदोन्नति के स्वतः लागू हो जाता है। चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जो 9 वर्ष की सेवा में ही 3050 का वेतनमान पार कर जाता है , को 14 वर्ष की सेवा पर 2610 रुपये का चतुर्थ श्रेणी का ही वेतनमान दिया जा रहा है तथा 24 वर्षों की सेवा में स्वतः रु0 3540 के वेतनमान पर पहुँचने के बावजूद मात्र रु0 2750 का द्वितीय पदोन्नति वेतनमान दिया जा रहा है। इस कारण कर्मचारी आन्दोलनरत है क्योंकि रु0 2550 के वेतनमान में नियुक्त इस वर्ग का कर्मचारी 30–40 वर्ष की सेवा करने के पश्चात् मात्र 200 रुपये के अन्तर पर रु0 2750 के वेतनमान में सेवानिवृत्त हो रहा है। यदि यह वेतनमान इन्हें दे दिया जाये तो इससे कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ने वाला है। अगर रु0 3050 का वेतनमान इन्हें दे दिया जाये तो इससे कोई बड़ा वित्तीय भार पड़ने वाला नहीं है। अन्य संवर्गों में यह माँग इसलिए नहीं उठेगी क्योंकि उनको पहले से ही उपरोक्त प्रोन्नत वेतनमान दिया जा रहा है। इसी प्रकार से जल निगम व जल संस्थान में उपरोक्त लाभ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ले रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी इसके लिए काफी लम्बे समय से माँग करते रहे हैं।

मान्यवर, हम सभी जानते है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शासन एवं प्रशासन के कार्य में नींव के पत्थर के समान है और इस महत्वपूर्ण वर्ग की ऐसी उपेक्षा चिन्ताजनक है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आंदोलन इतने लम्बे समय से चल रहा है और सरकार

अभी तक आपराधिक मौन साधे हुए है। सरकार को इसके सम्बन्ध में निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये कार्मिक शान्तिपूर्ण ढंग से अपनी माँग कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से टाल–मटोल किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह तात्कालिक भी है, कर्मचारी अनशन में बैठ हैं। इसलिए सदन की सारी कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाये।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया हैं सरकार इससे बहुत चिन्तित है। जो 11 सूत्री मांग पत्र है उसमें इनकी प्रमुख मांग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोन्नत वेतनमान देना। दूसरा 24 वर्ष की सेवा के बाद चार हजार से छः हजार का वेतनमान देने की बात कही गई है। माननीय सदस्य भी जानते हैं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की बेसिक क्वालीफिकेशन कक्षा पाँच पास होती है। तो उस कक्षा पाँच वाले व्यक्ति को रु0 3050 का वेतनमान कैसे दिया जा सकता है। यह व्यवस्था और किसी राज्य में भी नहीं है।

मान्यवर, इसमें पदोन्नति आरक्षण का प्रावधान है कि 25 प्रतिशत आरक्षण में से 15 प्रतिशत आरक्षण हाई स्कूल एवं 10 प्रतिशत इण्टरमीडिएट पास वाले को 5 वर्ष की सेवा के बाद प्रोन्नत करने की बात इसमें है। माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस प्रतिबन्ध को हटा दिया जाय। मान्यवर, क्या कक्षा पाँच उत्तीर्ण व्यक्ति यदि समूह "घ" में प्रोन्नत होगा तो क्या वह वहाँ पर काम कर पायेगा। उनका आन्दोलन बहुत दिनों से चल रहा था। उनकी प्रमुख माँगों पर हमने विचार किया और निरन्तर वार्ता और बैठकें हुई हैं। मुख्य सचिव से 29–10–2003 को उनकी वार्ता हुई, प्रमुख सचिव, कार्मिक से 6–12–2004 को वार्ता हुई और 11–02–2005 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से वार्ता हुई। 19–02–2005 को प्रमुख सचिव कार्मिक से पुनः वार्ता हुई और 9–02–2005 को पुनः संसदीय कार्य मंत्री जी से वार्ता हुई। 11–03–2005 को अपर मुख्य सचिव से भी वार्ता हुई जिसमें प्रमुख सचिव कार्मिक और प्रमुख सचिव, वित्त भी उपस्थित थे। बैठकें निरन्तर की जा रही हैं। जो विसंगतियाँ उसमें हैं वह कैसे दूर हों उसके लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। इनका आन्दोलन काफी लम्बे समय से चल रहा था जो इनकी प्रमुख मांगे है, उन पर विचार किया गया और समाधान भी किया गया है।

अभी माननीय सदस्य ने निगमों की भी बात कही तो मान्यवर, निगमों और सरकारी सेवाओं में अलग–अलग नियम होते हैं। अपर मुख्य सचिव इसी लेकर बैठकें कर रहे हैं। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि जल्दी ही इसका समाधान हो जाये। इसके लिए बहुत अभिलेखों की भी आवश्यकता पड़ रही है। हमने पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से अभिलेख मंगाये हैं, इसके विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है और बहुत जल्दी ही इसका समाधान हो जायेगा। इनकी माँग संख्या 7 में भविष्य निधि की बात है तो इसके लिए वित्त विभाग शासनादेश जारी कर रहा है। इनकी माँगों में आवास आवंटन की बात थी, उसके लिए हमने निर्णय लिया है कि उनको 2 कमरे के आवास आवंटित कर दिये जायेंगे। हम बहुत गम्भीरता से इस पर विचार कर रहे हैं। इसमें जो विसंगति है उसका बहुत विस्तृत अध्ययन किया जाना है क्योंकि एक नई चीज की व्यवस्था करनी है। और यह संवर्ग अन्य

संवर्गों से अलग है। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो समिति बनी है वह जल्दी ही इसका समाधान निकाल लेगी। ऐसा स्पष्ट आश्वासन मैं माननीय सदस्य को देना चाहता हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से एक–दो बातें जानना चाहता हूँ। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बेसिक योग्यता कक्षा 5 पास होती है, इसलिए उनको प्रोन्नत वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। मान्यवर, अन्य संवर्ग के कर्मचारी को 14 वर्ष बाद प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है और उसमें कहीं पर यह जिक्र नहीं है कि योग्यता के आधार पर ही यह दिया जायेगा। तो फिर इसका लाभ इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। दूसरा यह कि उनको वेतन वृद्धि तो आप हर साल दे रहे हैं, हर साल उन्हें इंक्रीमेंट मिल रहा है तो सरकार ने उनकी यह बात क्यों नहीं सुनी कि जब वेतन वृद्धि दी जा रही है तो प्रोन्नत वेतनमान भी देना चाहिए। कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के बाद एक निश्चित अवधि में प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है, आप वेतन वृद्धि 10 साल तक तो दे रहे हैं और 10 साल बाद प्रोन्नत वेतनमान नहीं दे रहे हैं तो क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं है ? यह विरोधाभास क्यों है ? इसे आप बताने का कष्ट करें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय ऐरी जी ने जो प्रश्न उठाया है, हालांकि मैं इसे पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। 25 प्रतिशत पदोन्नत वेतनमान की यहाँ पर व्यवस्था है। ये कक्षा 5 तक पढ़े हैं, इनको क्लास थ्री तृतीय श्रेणी में जाना है, तो इसकी किस प्रकार हम व्यवस्था करेंगे, इसको व्यवस्थित करने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें आपकी शंका का समाधान भी हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री नारायण सिंह जन्तवाल तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

मंत्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

माननीय सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री काशी सिंह ऐरी तथा हरिदास ने नियम 275 में सूचना दी है– "यह सदन मंत्रि–परिषद् में अविश्वास व्यक्त करता है।"

जो माननीय सदस्य इस पर अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में है, कृपया खड़े हो जाएं।

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गए।)

श्री अध्यक्ष–

अविश्वास प्रस्ताव पर अनुज्ञा दी जाती है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस पर किस दिन चर्चा की जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित थे, तब भी एक माननीय सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव लाये थे। मान्यवर, जिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर बैठे हैं, उनका मानना है कि अविश्वास की छाया में एक दिन भी सदन नहीं चलना चाहिए। इसलिए अभी इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर ली जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं इस पर चर्चा हेतु 2 घन्टे निर्धारित करता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ऐतिहासिक फैसला देते हुए, हमने नियम 275 में जो प्रस्ताव दिया था " यह सदन मंत्री–परिषद् में अविश्वास व्यक्त करता है" को स्वीकार कर लिया। मान्यवर, जैसे ही बजट सत्र प्रारम्भ हुआ सदन में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी ही सरकार पर प्रश्न दागे। मेरा निवेदन है कि इस सरकार में कोई ताल मेल नहीं है। सरकार में और संगठन में मतभेद हैं। मान्यवर, मैं यहाँ पर एक वरिष्ठ नेता की टिप्पणी व्यक्त करना चाहता हूँ। सदन में माननीय हरक सिंह रावत जी ने जो प्रश्न उठाया और सरकार पर आरोप लगाया कि मेरे खिलाफ षडयंत्र रचा गया, इसकी जाँच होनी चाहिए, तो एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह अनुशासनहीनता नहीं है। तो मान्यवर, इसको क्या समझा जाय, सरकार में और संगठन में ताल मेल है या नहीं। मेरी अन्तरात्मा कहती है कि विधायकों और मंत्र परिषद् में ताल मेल नहीं है, संगठन और सरकार में कोई तालमेल नहीं है और साथ ही मंत्रि–परिषद् में भी कोई तालमेल नहीं है। जब यह आपस में ही लड़ते रहेंगे तो इस प्रदेश का विकास कैसे होगा, यह विचारणीय प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, प्रजातंत्र की हत्या कर दी गयी है। इस सदन में सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों ने अपनी सरकार पर उंगली उठायी है। यह पहला सदन है जिसमें सत्ता पक्ष अपनी सरकार प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। मान्यवर, इससे अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कई बार कह चुके हैं कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री जी यह घोषणा कर देते हैं तो एक अस्थिरता पैदा हो जाती है और विकास कार्य रुक जाते हैं। वर्तमान सरकार ने हमारे राज्य को कम से कम 20 वर्ष पीछे धकेल दिया है। ऐसी स्थिति में कैसे विकास होगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी हँस रहे हैं, उन्हें इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिए। मान्यवर, कानून व्यवस्था लचर हो गई है। आये दिन चोरी डकैती और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह घटनाएं बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं। आज उत्तरांचल की जनता भयभीत है। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार सुशासन लाने में कामयाब नहीं है। राजधानी के अन्दर जासूस आए किन्तु सरकार को भनक तक नहीं लगी। कानून व्यवस्था बिगड़ने का इससे बड़ा आइना और क्या हो सकता है। आज प्रदेश के अन्दर माओवादियों की घुसपैठ बढ़ रही है किन्तु सरकार इसे रोकने में कामयाब नहीं है। प्रदेश के अन्दर भय–भूख और भ्रष्टाचार का आलम है।

मान्यवर, भूख/गरीबी का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, केदारपुरम में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पाँच पुत्रियों की हत्या कर दी गई और बाद में स्वयं भी आत्म–हत्या कर ली गई। प्रदेश के अन्दर एक जंगल राज कायम हो गया है यहाँ का जनमानस भयभीत है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि विकास नगर के एस0डी0एम0 को दो लाख रुपये घूस लेते पकड़ा गया, इसी प्रकार औद्योगिक विकास निगम के महाप्रबन्धक श्री योगेन्द्र अरोड़ा को 30 हजार रुपये घूस लेते पकड़ा गया किन्तु इन पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

मान्यवर, जब विपक्ष जायज बात भी सदन में रखता है तो भी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य उसको गम्भीरता से नहीं लेते हैं। मिस्टर रमेश जो लाइन मैन हैं 30 हजार रुपये घूस लेते पकड़े गये किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अर्थात् भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है कि बिना लेन–देन के कोई काम नहीं होता है। मान्यवर, माननीय सदस्य स्वर्गीय श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी द्वारा भी इस बात को सदन में कहा गया था कि 20 से लेकर 55 प्रतिशत तक कमीशनखोरी हर विभाग में चल रही है। मैंने स्वयं इस बात को राज्यपाल के अभिभाषण में कहा था मगर सरकार हमारी बात को बहुत ही हल्के–फुल्के ढंग से लेती है। मान्यवर, उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है। सरकार की जो बातें हम सदन में उठाते हैं उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी हमें आपका संरक्षण चाहिए। हम जो बातें सदन के अन्दर जनहित की करते हैं उस पर भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है इसलिए हम सरकार पर अविश्वास व्यक्त करते हैं और अविश्वास का प्रस्ताव रख रहे हैं।

प्रदेश में घोटालों की बाढ़ है इतने घोटाले हैं कि कहाँ तक बतायें। पटवारी घोटाला, राशन कार्ड की छपाई का घोटाला, दवा घोटला, आई0टी0आई0 उपकरण खरीद घोटाला आदि बहुत से घोटाले हैं। प्रदेश के अन्दर अराजकता व्याप्त है। मान्यवर, उत्तरांचल एक देवभूमि है और इस राज्य को पाने के लिए हमारे भाई–बहनों ने अपने प्राणों की आहूति दी और इस बलिदान के बाद हमें यह राज्य प्राप्त हुआ किन्तु आज इस राज्य के अन्दर हमें अराजकता, भ्रष्टाचार और घोटाले दिखाई पड़ते हैं। विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। विकास जो भी हो रहा है वह असंतुलित है, इनेगिने स्थानों का ही विकास हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र के सुदूर स्थानों पर विकास के कोई कार्य नहीं हुए हैं। चाहे वह उत्तरकाशी का मोरी ब्लाक हो, या फिर पिथौरागढ़ का मुन्स्यारी, धारचूला का क्षेत्र हो या फिर चमोली का जोशीमठ का इलाका हो या फिर बागेश्वर का इलाका कपकोट हो विकास के कार्य बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि जब माननीय नेता प्रतिपक्ष बोले तो उनकी बात को गम्भीरता से सुना जाय, इससे सरकार को कार्य को करने में सुगमता होती है। हर बात को हँसी में न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, कभी–कभी आश्चर्य होता है जब सत्ता पक्ष के विधायकगण व्यवधान पैदा करते हैं, और हमें अपनी बात रखने में असमर्थ करते हैं। मेरा निवेदन है कि मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना जाय, जायज बात पर कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, जगह–जगह धरना, प्रदर्शन और जन आंदोलन हो रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, यह सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है, मेरा निवेदन है कि उन्हें न्याय दिया जाय। मान्यवर, उद्योग, ऊर्जा, आबकारी नीति सभी असफल हो गयी हैं, जबकि इनसे काफी आय प्राप्त हो सकती थी। मान्यवर, यह पहली सरकार है, जिस सरकार में महिलाएं भी शराब के ठेके के लिए टेंडर ले रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुबोध उनियाल जी कृपया शांत रहें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह सरकार रोजगार देने में असफल है, यह राज्य इसलिए बनाया गया था कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सके। आज रोजगार के लिए लोग जगह–जगह आंदोलन कर रहे हैं। मान्यवर, सिलाकुई में औद्योगिक इकाई है, परन्तु स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला है। मान्यवर, यहाँ के लोगों की माँग है कि जिस तरह से हिमांचल प्रदेश में 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय लोगों को है ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होना चाहिए। मान्यवर, यदि यह यहाँ पर हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा, परन्तु सरकार कह रही है, ये लोग आन्दोलन कर रहे हैं। मान्यवर, खटीमा में एक इण्डस्ट्री है, जहाँ पर मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, वे धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार को चाहिए कि उनकी बात को गम्भीरता से सुने और उनको न्याय दें।

मान्यवर, सेलाकुई और खटीमा में जो कुछ हो रहा है, यह सरकार उसे गम्भीरता से नहीं ले रही है, ऐसी मौनी बाबा की सरकार मैंने कहीं नहीं देखी। विकास की कोई दिशा नहीं है, विकास कार्य रुक गया है। मान्यवर, सरकार ने बजट भाषण में जितने भी पुल आदि का उल्लेख किया है, परन्तु धरातल पर कोई काम नहीं होता है। आज उत्तरांचल विकास के लिए तरस रहा है। मान्यवर, नियुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं है, योग्य अभ्यर्थी को नहीं लिया जाता है, मगर अयोग्य अभ्यर्थी को लिया जाता है। मान्यवर, सहकारिता, सूचना विभाग, पटवारी प्रकरण इसके उदाहरण हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता नहीं होगी तो क्या होगा, यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ यह आरोप माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल लगा रहा है, इसकी पुष्टि कर दी है, तो मेरा कहना है कि यह सरकार आँखें बन्द किये हुए चल रही है, जिस प्रकार से अंधा आदमी चलता है, उसी प्रकार से यह सरकार लड़खड़ाती चलती है। मैं कहना चाहता हूँ कि गाँव के किसान और गाँव का विकास कैसे होगा, इस सरकार ने कभी भी यह नहीं कहा कि हम गाँव के किसान का विकास करेंगे, किसान की क्या पीड़ा है इस सरकार ने कभी महसूस नहीं किया।

उनके गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, उनके ऊपर कर्जा है, उनकी भूमि की नीलामी हो रही है, लेकिन सरकार ने कभी नहीं सोचा कि जिनकी भूमि की नीलामी हो रही है उनके बारे में क्या करेंगे।

मान्यवर, बजट बाँटते हैं मगर गाँव के विकास के लिए कोई बजट नहीं। स्थानान्तरण की बात है तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जितने भी प्राइमरी टीचर्स पर्वतीय क्षेत्र में थे उनको देहरादून लाया गया। मान्यवर, विभागीय ढांचा कैसे बनाया गया, वन विभाग में ढांचा बनाया गया, बड़े–बड़े अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी। शिक्षा विभाग में पहले डी0आई0एस0 होता था, अब प्रत्येक ब्लॉक में शिक्षा अधिकारी रखेंगे, तो मेरा कहना है कि बड़ा ढाँचा बढ़ाने से हमारी जनता पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, विकास कार्य नहीं होगा।

मान्यवर, बस दुर्घटनाओं के बारे में माननीय परिवहन मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अकेले टिहरी जनपद में 106 लोग बस दुर्घटना में मरे और यदा–कदा बस दुर्घटना हो रही है, मगर सरकार रोक लगाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। सरकार कहती है कि हम कर नहीं लगायेंगे, कर मुक्त बजट पेश कर दिया, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि जलकर, जल मूल्य, विद्युत दर, मण्डी शुल्क और सीवर चार्जेज बढ़ा दिये हैं, तिगुने कर दिये हैं, अर्थात् एक तरफ कहते हैं कि कर नहीं लगायेंगे और दूसरे दरवाजे से कर लगा रहे हैं, हमारी जनता को परेशान कर रहे हैं। यह सरकार उत्तर प्रदेश की परिसम्पत्तियों के बटवारे में सफल नहीं हुई, आज भी अरबों रुपया उत्तर प्रदेश के पास है, कितना अच्छा होता कि यह धनराशि हमारे पास आती और हमारे क्षेत्र का चहुँमुखी विकास होता, मगर यह सरकार असफल है, कोई कार्य नहीं कर रहीं है। मान्यवर, अफसर शाही हावी है और जनता का उत्पीड़न मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ एक छोटा कृषक एक मूल निवास प्रमाण–पत्र के लिए दर–दर की ठोकरें खाता है और मैं इस सदन में दावे के साथ कह रहा हूँ कि उसे पाँच सौ से हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, यह मूल प्रमाण–पत्र उत्तरांचल में लाया कौन था।

मान्यवर, कौन लाया था।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हुए हैं वह दोषी हैं, यह लोग प्रदेश की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और मुख्यमंत्री जी के सामने विश्वास का प्रस्ताव रखते हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हम मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि जाना नहीं, नहीं तो हमारे काम कैसे होंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, थोड़ा बहुत तो छेड़–छाड होनी चाहिए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, छेड–छाड तो बर्दाश्त है लेकिन छेड़–छाड़ कौन करें; यह सवाल है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने समय–समय पर मुख्यमंत्री जी को और मंत्रिगणों को लिख करके माँग की कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हमारे भाई हैं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है, उनको नियत वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार को यह कहूँगा कि अपने दिल में दया भाव रख कर उनकी जो जायज माँग है उनको सरकार स्वीकार करे। सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो लाल बत्तियों का वितरण हुआ है वह उत्तरांचल की जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डाल रहा है। मान्यवर, संविधान किन–किन को लाल बत्ती प्रदान करता है उनको लाल बत्ती देनी चाहिए और संविधान जिनको लाल बत्तियां मान्य नहीं करता है उनकी लाल बत्तियां छीन लेनी चाहिए। मान्यवर, यह एक गम्भीर प्रश्न है।

मान्यवर, लघु सिंचाई का एक सलाहकार डी0एम0 को सूचना देता है और सारे अधिकारियों को बुलाता है और वहाँ पर गाना और भजन करते हैं। मान्यवर, सलाहकार अधिकारियों को नहीं बुला सकता है। इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। गौर कीजिए हमारी सहकारी समितियाँ, पूर्व सहकारी मंत्री जी इसे अच्छी तरह जानते हैं। मान्यवर, बाजार में दूध 20 रू0 लीटर है हमारी सहकारी समितियाँ हमारे कृषकों से 8 रू0 9 रू0 और 10 रुपये लीटर दूध ले रही हैं। मान्यवर, इतना अन्तर क्यों ? अर्थात् हमारी सरकार हमारे दुग्ध उत्पादकों का शोषण कर रही है इसलिए इस सरकार में हमारी आस्था नहीं है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है आपने कृपापूर्वक हमारे द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया, इतना ही नहीं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुसार यह कहा कि सरकार अविश्वास के वातावरण में एक पल भी नहीं रहना चाहती है। इस पर चर्चा का प्रस्ताव कर दिया। मान्यवर, और तुरन्त अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए उन्होंने भी प्रस्ताव रखा जिसे आपने स्वीकार कर लिया है। मैं छेड़छाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि दिखाई दे रहा है, आप स्वयं इसके गवाह है। पूरे मंत्रिमण्डल के खिलाफ हम यह अविश्वास का प्रस्ताव लाये है और हमारी मंशा है कि सरकार के मंत्रियों को भी हम अपना दर्द सुनाएं। माननीय मंत्रीगण को गम्भीरतापूर्वक यहाँ उपस्थित रहना चाहिए था।

मान्यवर, आप स्वयं आंकलन कर लें कि यहाँ पर कितने माननीय मंत्रीगण उपस्थित हैं और मान्यवर, इसके साथ यह भी अनुरोध है कि ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के न रहने से माननीय मंत्रीगणों ने वह लिबर्टी या वह स्वतंत्रता ले ली है कि वह विपक्ष की बात न सुनें। परम्परा है कि ऐसी महत्वपूर्ण विषय पर जब बहस हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में उपस्थित रहें और साथ ही सभी माननीय मंत्रगणों को भी यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए। तभी इस बहस का कुछ सार्थक अर्थ निकल सकता है लेकिन यहाँ इस तरह से हम कहते रह जाऐंगे और सरकार की ओर से कोई जवाब देना वाला नहीं होगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी–अभी यह ज्ञात हुआ है कि अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए वे आ रहे हैं। वे अभी आ रहे हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने अच्छी सफाई दी। मान्यवर, यह बजट सत्र है और बजट सत्र में वित्त मंत्री को सदन में होना चाहिए और हमारे वित्त मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी है। मान लिया कि अविश्वास प्रस्ताव की बात उनके संज्ञान में न रही हो लेकिन बजट सत्र चल रहा है, आज बजट पर सामान्य चर्चा होनी है क्या यह बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं थी। उन्हें सदन में रहना चाहिए था। इसीलिए तो हम यह अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह परम्परा पूरे देश में है कि सदन में हमारी सम्मिलित जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पान्सबिलिटी होती है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पर आप बोल भी रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, अब मैं और आगे चर्चा करना चाहता हूँ। आप माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों को देखें कई बार कई सदनों में माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है कि वित्त मंत्री को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय और बजट में सामान्य चर्चा के समय और जब बजट पारित हो रहा हो, तब सदन में रहना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। मगर यह सरकार के लिए परम्परा है ही नहीं। आप स्वयं देख लीजिए कितने मंत्रीगण यहाँ पर उपस्थित हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरे जवाब देने के बाद तो शायद यह कहना उचित नहीं है। माननीय काशी सिंह ऐरी जी ने विनम्रतापूर्वक (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, तीन साल हमने काट दिये हैं दो साल और झेलना है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, आपका नम्बर यह नहीं लगने देंगे।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैंने नम्बर की बात कभी नहीं कही। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहूँगा कि आप जो हमारे सत्ता पक्ष के जो विधायकगण हैं, को व्यवधान न डालने के लिए कहें। मान्यवर, जो यह विकास प्राधिकरण हैं, चाहें एम0डी0डी0ए0 हो या हरिद्वार विकास प्राधिकरण हो या नैनीताल झील विकास प्राधिकरण हो यह सब हमारी जनता की लूट खसोट कर रहे हैं। मान्यवर, जनता पीड़ित है, मगर उनकी पीड़ा को कम करने का काम सरकार नहीं कर रही है। इन प्राधिकरणों पर अंकुश और लगाम लगाया जाना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, मिट्टी के तेल की कालाबाजारी की जा रही है और यह मिट्टी का तेल हल्द्वानी से ऊपर कुमायूँ मण्डल में नहीं जा रहा है और ऋषिकेश से ऊपर गढ़वाल मण्डल में नहीं जा रहा है और इस कालाबाजारी को रोकने में सरकार असफल रही है।

सरकार बहुत ढोंग कर रही है कि औद्योगिक विकास कर रहे हैं। जो औद्योगिक विकास की बातें यहाँ उत्तरांचल में की जा रही है जिन औद्योगिक इकाइयों को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है यह इकाइयाँ यहाँ से सब्सिडी लेकर भाग जायेंगी और उत्तरांचल का विकास नहीं होगा। वर्तमान सरकार उत्तरांचल के हित में काम नहीं कर रही है। यहाँ की जनता पीड़ित है, यहाँ की जनता बेहाल है सुव्यवस्था, विकास नाम की कोई चीज प्रदेश में नहीं हो रही है। इसलिए हम यह अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं। आपने इस पर चर्चा को स्वीकार किया इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए आपको पहले ही धन्यवाद दे चुका हूँ। और आपने जो चर्चा के लिए समय दिया उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि सरकार पर तो अविश्वास जनता पहले ही व्यक्त करती है। हम लोग समझ रहे थे कि जनता सरकार पर अविश्वास व्यक्त करे और स्थिति स्वयं ही दिख जायेगी और सरकार का हाल सबके सामने आ जायेगा। हमारा ऐसा विचार था लेकिन कुछ अभूतपूर्व घटनायें हुई इस सदन में और पहली बार सत्ता पक्ष के सदस्यों के कारण ही पहले 2 दिन और फिर 3 दिन विधान सभा की कार्यवाही नहीं हुई। और इस घटना से हमें एक इन्ट्यूशन भी मिला। इंट्यूशन की हिन्दी है, पूर्वाभास। पूर्वाभास भी हुआ और इन्करेजमेंट भी मिला, उत्साह भी मिला। इससे हमने यह महसूस किया कि जनता के अविश्वास आने के पहले ही हम इस सरकार पर अविश्वास करें और हम यह प्रस्ताव आज यहाँ पर लाये। कि जो कुछ सत्ता पक्ष में हो रहा है, उसको देखते हुए इस सरकार की छुट्टी कर दी जाय। इसी कारण से अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। मान्यवर, जब आप मतदान करायेंगे, जैसी उपस्थिति अभी है वही तब भी रहेगी और सरकार का गिरना निश्चित हो जायेगा।

मान्यवर, इस सरकार को तीन साल से भी अधिक हो गया है। हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान, बजट, जिस पर यदा–कदा थोड़ा बहुत बहस हुई, क्योंकि सरकार ने बड़ी चालाकी से कई बजट बिना बहस के पास करा लिए, किन्तु जो भी मौका आपकी कृपा से प्राप्त हुआ, उसमें हमने सरकार को यह आगाह करने की कोशिश की कि सरकार सुधर जाए, जिन बातों को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखण्ड की जनता ने राज्य के लिए कुर्बानी दी। मान्यवर, 42 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी है, इतनी बड़ी कीमत देकर यह राज्य बना है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि उसके मर्म को समझिए और कुछ कार्य करिए ताकि जनता को लगे कि हाँ हमारा यह राज्य बना है। लेकिन मान्यवर, कोई सुधार सरकार की कार्य प्रणाली में, कोई सुधार सरकार की सोच में और कोई सुधार सरकार की नीति निर्धारण में दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कहा कि जनता में जो अविश्वास है, वह बढ़ रहा है और जनता जब मौका लगेगा, तब उसको व्यक्त करेगी। लेकिन आज इसी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हमें कहना है कि अभी तक यहाँ जो कुछ हुआ है, उसका फायदा विपक्ष को मिलेगा और अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने में हम सफल होंगे। यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज दिखाई ही नहीं दे रही है। अभी नियम 56 के माध्यम से कई प्रश्न उठे। आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कलेक्ट्रेट के कर्मचारी तथा कई अन्य विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और सरकार स्वयं इसको स्वीकार कर रही है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम इस पर सोच रहे हैं, यह गम्भीर विषय है, इसका परीक्षण करा रहे हैं, हम इस पर कोई न कोई फैसला लेंगे। लेकिन मान्यवर, फैसला कब लेंगे ? जब इंतेहा हो जाएगी, तब ? मान्यवर, जो सरकार की संवेदनशीलता है, वह कटघरे में खड़ी है। पिछले ढाई महीने से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आन्दोलनरत हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस सरकार को चलाने वाले कर्मचारियों को अपनी छोटी–छोटी मांगों को लेकर हड़ताल करनी पड़ती है, यह सरकार उनका कोई समाधान नहीं निकाल पाती है, तो ये लोग इस सरकार पर विश्वास क्यों करेंगे। यह सरकार विश्वास मत कैसे प्राप्त कर सकती है ? इस सरकार को जनता का विश्वास हासिल नहीं है। यह अविश्वास प्रस्ताव लाने का हमारा उद्देश्य यही है। कर्मचारियों और आम जनता को कोई नहीं सुन रहा है।

सरकार का काम करने वाले कर्मचारी आज उत्पीड़ित हैं दुःखित हैं। उनको आन्दोलन करना पड़ रहा है। उन लोगों का इस सरकार पर विश्वास बन जाएगा, इसमें हमें संदेह है। अभी परिसम्पत्तियों के बंटवारे का जिक्र हुआ। सरकार का सबसे पहला काम यह होना चाहिए था कि जो हमारा हक है, जो हमें मिलना चाहिए, उसे सबसे पहले हासिल करना चाहिए था लेकिन इसमें पिछली सरकार से लेकर इस सरकार तक लगातार लीपापोती होती रही है। कहते हैं, वार्ता चल रही है, कभी मंत्री स्तर की वार्ता हो रही है।

मान्यवर, कभी सचिव स्तर की वार्ता हो रही है लेकिन नतीजा कुछ नहीं। जनता देख रही है और सब समझ भी रही है कि सरकार किस तरह का ड्रामा कर रही है। परिसम्पत्तियों के बटवारे के मामले में भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश की एक किस्म की दादागिरी चल रही है हमारे राज्य के अन्दर आज भी। वह हमारे विरुद्ध जो चाहे फैसला ले लेता है जिस फैसले को चाहे उस फैसले को लटका देता है। जो फैसले हमारे राज्य

के हित में होते हैं, जनहित में होते हैं, उन्हें वह लटका देता है और हमारी सरकार उसके सामने चारों खाने चित्त हो जाती है। सरकार में कोई एथॉरटी नहीं है कि वह केन्द्र सरकार से मिलकर जो फैसले हमारे हक में है, जो हमारा हिस्सा है वह हमें दिला सके हम वित्तीय स्थिति के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं। कर्ज का आवंटन तो उत्तर प्रदेश ने शुरू में कर दिया लेकिन जो हमें उत्तर प्रदेश से मिलना चाहिए वह हमें नहीं मिल रहा है। जो परिसम्पत्तियाँ हैं वह हमको नहीं मिल रही है किन्तु फिर भी सरकार द्वारा जवाब दिया जाता है कि हमारी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ सरकार के साथ मीटिंग चल रही है, बैठकें हो रही है, बहुत जल्द हल निकल आयेगा।

मान्यवर, इसी प्रकार से विकल्पधारियों की स्थिति भी बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश कह रहा है कि हम जल निगम में 1800–1900 कर्मचारी भेजेंगे। मान्यवर, जल निगम के कर्मचारी तो जब राज्य अलग हुआ था तभी यहाँ की जनसंख्या के आधार पर आ चुके हैं अब और कर्मचारियों को यहाँ पर क्यों भेजा जा रहा है। कुछ कर्मचारियों ने अपना विकल्प बाद में भरा था वे भी अब कोर्ट के माध्यम से यहाँ पर आ चुके हैं मर्ज हो चुके है। हमारी सरकार इस बारे में भी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। वह मूकदर्शक बनी बैठी है। सरकार निसहाय होकर सब देख रही है। जो विकल्पधारी यहाँ से जाना चाहते हैं वे भी बहुत परेशान हैं तथा उनकी मौजूदगी से जो यहाँ के बेरोजगार युवक हैं उनको भी सेवायोजित होने का मौका नहीं मिल रहा है। आखिर कौन कब तक सरकार पर विश्वास करेगा। आज उत्तरांचल में बहुत से कार्यालयों में बाहर के कर्मचारी काम कर रहे हैं यहाँ के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं।

मान्यवर, परिसीमन का मुद्दा है इस बारे में सरकार में जो सरकारी सदस्य हैं और जो असरकारी सदस्य हैं सत्ताधारी पार्टी के लोग वह अपने नेताओं के पास केन्द्र में जाते हैं जो परिसीमन हो रहा है उसमें 9 जिलों की चार सीटें कम हो जायेंगी तथा उससे विकास भी प्रभावित होगा। या तो भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर या फिर 84वें संशोधन के आधार पर सीटों का आवंटन होना चाहिए। जिसमें यह व्यवस्था है कि लोक सभा सीटों के लिए प्रदेश को इकाई मानकर सीटों का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार से विधान सभा सीटों के लिए जिले को इकाई मानकर जिले के भीतर परिसीमन किया जाए। मेरी जानकारी में आया है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी जो इसी पार्टी के हैं और माननीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी और कानून मंत्री भारत सरकार के हैं उन्होंने कहा कि प्रस्ताव बनाकर लायें किन्तु सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा गया। इससे ज्यादा सरकार पर अविश्वास की बात हो ही नहीं सकती।

राजधानी के लिए पूर्व में बनाया गया आयोग निरन्तर कार्य कर रहा है जनता की गाढ़ी कमाई का दुरूपयोग हो रहा है पहली बार हिन्दुस्तान में राजधानी के चयन के लिए आयोग का गठन किया गया है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह आयोग गठित किया था। इस सरकार ने चुनाव के समय जनता के सामने लम्बे चौड़े वादे राजधानी के लिए किये थे राजधानी निर्माण की बात इनके घोषणा–पत्र में भी है। किन्तु वर्तमान सरकार द्वारा भी इसी आयोग का सहारा लिया गया है। आज तक राजधानी निर्माण का फैसला इस सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। मान्यवर, यह सरकार लगातार जनता में अविश्वास की भावना फैला रही है। मान्यवर, जिस तरह से आन्दोलनकारियों को सम्मान देने की बात की जाती है, जिस तरह से इस सरकार द्वारा आन्दोलनकारियों

को सम्मानित करने के मानक बनाये गये हैं उससे आन्दोलनकारियों में बेचैनी है, इससे आन्दोलनकारी अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इनका कहना है हम सरकार से भीख नहीं माँग रहे हैं।

मान्यवर, इनको नौकरी देने के लिए सरकार ने जिस तरह से नियम बनाये हैं, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरे संज्ञान में नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जनपद के मामले आये हैं। मान्यवर, पूरी तरह से आन्दोलनकारी घोषित होने के बावजूद भी एक आन्दोलनकारी सहायक निरीक्षक के पद पर आबकारी विभाग में नौकरी नहीं पा सका। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी मेरी बात को ध्यान से सुनें। मान्यवर, आबकारी विभाग में इनको नौकरी नहीं दी जा रही है, जबकि जिलाधिकारी की संस्तुति भी इनको दी जा चुकी है कि ये आन्दोलनकारी हैं और पद के लिए योग्यता भी रखते हैं माननीय मंत्री जी को मैं अलग से भी बता दूँगा। मान्यवर, यह सरकार जो निर्णय ले रही है, उसका परिपालन भी नहीं करा पा रही है।

मान्यवर, इस सरकार की चाहे वह औद्योगिक नीति हो, ऊर्जा नीति हो, पर्यटन नीति हो, वन नीति हो आदि जितनी भी नितियाँ हैं, इनमें नयी बात कुछ भी सामने नहीं आ रही है, जिसकी अपेक्षा सरकार से जनता करती है, मान्यवर, यह सरकार पूरी तरह से असफल है। मान्यवर, इस सरकार को कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए थी, जिससे कि प्रदेश की जनता और प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़े। परन्तु ऐसा नहीं है, इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव पर बल देते हुए माँग करता हूँ कि जब मतदान का समय आयेगा तो सभी सदस्य खुलकर मतदान करें और इस सरकार को सबक सिखायें।

*श्री हरीदास–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 275 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं अपने आपको नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह कण्डारी, माननीय श्री काशी सिंह ऐरी से अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, मैं यहाँ पर अपनी एक–दो बात रखूँगा। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि ऋषिकेश में अभी लगभग 15–20 दिन पहले एक मर्डर किया गया सरकार ने आज तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, किसी पुलिस अफसर द्वारा इसमें नामजद लोगों से कोई भी बात नहीं की। मान्यवर, जनता का इस सरकार पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। मान्यवर, एक हमारे हरिद्वार जनपद का मसला है अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ ही हमारे माननीय विधायक, प्रधान भगवानपुर और हम वहाँ पर 8 विधायक थे हमने एस0पी0 सिटी से कहा, दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाय।

मान्यवर, हम एक बात के लिए एस0एस0पी0 से कह रहे थे, जिस आदमी ने यह दोष किया है। उसमें तुम उसको दोष दे दो, माननीय विधायक और चेयरमैन चौ0 यशवीर सिंह और सारे विधायक मौके पर थे, एस0एस0पी0 और डी0एम0 ने कहा कि आप जो कुछ कर सकते हैं करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, सरकार पूरी तरह से फेल है। मान्यवर, पहली बार हुआ कि अभी हमारे पूर्व मंत्री श्री हरक सिंह रावत जी द्वारा सरकार में विपक्ष की तर्ज पर हंगामा किया और दो दिन सदन नहीं चलने दिया, इस बात पर सरकार को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए और क्षेत्र की जनता नहीं चाहती कि सरकार चले।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास कार्यवृत्त है, अभी पिछले सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपकी निधि 25 लाख बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया है, लेकिन आज तक सरकार की क्या कार्यवाही हुई इस पर इस कार्यवृत्त में कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार पर विश्वास नहीं रहा। मान्यवर, खनन नीति की बात है तो हम तीन साल से सदन में बैठे हैं, तीन साल पहले एक साल खनन नीति अलग थी और दो साल बाद अलग की सरकार ने। मान्यवर, दो साल तक जो आमदनी हुई है एक साल के बराबर नहीं हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार पर इसलिए अविश्वास किया जा रहा है।

मान्यवर, अभी रुड़की में एस0डी0एम0 का प्रकरण आया था उसको हटा दिया गया, रुड़की बड़ा तहसील है, आपके पहाड़ी जनपदों में 2–2 जिले नहीं है जिन पर डी0एम0 बैठते हैं, हमारे यहाँ डी0एम0 बैठना चाहिए लेकिन वहाँ एस0डी0एम0 नहीं मिला। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि हमारे क्षेत्र में एस0डी0एम0 भेज दें, लेकिन हमसे कहते कि कोई एस0डी0एम0 नहीं जाता, ऐसे मुख्यमंत्री को बैठने का क्या अधिकार है। जब कोई एस0डी0एम0 नहीं जाता, हमको काम चाहिए। फिर हमने समझौता किया कि वापस इसी एस0डी0एम0 को भेज दें। सरकार नाम की चीज नहीं है।

मान्यवर, जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि मेरे कैडर से नहीं गया तो तब से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं गया। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ की जनता में विश्वास था कि हमारे उत्तरांचल में कुछ नया होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे और सदन से अनुरोध है और अपने साथियों से भी अनुरोध है कि वह हमारे साथ मतदान करें और इस सरकार से जनता को निजात मिले, इस बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, बजट पर सामान्य चर्चा के समय प्रतिपक्ष को अविश्वास का प्रस्ताव किन परिस्थितियों में लाना पड़ा इसके सम्बन्ध में माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रान्तिदल तथा माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने विचार रखे, उन विचारों से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ।

मान्यवर, मैं संक्षेप में कुछ उदाहरण रखना चाहूँगा। जब यह बजट सत्र प्रारम्भ हुआ और पूरे भारत के लोकतंत्र में संसदीय परम्पराओं की धज्जियाँ उड़ाते हुए जिस प्रकार सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विधान सभा की कार्यवाही को अवरुद्ध किया वह निश्चित रूप से संसदीय लोकतंत्र के लिए उदाहरण बन कर रह जायेगा और उसकी पृष्ठभूमि में ही यह विषय उभर कर आया कि क्या इस सदन के नेता और मंत्रीपरिषद् के अन्य सदस्यों के प्रति सरकार के प्रति सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों का विश्वास है या नहीं, उसे जाँचने और परखने का एक मात्र उपाय है सदन में यह अविश्वास मत रखा जाये या अविश्वास प्रस्ताव रखा जाये और इसलिए सम्पूर्ण प्रतिपक्ष ने यह निर्णय लिया कि इस परिस्थिति में स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करायी जाये और मतदान किया जाये।

पुस्तकालय

श्रीमन्, इस अविश्वास प्रस्ताव को रखने के अन्य भी अनेकों कारण हैं जिन कारणों पर सामान्य चर्चा पर भी मदवार भी अनुदान के समय भी चर्चा होगी लेकिन बिन्दुवार कुछ प्रकरण सदन के संज्ञान में रखना चाहता हूँ। मान्यवर, पहला प्रकरण जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि यह सरकार और इसके द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सरकार के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता, यही प्रक्रिया इस सदन के साथ भी होती है। इस गरिमामयी पीठ से दिये गये निर्देशों का पालन नहीं होता है। मैंने एक कार्यवाही का अंश देखा जिसमें पीठ द्वारा निर्देश दिये गये थे-"मैं शासन को यह निर्देश देता हूँ कि रिस्पनापुरम में जो कब्जेदार हैं उनको विनियमित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय।" इसका स्वागत भी मेजों को थपथपाकर किया गया था लेकिन आज की तिथि तक जो कब्जेदार हैं जो उन आवासों में रह रहे थे उन्हें आवास आवंटित नहीं किया गया। यह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है।

दूसरा उदाहरण 13 मई, 2004 को एक शासनादेश हुआ और शासनादेश प्रमुख सचिव उत्तरांचल शासन द्वारा किया गया। यह पदोन्नति में आरक्षण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया से सम्बन्धित था। इस शासनादेश में यह लिखा था कि-"राज्याधीन सेवाओं और पदों में प्रोन्नति के प्रक्रम पर भी किसी भर्ती वर्ष में अनुसूचित जनजातियों अथवा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों को पदोन्नति द्वारा भरने के लिए उस आरक्षित वर्ग का कोई कार्मिक उपलब्ध न हो तो यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति की रिक्ति को अनुसूचित जाति के उपयुक्त कार्मिक से तथा अनुसूचित जाति की रिक्ति के अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त कार्मिक से भरा जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों, यथास्थिति के लिए विनिर्दिष्ट कोई रिक्ति घटित होते ही अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उस पदोन्नत व्यक्ति को उसकी अपनी श्रेणी की ऐसी रिक्ति के प्रति समायोजित किया जायेगा।" इसके उपरान्त बाद में दूसरा शासनादेश होता है जिसमें इसको निरस्त किया गया, अर्थात् मेरा कहना है कि सरकार के विभिन्न उपक्रमों, विभागों से शासनादेश को गम्भीरता से जारी नहीं किया जाता।

मान्यवर, इसका प्रभाव आम जनता में क्या पड़ेगा इस पर कहीं चर्चा नहीं कि जाती केवल खानापूरी के लिए एक प्रक्रिया के तहत शासनादेश जारी हो जाता है, यह स्थिति बड़ी खराब है। एक व्यक्ति मिला उसने कहा कि बड़ी खराब स्थिति हैं गवर्नमेंट होती तो चलती यह तो सरकार है जो सरक सरक कर चल रही है।

मान्यवर, एक दूसरे शासनादेश का उल्लेख करना चाहता हूँ। यह जुलाई, 2001 का शासनादेश है। उस समय प्रतिपक्ष के लोग सत्तापक्ष में थे। इसमें स्पष्ट था कि विभिन्न पदों पर महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रविधान किया गया था, लेकिन मान्यवर, इसका कहीं प्राविधान ही नहीं किया जा रहा है। इसमें महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। इस पर विचार ही नहीं किया जाता है।

मान्यवर, ऐसे न जाने कितने शासनादेश हैं। एक प्रकरण और मेरे संज्ञान में आया है। 14 अक्टूबर, 2004 का शासनादेश जिसमें 11 जनपदों में जिला साहसिक खेल अधिकारी के पद सृजित किये गये। इसके लिए 4 अनिवार्य अर्हताएं रखी गयी थी। किसी

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, पर्यटन विषय के साथ उपाधि अथवा डिप्लोमाधारक को वरीयता, किसी राष्ट्रीय संस्थान से "ए" श्रेणी में एडवांस माउन्टेनियरिंग प्रशिक्षण प्राप्त हो, साहसिक खेलों की कम से कम दो विधाओं में बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो, 6 हजार मीटर से अधिक की ऊँची चोटियों पर कम से कम तीन पर्वतारोहण अभियानों में भागीदारी एवं एक चोटी पर पर्वतारोहण पूर्ण अथवा विन्टर स्पोर्टस, ऐसे स्पोर्टस एवं वाटर स्पोर्टस की किसी एक विधा में तीन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी एवं एक विधा में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त। मान्यवर, ये अनिवार्य अर्हताएं थी। इस शासनादेश की स्पष्ट रूप से खिल्ली उड़ाई गयी है विज्ञापन में नीचे की दो अर्हताओं को इसमें काट दिया गया। इससे खेल प्रेमियों को कुठाराघात हुआ है।

पिछले दिनों एक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है मैं इस पर विचार नहीं करूँगा, लेकिन उसी से मिलता जुलता एक दूसरा प्रकरण है। आवास सचिव के माध्यम से एक शासनादेश हुआ था। शासनादेश संख्या 1558/श०वि०-आ० 136 (आ)/2003 दिनांक 24 जुलाई, 2003 इसमें उल्लेख किया गया प्रस्तर-6 की तालिका-2 में कि रिजार्ट, हैल्थ, स्पा एवं ध्यान योग केन्द्र के लिए यदि 25 प्रतिशत पर निर्माण किया जाये तो 100 प्रतिशत की छूट दी जाती है और 25 प्रतिशत के अधिक पर निर्माण किये जाने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इसमें प्रस्तार-2 में जो तालिका है उसमें जो छूट दी गयी है उसके अनुसार 25 प्रतिशत पर निर्माण करने पर छूट दी जाती है। लेकिन मान्यवर, एक शासनादेश के माध्यम से पेट्रोलियम विश्वविद्यालय को 100 प्रतिशत छूट दे दी गयी। इसके माध्यम से सरकार को एक करोड़ रुपये का चुना लगाया गया है। इसके साथ ही यही नहीं श्रीमन् क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन कार्यालय ने कांवली गाँव में अपना कार्यालय स्थापित करने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन हेतु अनुरोध किया था जिसे ठुकरा दिया गया उससे कहा गया कि इस प्रकार की छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्रीमन्, एक संगठन जो यहाँ के कर्मचारियों के भविष्य निधि के सम्बन्ध में कार्य कर रहा है उसको छूट नहीं दी गयी और एक निजी विश्वविद्यालय को एक करोड़ का लाभ दे दिया गया। इसी प्रकार से एक आन्दोलन आपके पुराने निर्वाचन क्षेत्र में चल रहा है। श्रीमन्, आपके भी संज्ञान में होगा। उस आन्दोलन में 14 दिन तक राष्ट्रीय राजमार्ग जाम रहा। खटीमा क्षेत्र का जिक्र मैं कर रहा हूँ। वहाँ पर ईस्टर कर्मचारी आन्दोलनरत हैं। वह आन्दोलन आज भी जारी है लेकिन दुःखद स्थिति है कि आज की तारीख तक भी उनकी बात को नहीं सुना गया है। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आज तक वहाँ पर नहीं गया है। सिवाय उनका उत्पीड़न करने के कोई कार्य नहीं किया गया है। चूँकि आपने चर्चा का समय 2 घन्टे रखा है, कई और लोगों को भी बोलना है, लेकिन मेरे पास ऐसे कई प्रकरण हैं, जिन्हें विस्तार से उनकी चर्चा करना चाहता था और मैं विभागवार अनुदान में चर्चा के समय इनकी चर्चा करूँगा। और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री सहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, हमारे नेता ने भी इस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं, लेकिन हमारे यहाँ व्हिप जारी नहीं हुआ है, इसलिए मुझे छूट मिली है कि मैं अपनी अन्तरात्मा की आवाज को यहाँ पर रखूँ। मान्यवर, एक षडयंत्र किया गया हरिद्वार में धिस्सूपुरा में। जहाँ की जनता आराम से शान्ति से रहती है, वहाँ पर जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, वे बाहर के हैं जिन पर केस दर्ज हुए हैं वहाँ पर कोशिश की गई कि वहाँ पर कुछ अनिष्ट घटे और माननीय अध्यक्ष जी, हमारी राष्ट्रीय नेता के खिलाफ भी ताज कारीडोर के मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जो यह अविश्वास प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूँ और सरकार में विश्वास प्रकट करता हूँ इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई।)

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 275 के अन्तर्गत जो अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है उस पर बोलने का अवसर दिया और मैं उस प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, जब विपक्ष अविश्वास का प्रस्ताव रखता है तो कहीं न कहीं सरकार को सचेत करता है। यह जो घटनायें यहाँ पर घटित हुई हैं और वे जनता के सामने भी गई हैं। और जिस छवि को सत्ता पक्ष के द्वारा भुनाया जाता गया जिस व्यक्तित्व को व्याख्यापित किया जाता है, ऐसे पं० नारायण दत्त तिवारी जी के जिस व्यक्तित्व को जनता के सामने सत्ता पक्ष द्वारा आज लाया जा रहा है, उससे आज हम ही नहीं पूरा प्रदेश आक्रोशित है पूरे प्रदेश में ऐसा कहा जा रहा है कि हम उत्तर प्रदेश से एक दुल्हन लाये हैं। वह एक मेकअप रूप में है ऐसा मुझे पता चला है कि वहाँ जहाँ कई लोग जाते हैं, कहते हैं कि उस दुल्हन को पर्वतीय क्षेत्र में भेजिये, प्रदेश की जनता उस दुल्हन को देखने के लिए व्याकुल थी लेकिन आज उत्तरांचल जैसे छोटे प्रदेश में जहाँ पर मात्र 13 जिले हैं, उन्होंने उनके मुख्यालयों को भी नहीं देखा है। आज वह जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश से जो दुल्हन लायी गई थी उसकी जो छवि बनाई गई थी, जो छवि थी उसे ह्रासित किया जा रहा है। मैं केवल मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सरकार के सभी विभागों के मंत्रियों से भी कहना चाहूँगा उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसने 13 के 13 जनपदों के मुख्यालयों को देखा हो, वे भी अपने गिरहबान में झांककर देख लें। आज 3 साल होने वाले हैं इस सरकार और इस सरकार के लोगों ने अभी अपने प्रदेश के जनपद मुख्यालयों तक को नहीं देखा है। मान्यवर, आज प्रदेश विकास के लिए छटपटा रहा है। लेकिन सरकार के लोगों में विकास के लिए कोई रूचि नहीं है, सरकार प्रदेश के विकास के बारे में नहीं सोच रही है, इस सरकार की विकास की दृष्टि ही नहीं है।

मान्यवर, प्रदेश के मंत्रियों ने अपने विधान सभा क्षेत्रों को उत्तरांचल मान लिया है। मान्यवर, सड़कों की बात होती है, आज लोग सड़कों के लिए श्रमदान करने को तैयार खड़े हैं, खुद सड़कों को काट रहे हैं, यह स्थिति पैदा हो गयी है। प्रदेश के जो महत्वपूर्ण विकास कार्य दिखाए जाते हैं, अच्छी सड़कें बनी हों, बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त

कर सकें, महिलाओं को दूर-दराज से पानी न लाना पड़े, काश्तकारों के उत्पादन का विपणन हो सके, इन सबकी क्या स्थिति बनी हुई है ? शिक्षा की गुणवत्ता की क्या स्थिति है, मेरे क्षेत्र के दूर-दराज के विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। डिग्री कॉलेजों के अध्यापक एवं छात्र हड़ताल पर हैं, आज कल परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए हो सकता है कि हड़ताल पर न हों, लेकिन प्रत्येक वर्ष अपनी माँगों को लेकर छात्र आन्दोलरत रहते हैं। इण्टर कालेजों में प्रवक्ताओं के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इस प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है। मान्यवर, सत्ता क्षणिक होती है। इसे सत्ता पक्ष के लोगों ने महसूस किया है। जब प्रदेश के अन्दर विकास नहीं होगा तो जनता नकारती है। पूर्ववर्ती सरकारों ने इसे भुगता है आप भी भुगतेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार वक्तव्य दे चुके हैं कि मैं पद त्यागना चाहता हूँ, इससे एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो जाता है। मुख्यमंत्री जी रहेंगे या नहीं, यह सत्ता पक्ष का सवाल है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य आज शान्त हैं, शायद कोई गुप्त समझौता हुआ है। यह अभी दिखाई देगा।

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि सरकार नाम की कोई चीज ही यहाँ पर नहीं हैं इस प्रदेश को ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। सत्ता पक्ष या विपक्ष के किसी माननीय सदस्य का कोई काम इस प्रदेश में नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। प्रदेश की रोजगार नीति पूरी तरह से विफल हो गयी है। यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है कि पहली बार उत्तरांचल के अन्दर पुलिस का हेडक्वार्टर सी0बी0आई0 द्वारा सीज कर दिया जाता है। जिस महकमें को स्वयं मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, उसकी यह स्थिति है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर रोजगार की स्थिति क्या है ? स्थानीय बेरोजगारों को, जो यहाँ पर थोड़े बहुत उद्योग लग भी रहे हैं, उन उद्योगों में उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगार आमरण अनशन पर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, लाल बत्ती धारकों के सम्बन्धियों को, जो सत्ता के लोगों को ब्लैकमैल कर रहे हैं। स्थिति यह है कि मेरे जिले के अन्दर 4 मंत्री हैं। एक विधायक जिनको मंत्री होना चाहिए था, उनको तो मंत्री नहीं बनाया है लेकिन 165 दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जो कभी चुनाव जीत कर नहीं आए हैं। इनका कोई कार्य नहीं है, ये सिर्फ सत्ता से चिपके हुए हैं, ऐसे लोगों को लाल बत्ती दी गयी है। लोगों में आक्रोश है, लोग समय आने पर इसका जवाब देने को तैयार हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उद्योग नीति जब तक पर्वतीय क्षेत्र के लिए नहीं होगी, तब तक इस प्रदेश में किसी भी रूप में यह नीति सफल नहीं होगी। चमोली, चम्पावत, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, रानीखेत जिलों के अन्दर एक भी उद्योग इन 3 सालों में लगा हो तो सरकार बताए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय भट्ट जी, कृपया समाप्त करें।

श्री महेन्द्र भट्ट-

मान्यवर, मैं बहुत कुछ न कहते हुए, अन्त में एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है, समय रहते हुए सरकार के हमारे अनेक साथी विचार करें।

मान्यवर, आज मतदान के पश्चात् मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ लोग सरकार के विरुद्ध मतदान करेंगे। जो लोग भी सरकार का साथ देंगे भविष्य में उनका भला होने वाला नहीं है। लाल बत्तियों का मोह त्याग कर सरकार के विरुद्ध मतदान करें और जनता के बीच जाकर सरकार के काम–काज का कच्चा चिट्ठा खोलें कि आज तक इस सरकार ने कितने विकास के कार्य किये हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद।

*चौधरी यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे काबिल साथी कह रहे थे कि सरकार नाम की कोई चीज प्रदेश के अन्दर नहीं है। सरकार नाम की चीज है तभी तो सरकार चल रही है अभी मतदान होगा जो बहुमत में होगा वह उधर बैठेगा। मान्यवर, जो अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। हमें इतने योग्य मुख्यमंत्री मिले हैं यह हमारा और इस राज्य का सौभाग्य है। नियम बने हुए है कि पाँच साल बाद चुनाव होंगे तभी दूसरा मुख्यमंत्री बन सकता है। रही बात पार्टी तो हमारे साथी शहजाद भाई ने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मत देंगे।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं का सदन के अन्दर उठाते हैं और उस समस्याओं को एकत्रित करने में हजारों लाखों रुपये खर्च होते हैं लेकिन सरकार द्वारा उन समस्याओं को हल करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई जाती है। तीन साल पूर्व जो प्रश्न मेरे द्वारा पूछे गये थे उनका हल आज तक नहीं निकल पाया है, उन पर कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गई। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जब हम कोई प्रश्न पूछते थे तो उनका हल बडी तत्परता के साथ होता था। और जब हम किसी विभाग में जाते थे अपनी समस्याओं को लेकर जो क्षेत्र की होती थी तो विभाग द्वारा भी उनका हल बडी तत्परता के साथ होता था, यदि नहीं हो पाता था तो जब हम विभाग में जाते थे तो कोहराम मच जाता था कि माननीय विधायक जी की क्षेत्रीय समस्याओं का हल अभी तक नहीं हो पाया है। जो प्रश्न इस सदन में हम करते हैं और जो अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया जाता है उनका भी समय पर अनुपालन नहीं होता है।

मान्यवर, 31 मार्च, 2002 को सरकार ने एक शासनादेश निर्गत किया था कि 31 मार्च, 2002 के पूर्व जो योजनाएं स्वीकृत हुई थी उनको रोक दिया जाए। उनके आगणन रोक दिये जाएं। किन्तु जो आगणन उस तिथि के बाद आपके द्वारा माँगे गये अभी तक उन पर भी कोई कार्य नहीं हुआ है। पिछले 57 साल में पहली बार वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के दौरान जो मिट्टी पहाड़ कटान से निकलती है उसके फेंकने पर आपत्ति लगाई गई है। प्रकृति का नियम है जो मिट्टी निकलेगी वह ऊपर से नीचे के तरफ ही गिरेगी। एक कि0मी0 सड़क बनाने में 14 लाख तक खर्च आता है। यदि मिट्टी नाले में डाली जाए तो एक कि0मी0 सडक 40 लाख में बन पायेगी। हम वह मिट्टी कहाँ डाले, वन विभाग द्वारा आपत्ति लगाई गई है। हमारे राज्य को दो देशों की सीमाएं छूती हैं। गोरी नदी पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व काली नदी पर झूला पुल स्वीकृत है। गोरी नदी में गराली जोन पर ट्राली हटाकर झूलापुल बन रहा है। झूला पुल निर्माण पर वन विभाग द्वारा आपत्ति लगाई गई है। जब तक सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृती नहीं मिल जाती तब तक झूलापुल नहीं बन सकता है।

मान्यवर, तवा घाट से पिथौरागढ़ की सड़क के दिवार निर्माण के लिए वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आज दूर–दराज के क्षेत्र विकास से कोसों दूर हैं और जब हम वहाँ के विकास की बात करते हैं तो सरकार कहती है कि भारत सरकार के मानकों के हिसाब से विकास कार्य हो रहे हैं। मान्यवर, आज तीन हजार की आवादी वाले क्षेत्रों के ए0एन0एम0 केन्द्र हैं।

मान्यवर, तीन हजार की जनसंख्या में तो आपके लगभग 10–15 गाँव आयेंगे और इनकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर होगी। मान्यवर, जब एक हजार की जनसंख्या पर एक एनम होगी तो कैसे सुधार होगा। मान्यवर, सरकार कहती है, यह केन्द्र सरकार के मानक हैं। मान्यवर, जहाँ तक विद्यालयों की बात है तो आज कई विद्यालय ऐसे हैं जो बन्द पड़े हैं, कई विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं, कई विद्यालयों में एक ही अध्यापक से काम चल रहा है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में डोगरा में एक स्कूल है, जहाँ पर एक मात्र अध्यापक है। मान्यवर, तहसील स्तर पर डीडीहाट में रा0 बालिका इण्टर कॉलेज में भी वही विद्यालय चले आ रहे हैं, जो पहले से थे। ये सरकार का विकास कार्य है। वास्तव में सरकार ने तीन साल तक कोई काम नहीं किया है, इन तीन सालों में सरकार ने जनता की जन भवना के अनुरूप कार्य नहीं किया है। यह सरकार जड़ी–बूटी की बात करती है, हर्बल प्रदेश की बात आप करते हैं, लेकिन मान्यवर, इस सरकार को जड़ी–बूटी की जानकारी नहीं है। मान्यवर, नेपाल और तिब्बत के माध्यम से लाखों रुपये की जड़ी–बूटी विदेशों को जा रही है, इससे हमें बहुत राजस्व की हानि हो रही है। सरकार जड़ी–बूटी की बात करती है, परन्तु नर्सरी कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

(माननीय मुख्यमंत्री जी के सदन में आने पर मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए मौका दिया है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री कण्डारी जी द्वारा माननीय प्रकाश पंत माननीय महेन्द्र प्रसाद भट्ट, माननीय बिशन सिंह चुफाल, माननीय काशी सिंह ऐरी जी और माननीय हरिदास जी द्वारा जो भी बातें कही गयी उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, आज संसदीय परम्परा में एक बात पर सबको विचार करना पड़ेगा, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में। मान्यवर, किसी भी बात को उठाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल का एक फोरम होता है, वह अपने फोरम में कुछ भी कर ले, संसदीय भाषा का प्रयोग करे।

मान्यवर, प्रथम कड़ी के अनुसार कोई गुस्सा करे उसको छूट है, लेकिन ये कौन सा तरीका है, जो सदन पूरे प्रदेश के लिए बना है, पूरे प्रदेश के मुद्दों को उठाने के लिए बना है उसके अन्तर्गत यह बात उठती है कि सत्तापक्ष के लोग ही विधान सभा की

कार्यवाही चलने नहीं देना चाहते हैं। मान्यवर, आखिर उत्तरांचल में हो क्या रहा है। मान्यवर, किसी सदन में दो दिन तक सरकार को नहीं चलने दे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वे आने से रह गये। मान्यवर, और भी कई महत्वपूर्ण बातें रह गयी। मान्यवर, ऐसा मखौल न कभी हुआ है और न कभी होगा और न कभी आयेगा। मान्यवर, आखिर यह जैनी कौन है, इसको लेकर कौन यहाँ आता है। और यह बार–बार कभी किसी के नाम लेती है और कभी किसी का नाम। मान्यवर, एक बार एक माननीय मंत्री की गद्दी ले ली। (व्यवधान) मान्यवर, अगर यह झूठ है।

मान्यवर, वह खुलेआम टी0वी0 में बोलती है कि फलां–फलां व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, इस बार कह रही है कि इन्होंने किया है, अगली बार कहेगी कि उन्होंने किया। मान्यवर, यह झूठे लोग हमारी सरकारी तंत्र को हिला देंगे, इस तरह के लोग यहाँ आयेंगे तो पूरी सरकार के चूलें हिला देंगे। मान्यवर, 182 के अन्तर्गत क्यों नहीं कार्यवाही हुई, क्यों नहीं एफ0आई0आर0 हुआ हम पर ब्लेम लगाया गया और इसके साथ ही पीठ को भी आक्षेपित किया गया। हम पर यह ब्लेम लगाया कि फलां लोग कमेटी में गये। माननीय ऐरी जी, दो बहनें, माननीय चौधरी जी और अजय भट्ट कमेटी में गये और किसी का नाम ले लिया। मैं सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि हमने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, आप 17 जून की कार्यवाही देख लें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, हमने कहा कि प्रदेश में क्या हो रहा है, अखबार में घटना दिख रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, आज परीक्षा की घड़ी है, इनकी परीक्षा हो जायेगी, यह सही है ये झूठ कहते थे, ये प्रदेश की आँखों में धूल झोंक रहे हैं, यह आज पता चल जायेगा।

मान्यवर, प्रदेश में जिससे अव्यवस्था आई है, जैनी ने हिलाया तो बेनी ने भी चूलें हिला रखी हैं। मान्यवर, बेनी दक्षिण भारत से आया और यहाँ का करोड़ों रुपया लेकर चला गया, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कहाँ गया, कौन–कौन उसमें शामिल था। मगर क्या हुआ जिस समय फाइल मंत्री जी के पास गई तो मंत्री जी क्या कर रहे थे। मान्यवर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा घोटाला मैं बता रहा हूँ, वह है डास्प योजना का घोटाला है, डास्प योजना यहाँ पर चला है और एक साल पहले समाप्त हो गया है, चार करोड़ का सामान चार करोड़ की पुस्तकें उसमें खरीदी गई। योजना जब खत्म हो गयी तो मैंने प्रश्न लगाया, सदन चलेगा तो उत्तर आयेगा, उसमें चार करोड़ का कोई अता–पता नहीं है, हमारे सत्तापक्ष और विपक्ष के लोगों के प्रश्न लगे थे, लोगों के रिसीव कराया जा रहा है, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि गलत तरीके से रिसीव किया तो उसकी नौकरी चली जायेगी, चार करोड़ रुपया स्वाहा हो गया, इस तरह से यहाँ पर काम कर दिया। मान्यवर, दलितों की हालत यह है कि कैसे अत्याचार हो गया दलितों पर। एक दलित के पुत्र का मर्डर हुआ, यह पन्चादेखन का मामला है। शासन प्रशासन के लोगों तक बात गई, रिपोर्ट हुई, बागेश्वर तहसील में बैठता है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और जब उसकी माँ रोती हुई आई तो उन्होंने कहा कि यह नेचुरल डेथ है, फिर हमको कहना पड़ा कि हम बैठेंगे तो उसके बाद 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, यह शासन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, कृपया समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, स्कूलों में उच्चीकरण में माननीय मंत्रीगण जा रहे हैं, मेरे क्षेत्र में जिला योजनाओं से 2–2 स्कूल मिले थे हमको। वहाँ जाकर उच्चीकरण किया, हमने बैंगलोर से फोन किया कि मान्यवर, हमको स्वागत का मौका दीजिए, मगर उच्चीकरण हो गया।

मान्यवर, लेकिन रातों रात हो गया। सरकार की क्या–क्या बतायें कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है कि वास्तव में सरकार को जिस तरह से चलना चाहिए वह नहीं चल रही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं रानीखेत का एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कोश्यारी जी के जमाने में 6 अशासकीय विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया और आदेश हो गया, नई सरकार ने उसे रोक दिया क्यों रोक दिया गया। मैंने इस प्रश्न को सदन में उठाया आपके निर्देश पर शिक्षा मंत्री जी ने एक माह में इसे करने का आश्वासन दिया और कहा वास्तव में गलती हो गयी। इसे 10 महीने तक लटका दिया गया जब हम माननीय शिक्षा मंत्री जी के घर पर बैठ गये तो रात को आदेश बन कर आ गया। आगे क्या हो रहा है यह विचारणीय प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो अविश्वास प्रस्ताव माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रखा मैं उस पर बल देता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अविश्वास प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, जब बड़ा परिवार हो जाता है तब निश्चित रूप से सुनने को मिलता है कि उनमें आपस में झगड़ा होता रहता है। यही सरकार और संगठनों की स्थिति थी। पहले वर्ष में अखबारों में सीमित थी, जिलों तक सीमित थी, दूसरे वर्ष में छोटे स्तर पर झगड़ा जिलों में ब्लॉक मुख्यालय तक पहुँचा तीसरें वर्ष में यह विधान सभा की गैलरी तक पहुँचा और इस वर्ष सरकार और संगठन का मतभेद इस सदन में देखने को मिला। अविश्वास प्रस्ताव हम इसलिए लाये कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है उसके विपक्ष में सत्ता पक्ष के ही कुछ विधायक खड़े हो गये हैं। कुछ दिनों की बात बताना चाहता हूँ मैं एक विद्यालय में गया वहाँ पर एक प्रोग्राम था जिसका मैं मुख्य अतिथि था वहाँ पर एक प्रश्न

आया कि उत्तरांचल राज्य का मुख्यमंत्री कौन है उस प्रतियोगिता में तीन बच्चों को पुरस्कृत किया गया कि एक बच्चे ने लिखा कि श्री नारायण दत्त तिवारी, दूसरे ने लिखा हरीश रावत और तीसरे ने लिखा था श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश। मैंने पूछा कि यह आखिर कैसे सही हो सकता है आपने तीनों को सही मानकर पुरस्कृत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तीनों सही है, सदन में मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी हैं उनके जाने के बाद श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश है क्योंकि यह हिसाब किताब रखती हैं और बाहर हरीश रावत। यह सच्ची घटना बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि तीन मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। मान्यवर, इस प्रदेश में कैसे इस सरकार की योजना बनेगी कैसे विकास की योजना बन कर धरातल पर आयेंगी। विकास की बड़ी–बड़ी योजनायें बनती हैं, विकास की योजनाओं की घोषणा होती है वह धरातल पर आने से पहले ही समाप्त हो जाती है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में बहुत ही खराब है, पुलिस वाले शरीफ लोगों को मार रहे हैं। और बदमाश पुलिस वालों को मार रहे हैं।

मान्यवर, हमारे मित्र बसपा के सदस्यों ने अन्तरात्मा की आवाज पर सरकार का पक्ष लिया उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से वहीं से बात की। अपनी अन्तरात्मा की आवाज पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। ये अन्तरात्मा की आवाज पर कहा। (व्यवधान)

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, ऐसी कोई बात ही नहीं आयी थी। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आज पीने का पानी को लेकर झगड़ा हो रहा है। पीने के पानी के दाम दस गुना बढ़ा दिये गये हैं। जिस प्रदेश में गंगा और यमुना जैसी नदियाँ निकलती हों, वहाँ पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आज उत्तरांचल में यह हो रहा है। पीने के पानी के दाम 10 गुना बढ़ा दिये गये हैं। आज शिक्षा विभाग की जो स्थिति है वह सबके सामने है। शिक्षा विभाग में जो कार्य हो रहे हैं, वह किसी से छिपे नहीं हैं। आज तो मान्यवर, 10 महीने पहले ही ट्रान्सफर कर दिये जाते हैं। यह हाउस में बताया गया कि आने वाले समय में इसका इम्पलीमेन्ट होगा। क्या इसे पहले से ही निर्धारित कर दिया है ? शिक्षा जो हमारे प्रदेश की मूलभूत आवश्यकता है, जिसके बिना प्रदेश विकास नहीं कर सकता है। आज उसकी स्थिति सबके सामने है। कभी हम कहते थे कि सी0बी0एस0सी0 लागू करेंगे, उसकी किताबें लागू करेंगे, वे पुस्तकें अभी छपी तक नहीं हैं।

मान्यवर, जब तक शिक्षा विभाग का ढाँचा ठीक नहीं होगा तब तक यह सब कुछ होने वाला नहीं है। बेरोजगारी को लेकर हमारे मित्रों ने कहा सरकार का उत्तर इस सदन में आया कि 3 वर्षों में 29 हजार लोगों को रोजगार दिया गया और हर जिले की लिस्ट भी दी गयी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम 2 लाख से ज्यादा को रोजगार दे चुके हैं। उन्होंने इसे काफी विस्तार से बताया था। मान्यवर, इसमें कौन सा उत्तर सही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, विपक्ष और जनता को आप छोड़ दीजिए सत्ता पक्ष के मित्रों को भी अपनी सरकार पर विश्वास नहीं रह गया है। मान्यवर, ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष के मित्रों ने हाउस नहीं चलने दिया। दो दिन तक हाउस की कार्यवाही बाधित की गयी। यह आरोप तो विपक्ष पर लगता है कि विपक्ष ने कार्यवाही नहीं चलने दी, लेकिन यहाँ तो सत्ता पक्ष ने कार्यवाही नहीं चलने दी। इसका जनता में यही मैसेज गया कि सत्ता पक्ष को सरकार पर विश्वास नहीं रह गया है। मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से कहना चाहता हूँ कि आज इस अवस्था में वे भी अपनी अन्तरात्मा की आवाज पर त्याग पत्र देकर नये चुनाव की घोषणा कर दें। मान्यवर, यही मैं कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर–

मान्यवर, मैं भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ डा0 सन्दीप सैनी हैं वे पहली तारीख को गायब हुए और 13 तारीख को नहर से उनकी लाश मिली। इसके बाद जनता को उत्सुकता हुई। 13 तारीख को जनता कोतवाली गयी वहाँ पर जिस बेदर्दी से महिलाओं को गिरा–गिराकर पीटा गया। मान्यवर, मैं उस समय वहीं पर था। मेरे को भी कहा कि एक तरफ हट जाइये। मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे बचा, लेकिन मेरे सामने ही ऐसी दर्दनाक घटना घटित हुई। मुझे इसका इतना दुःख है कि जब तक मैं जियूँगा तब तक इसे नहीं भूल पाऊँगा मेरे क्षेत्र की जनता एक विधायक के सामने पिट रही है और मेरे सामने ही पुलिस कुर्सी लेकर भाग रही है, कुर्सी पटक रही है और डंडे लेकर भाग रही है। मान्यवर, मेरे पास उसके फोटो रखे हुए हैं मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। वहाँ पर लोगों का लड़का चला गया जो संदीप था और उन्हीं की पिटाई हुई है। मान्यवर, गाँव में जनता अलग नहीं होती है वह एक परिवार होता है पुलिस ने जिस तरह से उनकी पिटाई की यह हमने भी देखा मेरे पास इसकी फाइल रखी हुई है मैं उसे दिखा सकता हूँ। कम से कम 17 लोगों की, बहनों की पिटाई हुई है, उनको चोट आई है।

मान्यवर, उस समय वहाँ पर 8 विधायक थे और इस तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था चौपट थी, उस समय 8 विधायक बैठे थे, एक सांसद थे, एक पूर्व सांसद थे, पूर्व मंत्री भी थे। उस समय जनता वहाँ पर धरना दे रही थी, तभी एस0पी0 साहब अन्दर आये और उसके बाद जनता अन्दर आई और जनता ने कहा कि साहब एक बात पूछना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि पूछो क्या पूछना चाहते हो तो लोगों ने पूछा कि जो अन्दर बदमाश बन्द हैं जिन्होंने मर्डर किया है, उनको कैसे फल–फ्रूट खिला रहे हैं और कैसे उनके पास मोबाइल आ गया तो उन्होंने कहा कि हम तो उनको घी पिलायेंगे, तभी हमारे सारे विधायक खड़े हो जाते हैं, सारे 8 विधायक खड़े हो गये जो बात सही है वह सही है। (व्यवधान)

जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले तो वहाँ पर एस0एस0पी0 साहब आ गये, एस0एस0पी0 ने वहीं से गालियाँ दी मान्यवर, मैं कभी कसम नहीं खाता लेकिन आज खा सकता हूँ, अगर मेरी भी पिटाई हो जाती तो कोई बात नहीं जब गाली दी गई तो भाई साहब यशवीर जी वहाँ पर थे।

(व्यवधान)

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माँ और बहन की गालियाँ एस0एस0पी0 द्वारा दी गई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री चन्द्रशेखर–

मान्यवर, बाजार बन्द हो गया और हम लोग धरने पर बैठ गये। डी0एम0 और एस0एस0पी0 भी वहीं पर बैठ गये हमने एक इस्पैक्टर को हटाने के लिए कहा तो उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी उसके बाद यशवीर सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन पर बताया तब उसे हटाया गया। लेकिन हमारे जितने भी विधायक थे उन पर भी मुकदमे लिखे गये हमारे जो पूर्व सांसद थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया और जो वर्तमान सांसद हैं उनके खिलाफ भी लिखा और 2 हमारे पूर्व मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं उन पर भी मुकदमा लिखा गया है। मेरे पास फाइल है मैं दिखा सकता हूँ कि चारों तरफ पुलिस है और बीच में जनता है और खून बह रहा है। मान्यवर, इस घटना के बाद से मैं गाँव में भी नहीं जा सकता हूँ, मान्यवर, हमें इस पर न्याय चाहिए और इसकी जाँच होनी चाहिए। अन्त में मैं अविश्वास प्रस्ताव को बल देता हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है, मैं बहुत लम्बा नहीं बोलूँगा। लम्बा वास्तव में बोलता अगर मुझे लगता कि कहीं लोग उसको सुनने वाले हैं। इस प्रदेश का सौभाग्य था कि बड़े त्याग और बलिदान के पश्चात् एक छोटा सा प्रदेश बना और हमारी सरकार बनी थी। मुझे ध्यान आता है कि सवा साल के अन्दर नयी सरकार बन गयी थी, लेकिन उस सवा साल के अन्दर नियुक्तियाँ भी हुई थी, उस सवा साल के अन्दर विकास के कार्य भी हुए थे लेकिन ऐसा अवसर कभी नहीं आया जब सदन के अन्दर कभी मुख्यमंत्री को तो कभी माननीय विधायक के रोने की स्थिति आयी हो जब प्रदेश के अन्दर सरकार बदली, सामान्य बात है, सरकार बदलती है, प्रजातन्त्र है। लोगों को लगा कि सरकार बदलने के पश्चात् एक अनुभवी व्यक्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं, लगता था कि इस प्रदेश को नयी दिशा मिलेगी।

मान्यवर, यह अविश्वास प्रस्ताव केवल औपचारिकता नहीं है, इसके लिए हमने सोचा भी नहीं था लेकिन आखिर ऐसी स्थिति क्यों आयी, यह विचार करने का विषय है। प्रस्ताव तो आप बहुमत से गिरा लेंगे। अभी माननीय मदन कौशिक जी कह रहे थे, अन्तरात्मा की बात, यह अन्तरात्मा दिखती भी नहीं है, कम से कम कांग्रेस के बारे में तो यह कहा जा सकता है। यदि कुछ माननीय सदस्यों की अन्तरात्मा जाग जाएगी तो अलग

बात है। आज स्थिति क्या है? मान्यवर, मैं अन्तरात्मा की आवाज के बारे में बात नहीं करूँगा। आज सबसे दुःखद स्थिति यह है कि प्रदेश के अन्दर एक भी ऐसा सबूत नहीं है कि सरकार कहीं पर सफल रही हो। सरकार विश्वास में है या अविश्वास में, यह तो उसी दिन पता लग गया था जब लोक सभा के चुनाव परिणाम आए थे। मुझे इस बात का अहंकार नही है कि हमारे 3 एम0पी0 बने। लोक सभा के चुनाव परिणाम ने दिखा दिया कि वर्तमान सरकार अल्पमत में है। मुश्किल से आप लोग एक सीट जीत पाए। लेकिन उसको भी पहले आप दो लाख वोटों से जीते थे लेकिन इस बार मात्र 50 हजार वोटों से जीत सके। यदि आपके अन्दर वास्तव में अन्तरात्मा होती तो उसी दिन आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए था। आज सत्ता पक्ष के विधायक सदन में खड़े होकर कहते हैं कि आप सी0एल0पी0 नहीं बुलाते हैं, हमारी बात नही सुनते हैं, अध्यक्ष जी भी हमारी बात नही सुनते, यह सब अखबारों में छप रहा है। हो सकता है कि आप इनको अपने पक्ष में कर लें लेकिन इस सदन में 17 जून 2003 को बोला गया है। हमारे खिलाफ साजिश करने वाले सत्ता दल के लोग हैं। वरिष्ठ अधिकारी हैं। इसको हम भुला नही सकते, इसको मिटा नहीं सकते। प्रश्न यह है कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। आपने चर्चा का अवसर दिया इसलिए हम बोल रहे हैं। हमको इस बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर यह स्थिति क्यों आई। नया–नया प्रदेश है और सत्ता दल बहुमत में है। सत्ता दल के बहुमत में होने के बावजूद भी सदन के अन्दर वीभत्स दृष्य देखने को मिला। तीन दिन तक सदन नहीं चला। इसका सीधा अर्थ नीचे तक और आम जनता तक यह जाता है कि सत्ता के लोग में भले ही आज आप लोग एक दूसरे से जुड़े हों, लेकिन अनुशासन नाम की चीज नहीं है।

आज हरिद्वार के अन्दर जो काण्ड घटित हुआ वह भी निंदनीय है। एक पुलिस का अधिकारी चार–पाँच विधायकों और एक पूर्व माननीय सांसद सदस्य के सामने उन पर डंडा–चला दे। क्या यह सरकार पर विश्वास वाली बात है विधायकों को डंडा लगा होगा, वे इस सरकार पर कैसे विश्वास करेंगे वे इस सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। इससे बढ़कर अविश्वास की बात और क्या हो सकती है। हमारा यह प्रदेश कहाँ जायेगा मुझे बहुत चिंता होती है जब अधिकारी कर्मचारी कहते हैं ऊपर देना है। अर्थात् सब जगह भ्रष्टाचार का बोल–बाला है। चाहे वह इन्डस्ट्रियलिस्ट हो, व्यापारी हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों या फिर आम नागरिक हो सब के सब सरकार के कार्य से परेशान हैं। विकास के कोई कार्य उनके लिए नहीं हो रहे हैं। आज चाहे सत्ता दल के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हों वे ताने देते हैं कि मिल गये नारायण और भगत। (ताली)

मान्यवर, सत्ता दल के माननीय विधायकों के अन्दर एक ज्वालामुखी धधक रहा है। अभी तो रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता तीन आई है और जब रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7–8 आयेगी तो सब खत्म हो जायेगा। (हँसी) मान्यवर, मैंने कल एक दवा मँगाई थी। जो दवा लाया वह कहने लगा कि नीचे दवा के क्या लिखा है। हमारे दिनेश जी पुराने बिजनेश मैन हैं भूल चूक लेनी देनी की जगह वह कह रहे थे बेनी–लेनी। आखिर यह प्रदेश कहाँ जा रहा है।

मान्यवर, मुझे ध्यान है, एक दिन मैंने माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से कहा कि विज्ञप्ति छप गयी है, उसमें शर्तें दूसरी हैं, किसी खास व्यक्ति को ठेका दिया जा रहा है। मैंने यह बात फोन से की, मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी बातों को आप लोग सुन भी लेते हैं। मान्यवर, मुझसे कहा गया यह ठेका नेशनल बिड पर मिलेगा। मैंने कहा जो 40 मीटर का पुल बन रहा है, वह 60 मीटर का पुल बना देना। माननीय मंत्री जी ने कहा नहीं-नहीं कोशयारी जी ऐसा नहीं होगा। मान्यवर, मैं प्रदेश की स्थिति का वर्णन कर रहा हूँ। मान्यवर, मैंने फोन किया और वहाँ से बेचारे अधिकारी का फोन आया हमारी नौकरी खतरे में पड़ गयी है। मान्यवर, इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिर हुआ क्या वही "ढाक के तीन पात"। मान्यवर, फिर दुबारा टेण्डर हुआ जिनको मिलना था, उनको मिला। मान्यवर, इन सब कारणों से आज जनता में अविश्वास का माहौल बनता जा रहा है।

मान्यवर, आज हाल यह है कि आज से लगभग तीन साल-चार साल पहले की स्वीकृत सड़कें हैं, लेकिन उन पर काम नहीं हुआ है। मान्यवर, आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ रही है। मान्यवर, बहुत दिन पहले अखबार में छपा था माननीय मंत्रीगण मुख्यमंत्री जी से मिले, और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि अधिकारी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, या नहीं मानते हैं। मान्यवर, मैंने मुख्यमंत्री जी को सुबह फोन किया, मैंने कहा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं मानते हैं। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जानते हैं हमारा कहना माननीय मंत्री भी कहाँ मानते हैं, किसी की कोई सुनता नहीं है।

मान्यवर, सदन के अन्दर जो दृश्य पैदा किया गया वह संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी संख्या बल के आधार पर आप विश्वास मत हासिल कर सकते हैं। परन्तु माननीय मंत्रियों का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, यह यदि सही नहीं हुआ तो प्रदेश के अन्दर विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। मान्यवर, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ हमारा अविश्वास माननीय तिवारी जी पर नहीं, बल्कि सरकार पर है। इस दृष्टि से आप सब लोग उस पर अपना सहयोग देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)-

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो चर्चा हुई उसमें मैं उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे माननीय कोश्यारी जी कुछ कृपा करें, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मंत्रीगण हमारी नहीं सुनते।

श्री भगत सिंह कोश्यरी-

मान्यवर, मैंने धीरे आवाज में कहा।

श्री नारायण दत्त तिवारी-

मान्यवर, धीरे कहा पर कहा तो। एक पुराना सिपाही जिसने सन् 52 में सीखा है आज भी सीख रहे हैं और मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैंने शब्द धीरे से इसलिए कहा कि उन्होंने कहा कि आखिर कौन सुन रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, माननीय भूतपूर्व मंत्री जी को बताया कि जैसे उनकी कैबिनेट शान्ति के साथ चलती है, उनको जानकर प्रसन्नता होगी कि तीन साल से अधिक पूरी गति के साथ कार्य कर रहे हैं। हाँ, यह कहा जा सकता है कि मैं शायद कम सुनता हूँ मगर ऐसा भी नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह कण्डारी जी द्वारा प्रस्तुत चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव है, उस पर श्री काशी सिंह ऐरी, माननीय नेता बसपा श्री हरिदास, श्री अजय भट्ट, श्री प्रकाश पंत, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री शहजाद, चौधरी यशवीर सिंह, श्री चन्द्रशेखर, श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपने विचार व्यक्त किये, चूँकि अविश्वास प्रस्ताव आया तो स्वाभाविक है कि विगत तीन वर्ष से जो बिन्दु प्रस्तुत किये जा रहे हैं उन्हीं बिन्दुओं की भाषा बदल कर यहाँ प्रस्तुत किया गया। मुझे आज कहने में गर्व है और मैं बसपा के साथियों को बधाई दे रही हूँ, बहन मायावती की आभारी हूँ, जिनकी टेलीफोन पर वार्ता हुई, बहन मायावती की ओर से विश्वास का संदेश प्राप्त हुआ है तो विश्वास का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, अभी तो यह देखना है कि और कितना विश्वास का सिलसिला बढ़ता है। अविश्वास के दिन विश्वास का संदेश आया है तो अविश्वास तो माननीय नेता प्रतिपक्ष उसी समय समाप्त हो गया, जिन्होंने स्वयं यह संदेश दिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल का नाम ही मातबर है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मात मान लीजिए तो मातबर होंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हम सभी के माननीय नेता सदन, नेता हैं, जिन पर केवल सत्ता पक्ष के लोगों पर विश्वास नहीं, प्रतिपक्ष पर भी विश्वास है, उनकी कार्यप्रणाली व्यवस्था पर सत्तापक्ष गर्व करता है और समय–समय पर कहता रहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसरण में मैंने कहा कि अविश्वास का प्रस्ताव हमारे नौजवान साथी ने रखा है।

मान्यवर, जो अभी नहीं पहुँचे हैं, अभी रास्ते में हैं आ रहे हैं। मैं अविश्वास की छाया में एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ बसपा का उन्होंने चर्चा होने के मध्य में विश्वास रख दिया। यह एक प्रमुख दल है जिसने यह किया उसने स्वतः ही प्रेरित होकर विश्वास मत रखा यह सदन के इतिहास में, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं

उन्हें ज्यादा इतिहास मालूम होगा, सदन के इतिहास में ये भी अपने आप में अनोखा उदाहरण बना है। उन्होंने कहा कि हम अविश्वास मत पर हमारे साथ खड़े होंगे। यह एक इतिहास लिखा जायेगा उत्तरांचल में कि किस तरह सदन में नेता प्रतिपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रखा और एक बड़े दल ने संख्या दृष्टि से उस पर विश्वास मत रख दिया। इतिहास में इसे लिखा जायेगा और आगे आने वाली सरकारें इसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगी। मैंने अपने ज्ञान में और जानकारी में सदन में पहली बार देखा जब अविश्वास पर चर्चा हो रही हो तो विश्वास मत एक बड़े दल द्वारा रखा गया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, दल की सम्बद्धता होगी इसकी घोषणा करें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह एक ऐतिहासिक घटना है इस छोटे से विधान सभा में।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय पंत जी को जैसी जानकारी थी विश्वास मत के सिलसिले में उन्होंने पूछा, यह पीछे से तो घट रही है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमारे तो आप भी मित्र हैं।

मान्यवर, विवाद है आपसी मत भेद होते हैं लेकिन मन के भेद नहीं होते हैं। पूरी तरह से विधान सभा में सभी सदस्य एक हैं कोई मतभेद नहीं है। सभी माननीय सदस्य पूरी तरह उपस्थित हैं, और पूरी तरह से इस अविश्वास के विरूद्ध मौजूदगी प्रस्तुत की है। मान्यवर, विरोध होना चाहिए, समालोचना होनी चाहिए मगर वह सार्थक हो।

मान्यवर, उन्होंने एक भी बिन्दु पर यह स्वीकार नहीं किया कि इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ें हैं। क्या पूरे राष्ट्र में, क्या पूरे विश्व ने यह नहीं देखा कि जब हमने घोषणा की कि हम इसे ऊर्जा प्रदेश बनायेंगे, जब हमने घोषणा की कि हम इसे पर्यटन राज्य बनाएंगे, जब हमने घोषणा की कि हम सड़क, पेयजल के बारे में आगे बढ़ेंगे तो क्या यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर देश के अन्दर और दुनिया के देशों में 3–3 पुरस्कार हमें दिये गये।

मान्यवर, ये पुरस्कार किसी सिफारिश से नहीं मिलते हैं। जब यू0पी0ए0 की नहीं एन0डी0ए0 की सरकार थी तब भी ये पुरस्कार हमें मिले। क्या यह भी स्वीकार करने में हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष को गुरेज है। 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रत्येक विभाग का विश्लेषण किया जाता है इसमें भी हम लगातार तीन साल से प्रथम आ रहे हैं। मान्यवर, ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ष 2005–2006 में हम सक्षम ही नहीं होंगे बल्कि अपने पड़ोस के राज्यों को ऊर्जा देने में भी हम सक्षम होंगे। आज भी कोरिया और जापान का ग्रुप बैठा हुआ है। उन्होंने हमारे कार्यों का नक्शा देखा और कहा कि हमें और काम दीजिए। उसी समय रात में श्री गिरि जी को बुलाया गया। एक एम0ओ0यू0 करने की इतनी बेकरारी और

चिन्ता क्या यह सत्य नहीं कि हमारे पड़ोसी राज्यों में जहाँ 1–2 घंटे बिजली आती है, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। यह हमारी प्रतिबद्धता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को दीर्घकालीन अनुभव है, योजनाओं के प्रति उनका ज्ञान है, इस राज्य को इस छोटे राज्य को इतना अधिक आगे बढ़ा चुके हैं कि यह राज्य देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा है।

मान्यवर, पहले जब हम गाँव–गाँव जाते थे तो लोग कहते थे कि लो वोल्टेज की समस्या है। आज हमारे उत्तरांचल में यह लो वोल्टेज की समस्या नहीं है। क्या इसे भी स्वीकार करने में कठिनाई है, हमने कहा कि हम ऊर्जा प्रदेश के रूप में आगे बढ़े हैं क्या इसे स्वीकार करने में कठिनाई है। मान्यवर, एक–एक, आधा–आधा किलोमीटर पर हैण्डपम्प सड़कों के किनारें लगे हैं। पिथौरागढ़ से लेकर पौड़ी से टिहरी तक हैण्डपम्प लगे हुए हैं। मान्यवर, 1970 से मैं क्षेत्र का भ्रमण कर रही हूँ। पहले इतने हैण्ड पम्प नहीं लगे हुए थे। आज कहीं ज्यादा लगे हैं तो कहीं कुछ कम लगे हैं। स्वजल के रूप में, ट्यूबेल के रूप में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में तमाम तरह के प्रयोग किये जा रहे हैं। इतनी अधिक नयी योजनाएं लागू हो रही हैं।

मान्यवर, देश की आजादी के बाद से सड़क निर्माण की दिशा में, गुणवत्तायुक्त सड़कों के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। इस पर भी मैं बहस के लिए तैयार हूँ। आज तक इससे पहले टेण्डर नहीं होते थे, नहीं निकलते थे, राष्ट्रीय बीडिंग काम्पटीशन से नहीं लिया जाता था अभी मात्र 3 वर्ष हुए हैं कहीं कहीं पर 30–30, 40–40 सालों का राज्य है उसकी तुलना की जाय हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत कार्य विकास के हुए हैं, मुझे भी जमीन से जुड़कर जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, हमने यह भी नहीं कहा कि वन विभाग के अड़चन आ रही है वन मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं। 100 सड़कें मंजूर हैं हमें कुछ दिक्कतें हैं पी0एन0बी0 का 22 करोड़ रुपया जमा करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रबन्धन की तारीफ करती हूँ और यह बात कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण ही इस प्रदेश में इतने विकास कार्य हुए हैं, उनकी दूरगामी नीतियों के कारण ही अभी 12वें वित्त आयोग से रु0 2700 करोड़ की योजना आई है, यहाँ राज्य में रक्षा में, शिक्षा में और नॉन प्लान में बजट आया है ए0डी0पी0 में, एशियन डेवलपमेंट बैंक का बजट है, वर्ल्ड बैंक का बजट है, यह ठीक है कि कुछ दिक्कतें हैं हम उनका भी समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर सर्वे में दिक्कत है कहीं पर वन विभाग की है। 18 महीने का जो आपका राज था हमने वह भी देखा। तो आपको क्या मालूम है कि कर्मचारियों की संख्या क्या थी, अधिकारियों की संख्या क्या थी, आज भी कमी है। जितने हैं वे काम कर रहे हैं वे रात में भी काम कर रहे हैं। आप कहते हैं हटा दो तो फिर काम कौन करेगा। अधिकारी कम हैं अभी भी और आवंटन नहीं होता है आवंटन होता भी है तो कभी रुटे आ जाता है।

आज प्रदेश में चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है वह रुकी नहीं है और न रुकेगी। आई0टी0 के क्षेत्र में आप देखिये यहाँ पर बिल गेट्स आये। जहाँ दक्षिण भारत में उन्होंने केरल को चुना वहीं उत्तर भारत में उत्तरांचल को चुना क्या हम यह कल्पना कर सकते थे कि उत्तरांचल में हर स्कूल में 6 से 12 तक कम्प्यूटर होगा, क्या

यह कल्पना कर सकते थे कि यहाँ पर जनरेटर लगेंगे। इंटरनेट की सुविधा जहाँ पर है उसे जोड़ने की आदेश दे दिये गये हैं। आज यह कहा जाता है कि जनरेटर खराब हो रहे हैं तो यह बात विरोध के लिए नहीं कहनी चाहिए। यदि ऐसा है तो हमारी सब की जिम्मेदारी है अगर हम विकास चाहते हैं तो हमें जिम्मेदारी भी निभानी होगी। अभी मैं प्रदेश के कोने-कोने में जाती हूँ और देखती हूँ कि हर जगह पर लोग अपने छोटे-छोटे बच्चों को कम्प्यूटर सिखा रहे हैं तो बड़ा गर्व होता है।

आज बच्चों को इंटरनेट की जानकारी मिल रही है, यह भी गर्व की बात है। अभी पेट्रोलियम संस्थान की भी बात आई तो मुझे यह कहते हुए गर्व है कि पूरे देश में पेट्रोलियम की डिग्री मात्र उत्तरांचल में मिल रही है। मैंने पूरे देश में हर बारे में पूछताछ की तो पता चला कि मात्र देहरादून में ही इस विषय की डिग्री दी जाती है। अभी मेरे पास एक नोट आया है, जब इस विषय की मुझे जानकारी हुई तो मैंने वह मंगाया, प्रकाश पंत जी ने प्रकरण उठाया था कि कुछ विषयों पर हम सुविधा दें तो इसका विस्तार होगा। इसलिए इसे सेन्ट्रलाइज किया गया कि ताकि सेन्ट्रलाइज के बाद इसकी ब्रांच बने। आज शिक्षा के क्षेत्र में हमने एक्सीलेंस को बढ़ावा दिया है, शिक्षा से मैं जुड़ी रही हूँ और मुझे गर्व है कि हम यह काम कर रहे हैं।

मान्यवर, आज चाहे हार्टीकल्चर का क्षेत्र हो या एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पंतनगर विश्वविद्यालय को अच्छे बीज पैदा करने का श्रेय प्राप्त है, शोध का श्रेय प्राप्त है। फलों तथा फूलों के निर्यात में हम काफी आगे आये हैं। अभी मैं टी0वी0 में देख रही थी, आज बेमौसमी, फलों तथा सब्जियों का निर्यात हमारे यहाँ से हो रहा है। लीची तथा अमरूद का निर्यात हमारे यहाँ से हो रहा है। दो हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है, देहरादून और पंतनगर कॉमर्शियल हवाई अड्डों के विस्तार में वहाँ के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 3 वर्षों में हमने जो ऐतिहासिक मापदण्ड स्थापित कर दिये हैं, ऐसा किसी अन्य राज्य के लिए सम्भव नहीं है। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आना स्वीकार इसलिए किया कि उत्तरांचल को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। पैसे और नियोजन के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं।

कर्मचारी हितों के बारे में कहना चाहती हूँ, मैं स्वयं कर्मचारी हितों से जुड़ी हुई हूँ। हमने कर्मचारी संगठनों के साथ कई वार्ताएं की हैं। उनमें से अधिकांश सफल हुई हैं। जो संगठन बच गए हैं, उनके साथ भी हमारी वार्ता सफल होगी। इस राज्य के कर्मचारियों और शिक्षकों का सम्पूर्ण विश्वास इस सरकार में है। संगठनों में कई नये-नये लोग भी आए हैं, लीडरशिप नयी है, जब ये लोग हमारे पास आते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि अभी आप लोग नए हैं, पुरानी लीडरशिप उत्तर प्रदेश में छूट गयी है, आप लोग ऐसे कीजिए, तो वह लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं कि इनके कल्याण के लिए वित्त और नियोजन की आवश्यकता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि 5वें वेतन आयोग का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में हुआ था। उसे आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक कमेटी बनी हुई थी। हमने अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश से आये कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया है।

कुछ लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास के बारे में बात की, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास के लिए, उनको आरक्षण देने के लिए हम कटिबद्ध हैं। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान और ट्राइबल सब प्लान जितनी भी योजनाएं भारत सरकार के अन्तर्गत हैं, उन सबको हमने यहाँ पर लागू किया है। अभी इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ पर आँकड़े रख सकूँ। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर और गरीब लोगों के लिए जो काम हमारी सरकार ने किया है, उसको देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका विश्वास हमें प्राप्त है। उद्योगों के बारे में भी कहा गया, 10 हजार करोड़ की पूँजी का निवेश 2 जगह लगने वाले उद्योगों पर हो रहा है। सिडकुल की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है। मुझे याद है नियम 58 में एक बार यह मामला आया था, तो मैंने कहा कि इसको स्वीकार कीजिए, हम सदन के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि इन उद्योगों में 65 से 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला है। मैंने कोशिश की थी, इसके कागज मुझे यहाँ पर मिल जाए लेकिन वह नहीं मिल पाए। सिडकुल की ओर से सर्कुलर जारी किया गया और हरिद्वार और पंत नगर के अधिकारी नियुक्त किये गए हैं, जो कैम्प लगा कर रजिस्ट्रेशन करेंगे, हो सकता है कि कहीं पर वह न पहुँचा हो। हम किसी को गुमराह नहीं करना चाहते हैं। आपकी ही तरह हम भी चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिले।

मान्यवर, हम उसी भावना से कार्य कर रहे हैं। यह ठीक है कि सरकारी सेवायें सीमित हैं फिर भी हमने शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल के क्षेत्र में यहाँ के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराये हैं। अभी माननीय सदस्य डाक्टरों की बात कर रहे थे हमारी सरकार ने सुदूर पर्वतीय अंचलों में स्पेशलिस्ट डाक्टरों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। हमसे लोग कहते भी हैं कि आप 50-50 हजार रुपये वेतन के रूप में देकर इन डाक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं इतना वेतन इनको क्यों दे रहे हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जो निर्धन एवं गरीब लोग चलकर यहाँ पर नहीं आ सकते हैं और क्षेत्र काफी दूर भी है उनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव आया है और उसे कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी कि उनकी नियुक्ति अब शीघ्र ही हो जायेगी। सुदूर अंचलों में अस्पतालों के निर्माण के लिए और स्पेशलाइजेशन के लिए काफी कार्य हुआ है। जो भी कार्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा किये जा रहे हैं उससे आप सब भी परिचित होंगे। हमारी सरकार का प्रयास है कि हर जगह प्रशिक्षित ए0एन0एम0 हो ताकि हमारी माताओं और बहनों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इतने बड़े इलाके में जिस रफ्तार से विकास के कार्य हो रहे हैं वह अभूतपूर्व है फिर भी इतने प्रयासों के बावजूद भी हो सकता है कोई क्षेत्र उपेक्षित रह गया हो।

माननीय कण्डारी जी ने एवं माननीय कोश्यारी जी ने भ्रष्टाचार की बात यहाँ पर उठाई। माननीय कोश्यारी जी ने भ्रष्टचार का एक उदाहरण दिया हमने फौरन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से इस सम्बन्ध में जानकारी चाही उसने मुझे उत्तर दे दिया है मैं इसे सदन में प्रस्तुत कर दूँगी। कहीं कोई हेरा फेरी नहीं है। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है भ्रष्टाचार की हर चुनौती का हम सामना करेंगे। भ्रष्टाचार का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभी कण्डारी जी ने कहा कि घूस लेते हुए कई अधिकारी पकड़े गये।

मान्यवर, किसने पकड़े वे विजिलेंस वालों ने पकड़े वे सरकार द्वारा ही तो पकड़े गये। इस सरकार की नीयत साफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार बयान दे चुके हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जिन अधिकारियों पर उँगली उठती है उनके खिलाफ विजिलेंस इन्क्वायरी होती है और दोष सिद्ध होने पर उन्हें निलम्बित भी कर दिया जाता है तथा उनके द्वारा किये गये भ्रष्ट आचरण की सजा भी दी जाती है। भ्रष्टाचार तो विकास के कार्य में एक बाधक है और हम सब एक चौकीदार की तरह कार्य देख रहे है कि कहीं भी भ्रष्टाचार न हो। यदि आप द्वारा किसी भी भ्रष्टाचार की बात की जाती है तो हम उसकी अवश्य जाँच करायेंगे।

जब कभी भी नेता प्रतिपक्ष और माननीय श्री कोश्यारी जी द्वारा कोई बात फोन पर भी हमें बताई जाती है तो हम और हमारी सरकार उसे गम्भीरता से लेती है और सम्बन्धित विभाग को तुरन्त फोन भी किया जाता है और हम विभाग के उच्चाधिकारियों से भी कहते हैं कि माननीय सदस्यों की बात को गम्भीरता से लिया जाए। हम कतई उपेक्षा नहीं करते हैं। चाहे वह माननीय सदस्य श्री ऐरी जी हों या हरिदास जी हों सब की बातों को गम्भीरता से लिया जाता है। माननीय सदस्य सामने बैठे भी हैं मैं कोई बात गलत या असत्य नहीं कर रही हूँ। हमने कभी पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं किया। सरकार पूरी शक्ति के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रही है और समस्याओं का निदान भी पूरी शक्ति के साथ होगा। मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी हमारे मित्रों को नियमावली पढ़ा रहे थे। ठीक है सदन में अपनी बात को कहने का अधिकार प्रत्येक सदस्य को है। कभी–कभी कोई माननीय आक्रोशित भी हो जाते हैं। लेकिन यदि सत्ता पक्ष के किसी माननीय सदस्य द्वारा सरकार के विरुद्ध मतदान किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जाती है। किस बात को किस समय कहें और कहाँ पर कहें वह अलग बात है, एक अलग प्रश्न है। बहुत से माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं, बहुत से लोग जीवन भर यहाँ पर आने के लिए दौड़ते रह जाते हैं किन्तु यहाँ पर नहीं पहुँच पाते है।

मान्यवर, हमारी सरकार विकास के कार्यों को बहुत तेज गति से कर रही है। फिर भी कहीं कोई कमी रह भी जाती है जैसे बहुत अच्छा भोज बना हो फिर भी लोग कह देते हैं, चटनी नहीं थी। चटनी होती तो मजा आ जाता।

मान्यवर, रिस्पुनापुरम् में कुल 82 आवास निर्मित हैं, जिनमें से 63 आवास आवंटित किये जा चुके हैं। 14 आवास अपूर्ण होने के कारण आवंटित नहीं किये गये हैं। पूर्ण होने पर आवंटित किये जायेंगे। मान्यवर, एम०डी०डी०ए० द्वारा आवासों का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था कि जो वहाँ रह रहे हैं उनकी विनियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सभी जितने भी कब्जेदार हैं, उन सबका विनियमितीकरण कर दिया गया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी द्वारा दिये गये आदेश का पालन करना हमारा दायित्व है। एम0डी0डी0ए0 ने इन आवासों को, जो इन आवासों में स्वतः चले गये थे मान्यवर, जब यहाँ पर प्रश्न आया ये नियमित कर दिये गये, इनकी माँग थी। मान्यवर, 82 आवासों में से 63 आवास आवंटित किये जा चुके हैं। 14 आवास अपूर्ण होने के कारण आवंटित नहीं किये गये हैं। मान्यवर, शेष 5 आवास ऐसे हैं जिन पर निवास कर रहे कर्मचारियों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है, जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी उन्हें भी आवंटित कर दिया जायेगा। मान्यवर, इनको नियमितीकरण कर दिया जायेगा, पूरी तरह से इसका पालन किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन मंत्रिपरिषद् में अविश्वास व्यक्त करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वर्ष 2005–06 के बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अनुभवी हैं लेखानुदान लाने की आवश्यकता नहीं थी, कितना अच्छा होता यदि आप पूरा बजट एक साथ लाते। मान्यवर, लेखानुदान तब लिया जायेगा जब यदि कर का निर्धारण न होना पाये, प्लान बनाने का समय न मिला हो नये मुख्यमंत्री को। इन्हीं कारणों से लेखानुदान लाया जाता है। मान्यवर, यह व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। मान्यवर, सरकार जो बजट आवंटित करती है उसकी जून में पहली किस्त, अगस्त, सितम्बर माह में दूसरी किस्त तथा तीसरी किस्त दिसम्बर माह में विभागों को दी जानी चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था करेंगे तो प्रदेश का भला होगा, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो भला होने वाला नहीं है।

मान्यवर, मैं सरकार की मंशा को भलीभाँति जानता हूँ, इस सरकार ने उत्तरांचल की जनता के ऊपर कर्ज का बोझ डाल दिया है, जहाँ तक मुझे मालूम है 9404.52 करोड़ का कर्जा उत्तरांचल की जनता के ऊपर है। मान्यवर, यदि हम इसका अनुमान लगायेंगे तो एक नागरिक के ऊपर 10 हजार का खर्चा है, तो कितना अच्छा होता यह खर्चा हम कम करते। आपने कह दिया कि हमने कर नहीं लगाया। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने जल मूल्य, जल कर, बिजली की दरों में वृद्धि, मण्डी शुल्क बढ़ाया, सीवर चार्जेज पहले 2 रुपया था अब हमारी सरकार ने उसको 15 रुपये पर सीट कर दिया, पहले 50 रुपया जल कर होता था अब सरकार ने 50 रुपया प्रत्येक टोटी कर दिया। अगर हमारे घर में 6 टोटियाँ हैं तो हम को 300 रुपया प्रति माह जलकर देना पड़ेगा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कर मुक्त बजट है और दूसरी तरफ कर लगा रहे हैं, तो यह हम कैसे माने।

मान्यवर, सरकार कहती है कि परिव्यय को 12 सौ करोड़ रुपये से 18 सौ करोड़ रुपया और 18 सौ से 27 सौ करोड़ रुपया कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस परिव्यय में हम साल भर में कितना खर्चा करते हैं, जितना परिव्यय हम निश्चित करते हैं उस परिव्यय को खर्च नहीं कर पाते हैं। सरकार बजट पेश करती है और कहती है कि हमने विभिन्न विभागों को इतना–इतना धन, मगर सरकार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा विभाग ने उस पैसे का सदुपयोग किया या नहीं किया, यही खामियां हैं जब सरकार खर्च नहीं करती तो विकास कहाँ से होगा, मैं आपके संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूँ, यह भी विचार करें कि किन–किन विभाग के पी0एल0ए0 में कितना धन पड़ा है, यदि आप समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा कि फलां–फलां विभाग के पी0एल0ए0 में कितनी धनराशि है, फिक्स डिपाजिट में कितना पैसा है। अगर पैसा पी0एल0ए0 और फिक्स डिपाजिट में होगा तो विकास कहाँ से होगा।

मान्यवर, मेरा कहना है कि वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन और इनकी समीक्षा की बात आपने कहीं। बजट आपने पारित कर दिया। मान्यवर, प्रति वर्ष राजस्व घाटे में वृद्धि हो रही है और अनुमानित घाटा 429.23 करोड़ बताया। मान्यवर, 375 करोड़ रुपया लोक लेखा के समायोजन में करेंगे, यह लोक लेखा का पैसा सरकार का नहीं है। यह किसी और का है और उसको आप समायोजित करके घाटे को कम दिखा रहे हैं, अर्थात् प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, वास्तव में स्थिति सामने आ जाये तो प्रदेश की जनता के हित में रहेगा। मेरा निवेदन है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब एक हजार करोड़ परिव्यय था उस वक्त 850 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जब 2002–03 में परिव्यय था, 14 सौ करोड़ था वह खर्च एक साल का हुआ। 2003–04 में 17 सौ करोड़ का परिव्यय था और खर्च 12 सौ करोड़ का हुआ और 2004–05 में इस समय फरवरी तक 11 सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ, 7 सौ करोड़ खर्च होना शेष है, अब हम कल्पना कर सकते हैं कि एक माह में 7 सौ करोड़ खर्चा कैसे हो पायेगा।

मान्यवर, यह व्यवस्था होती है यह बजट है 31 मार्च को वारा न्यारा कर दिया जाता है। मैंने पहले समीक्षा की बात की थी कि दिसम्बर तक सारा बजट विभागों को आवंटित किया जाना चाहिए। पहली किस्त जून कहा दूसरी सितम्बर और तीसरी दिसम्बर कहीं। तीसरी किस्त दिसम्बर में दी जाती है तो उसको खर्च करने के निर्देश दिये जाने चाहिए। मेरा कहना है कि इससे अच्छा परिणाम आयेगा, अन्यथा नहीं आयेगा। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने लच्छेदार भाषण दिया। मान्यवर, फील्ड में काम दिखायी देना चाहिए। संक्षेप में कहना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम में हम अव्वल रहे, इसमें आपने अच्छा काम क्या किया।

मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी मैं ऋषिकेश गया तो वहाँ पर मुझे श्री बुद्धि सिंह नेगी मिले जो कांग्रेस के नेता हैं तो वह वहाँ पर गड्ढा खोद रहे थे तो मैंने पूछा कि क्या कर हो तो उन्होंने कहा कि अपनी सरकार को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ क्योंकि हमारी सरकार सही काम नहीं कर रही है। ऐसा मान्यवर, कांग्रेसी भाई कह रहे हैं। आपने कहा सड़कों के लिए इतना पैसा दिया, माननीय अध्यक्ष जी आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उत्तरांचल में जहाँ भी सड़क बन रही है, वह प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बन रही है। कहीं विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है तो वह भारत सरकार के द्वारा दिये गये पैसे से हो रहा है यह अटल बिहारी बाजपेयी की देन है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, काम हो रहा है चाहे इसे आप अटल जी की ही देन मान लें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरा कहना इतना है कि मैं अपनी पीड़ा रख रहा हूँ। आपने कहा नेता प्रतिपक्ष बोल देते हैं। कोश्यारी जी कह देते हैं तो काम कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई कार्य किया हो तो बतायें।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं सदन में नहीं कहूँगी।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, तीन साल में आपने हमारे एक काम भी नहीं किये।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, काम बिगाड़ा तो नहीं होगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आप विभिन्न विभागों को पैसा देते हैं, ऊर्जा को दिया, सड़क को दिया, पेयजल को दिया मैं जानना चाहता हूँ कि ग्राम्य विकास के लिए आपने क्या किया। बजट का 60 प्रतिशत भाग गाँव के विकास की ओर जाना चाहिए। माननीय प्रीतम सिंह जी बहुत अच्छे मंत्री हैं, आप उनको बजट नहीं देते हैं। एक निवेदन मैं करना चाहूँगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपने लच्छेदार भाषण देकर अविश्वास मत को जीत लिया। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अन्तरात्मा की आवाज से मत होते, सत्ता पक्ष के कम से कम 22 सदस्य हमारे साथ होते। गुप्त मतदान होता तो हम जीत जाते। मान्यवर, सरकार ने लच्छेदार भाषण देकर गुप्त मतदान करवा दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने मतदान की माँग ही नहीं की।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, आपने कहा कि मतदान नहीं हुआ। मान्यवर, सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है। यह अंश कार्यवाही से निकाल दिया जाये। (व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी और बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान भी कई बार अन्तरात्मा की आवाज शब्द का प्रयोग दोनों ओर से हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी समझ है, खास तौर पर राष्ट्रीय दलों की अन्तरात्मा की आवाज की परिभाषा अलग होती है।

श्री मातबर सिंह--

मान्यवर, मैं अनुरोध कर रहा हूँ अगर हमको उत्तरांचल का चहुँमुखी विकास करना है, अगर राज्य के विकास को गति देनी है तो प्रत्येक गाँव के विकास के लिए हमें कार्ययोजना बनानी होगी, गाँवों के विकास के लिए हमें कार्ययोजना बनानी होगी, गाँवों के विकास के लिए बजट का 60 प्रतिशत खर्च करना होगा। आज विकास कैसे हो रहा है? आपके पास खुफिया विभाग है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप खुफिया विभाग से एक रिपोर्ट तैयार करवा लें कि सरकार के कार्यों के बारे में जनता क्या राय रखती है। मान्यवर, इस रिपोर्ट से असलियत सामने आ जायेगी। नॉन प्लान का बजट प्रति वर्ष बढ़ रहा है और विभागीय ढांचा हम बढ़ा करते जा रहे हैं। प्लान का बजट घट रहा है। यदि प्लान का बजट घटेगा और नॉन प्लान का बजट बढ़ेगा तो इससे विकास नहीं होगा।

सरकार को चाहिए कि नॉन प्लान का बजट घटायें और प्लान का बजट बढ़ायें तभी विकास हो सकेगा। आई0टी0 पार्क, हर्बल पार्क ये सब हवाई उड़ाने हैं। आपने कहा कि हम पेट्रोलियम विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं, दून विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि ये दून विश्वविद्यालय बनाने से पहले हमको बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा महाविद्यालयों में सुधार लाना होगा। जितने भी राजकीय महाविद्यालय हैं वे एक अध्यापक के बल पर चल रहे हैं। मैं यदि गलत बोल रहा हूँ तो कहिये। मेरा कहना है कि जब तक हम प्राईमरी से उच्च शिक्षा तक में सुधार नहीं लाएंगे तब तक दून विश्वविद्यालय की स्थापना से कोई लाभ नहीं होगा, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय से क्या लाभ होगा। पहले हम जड़ में जाये तो अच्छा होगा। विभागों पर नियंत्रण सिंचाई विभाग के बारे में मैं पढ़ रहा था कि जिस स्टीमेट को जिस आगणन को 7 और 8 लाख का होना चाहिए था, वह आगणन सिंचाई विभाग द्वारा 70 और 80 लाख का बना दिया गया फिर जाकर शासन स्तर पर उस पर अंकुश लगा। मैं कहना चाहता हूँ कि फर्जी आगणन कैसे बना, इस पर रोक क्यों नहीं लगती है।

मान्यवर, कभी सरकार ने यह सोचा कि हमारे प्रदेश में कौन-कौन ईकाइयां बन्द पड़ी हैं, मान्यवर, आपकी ही विधान सभा क्षेत्र में रामगढ़ में एक फास्ट फूड फैक्टरी है वह किसको दी गई, कितने में दी गई और क्यों दी गई ? इसी प्रकार से हल्दूचौड़ में सोयाबीन फैक्टरी है, वह भी किसी को दे दी गई, यह क्यों दी जा रही है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जसपुर और काशीपुर में कताई मिलें बन्द पड़ी हैं, आखिर कैसे इनको चलाया जाय इसका प्रावधान बजट में होना चाहिए था। (व्यवधान)

मान्यवर, जितनी भी ईकाइयां बन्द हैं इनको कैसे चलाया जाय इस ओर गम्भीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। हिल्ट्रान की बात है जब मैं पर्वतीय विकास मंत्री था तो मैंने उसकी समीक्षा की थी तो वह 16 करोड़ से अधिक घाटे में था आज वह घाटा क्या होगा मुझे नहीं मालूम, तो वह 16 करोड़ से अधिक घाटे में है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। परिवहन मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं आपका परिवहन निगम 13 करोड़ के घाटे में चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, परसों हमने देखा 22 विधायक बाहर बैठे थे आज पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया कि..।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने इंगित कर ही दिया है तो मैं कहना चाहती हूँ कि यह परम्परा है कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हों तो कम से कम उनके दल के लोग तो यहाँ पर उपस्थित रहें।

श्री मातबर सिंह–

आप मेरे खिलाफ ही प्रस्ताव ले आइये।

(हँसी)

*श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, हमारे सभी सदस्य अन्तरात्मा से यहीं पर हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हमारे यहाँ डेढ़ लाख के अकेले त्रिवेन्द्र जी हैं और ढाई लाख के बराबर चन्द्रशेखर जी हैं और आशा नौटियाल जी एवं विजय बड़थ्वाल जी भी यहाँ पर हैं।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आप भी मेरी बात को स्वीकार करेंगे जिस प्रकार से सरकार ने अविश्वास मत को हासिल कर दिया और छल प्रपंच और शब्दों के जाल से आप विजयी हुए उससे आहत होकर विधायक विश्राम कर रहे हैं क्योंकि हमारे विधायक छल कपट को पसन्द नहीं करते हैं। मान्यवर, जितनी इकाइयां बन्द पड़ी हैं उनको चालू करा दिया जाय या फिर इसका रास्ता निकाला जाय कि ये इकाइयां कैसे चलें। मान्यवर, लोहाघाट में एक सीमेन्ट फैक्टरी लगाने की कोशिश हुई गंगोलीहाट से वहाँ कच्चा माल ले जाया गया तो इस प्रकरण में कितना खर्चा हुआ होगा, इस पर सरकार ने भी विचार किया। इसी प्रकार से पशु प्रजनन केन्द्र खांकरा, रुद्रप्रयाग खोला गया था उस पर 5 लाख रुपये खर्च हुए और आज वह बन्द पड़ा है, वहाँ पर आज गोरखा रहते हैं, नेपाली मजदूर रह रहे हैं। इसी प्रकार से पशु प्रजनन केन्द्र, आखड़ी रुद्रप्रयाग में 5 लाख रुपये खर्च हुये, वहाँ पर आज भवन वीरान पड़ा है, उसके शीशे फूटे हैं। इस ओर सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी सरकारी सम्पत्ति का कितना उपयोग हो पा रहा है।

माननीय पर्यटन मंत्री जी यहाँ पर हैं, इन्होंने थोड़ा पर्यटक आवास गृह आदि बनाये हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन इससे भी जसोली में हरियाली देवी के पास एक पर्यटक आवास गृह बनाया गया वह आज वीरान पड़ा है। तो इस प्रकार से सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी परिसम्पत्तियों का कितना दुरूपयोग हो रहा है, इसे रोकने के उचित प्रयास किये जाने चाहिए। मान्यवर, इसी प्रकार एक ट्राईसिम केन्द्र खोला गया जो तिलवाड़ा में खोला गया था, उसको भी खानापूर्ति करके ग्राम सभा को दे दिया गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हम जिन बिन्दुओं को विधान सभा में उठाते हैं, उन बिन्दुओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि जो जायज बातें हम यहाँ पर उठाते हैं, उन पर सरकार कार्रवाई करे, अन्यथा इन बातों को यहाँ पर उठाने का क्या फायदा ? मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की सारी प्रापर्टी खत्म हो रही है। उद्योगों के बारे में आपने कहा कि हमने इतनी भूमि औद्योगिक इकाइयों को दी है, यह औद्योगिक इकाइयां केवल तब तक यहाँ पर रहेंगी, तब तक अपने उद्योग धंधों का नाटक करेंगी, जब तक उनको अनुदान प्राप्त होता रहेगा, उसके बाद मुझे विश्वास है कि इनका हश्र वही होगा जो सेलाकुई में हुआ है। अनुदान ले लिया है लेकिन उसके बाद भी प्रापर्टी बीरान पड़ी हुई है। सरकार को ऐसी औद्योगिक इकाइयों के बारे में सचेत रहना चाहिए। धरातल पर कार्य करना चाहिए। हमारी सरकार उनको अनुदान दे, सड़क बना कर दें, उसके बाद वे यहाँ से रफूचक्कर हो जायेंगे तो इससे उत्तरांचल के लोगों का भला होने वाला नहीं है।

मेरा एक निवेदन है, इसको अन्यथा न लिया जाय। हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून का विकास होना चाहिए, यहाँ पर उद्योग धन्धे लगने चाहिए। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जो औद्योगिक इकाइयां बन्द पड़ी हैं, इनमें वर्षों से कोई काम नहीं हो रहा है, इस बजट में उन मृत इकाइयों के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। वहाँ पर कारखाने लगाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। आखिरकर जो पर्वतीय क्षेत्र की जनता है, वह रोजगार के लिए कहाँ जाएगी ? क्या पिथौरागढ़ का आदमी हरिद्वार आयेगा? क्या गुन्स्यारी का आदमी देहरादून आयेगा? वहाँ पर उद्योग लगाने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिये लेकिन वहाँ के लोगों को रोजगार देने का कोई प्रयास सरकार द्वारा नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं।

मान्यवर, पिथौरागढ़ में चूरा होता है, उससे बनस्पति बनता है लेकिन सरकार ने कभी उससे बनस्पति बनाने का कोई प्रयास नहीं किया यदि सरकार ऐसा करती तो वहाँ के लोगों को उससे रोजगार मिलता। मान्यवर, बागेश्वर और चमोली में सॉफ्ट स्टोन है। जब मैं बागेश्वर के कांडा में गया तो मैंने वहाँ के एक व्यक्ति से पूछा कि आप इस साफ्ट स्टोन का क्या करते हैं तो उसने कहा कि अपने खेतों से इसकी खदान करते हैं, उसके बाद कट्टे में भर कर उसकी ढुलान करके सड़क पर ले जाते हैं, तो हमको 30 रुपया मिलते हैं। जिन लोगों के खेत में सॉफ्ट स्टोन है, इन लोगों का शोषण हो रहा है। कितना अच्छा होगा कि सॉफ्ट स्टोन पर आधारित उद्योग बागेश्वर और चमोली में लगाया जाय। चूरे पर आधारित बनस्पति का कारखाना पिथौरागढ़ में लगाया जाय।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि वन विभाग ने ए०ओ०आई० जारी किया है, जिसमें वर्तमान चूरे के वृक्षों का ही प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि नये वृक्षों का भी रोपण करेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इसकी पूरी बेल्ट बना देंगे तो अच्छा होगा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जैसे हमने बांस और फैंटरोफा के लिए योजना बनायी थी, उसी प्रकार हमने टैक्सस, बफाटा और त्रिफला के लिए एडवरटाईज दिया है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, उत्तरांचल में रिंगाल बहुत होता है।

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, रिंगाल को बांस वाली परियोजना में शामिल किया गया है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपने तो उल्टी गंगा बहा दी। मान्यवर, उत्तरांचल में लीसा कितनी मात्रा में होता है। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आप अपनी अन्तरात्मा की आवाज से पूछिए कि लीसा पर आधारित उद्योग हमारे पर्वतीय जनपदों में लगने चाहिए या नहीं। चम्पावत की लीसा फैक्टरी बन्द पड़ी है, इसी प्रकार से तिलवाड़ा की लीसा फैक्टरी बन्द पड़ी है। यदि पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित जो कच्चा माल है उसे सम्बन्धित उद्योग लगें तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा अन्यथा यहाँ के नौजवान रोजगार की तलाश में भटकते रहेंगे। हमारे क्षेत्र में आलू की पैदावार बहुत होती है आज बाजार में अंकल चिप्स 15 रुपये का एक पैकेट मिलता है। मैदान के लोग आलू का फायदा जिस प्रकार से उठा रहे हैं अंकल चिप्स बनाने में वैसे ही हम भी उठा सकते हैं। हमारे आलू का उपयोग अंकल चिप्स बनाने में किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी स्थानीय रोजगार से सम्बन्धित जो कार्य हैं नौजवानों के लिए उनके लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। नौजवान युवक बेरोजगारी के कारण काफी परेशान हैं, उन्हीं की पीड़ा को मैं सदन में उठा रहा हूँ। इसी प्रकार से छोटे–छोटे उद्योगों का जाल जैसे अंकल चिप्स अदरक का अचार जो बहुत मात्रा में यहाँ पर होता है तथा माल्टे का जूस आदि से सम्बन्धित उद्योग यहाँ पर लगायें जा सकते हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, आप स्वदेशी पर ही अपना भाषण दे दें। (हँसी)

श्री मातबर सिंह–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान मैं स्वास्थ्य की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। हम आज बहुत से मिलावटी पेय पदार्थों को पी रहे हैं। यदि हम शुद्ध पेय पदार्थों को लेंगें तो उससे यहाँ के लोगों का तथा जब यहाँ शुद्ध चीजें यहाँ से बनकर अन्य प्रदेशों में जायेंगी तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ होगा।

मान्यवर, बागेश्वर में नाशपाती और संतरों का बहुत उत्पादन होता है उनका उपयोग मार्केट में नहीं हो पाता है बहुत बड़ी संख्या में वे सड़ जाती हैं। यदि उसके विपणन की व्यवस्था हो तो स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। मान्यवर, हम पंजाब

में निर्मित कैश्मिलॉन का स्वेटर यहाँ पर पहनते थे हमारे यहाँ उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरगढ़ के भेड़ पालकों की ऊन सड़ रही है। उनकी बिक्री के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, यहाँ पर ऊन आधारित उद्योग लगने चाहिए। जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस साल का बजट भी पढ़ा और विगत तीन वर्षों का बजट भी पढ़ा है। बजट में धीरे-धीरे कटौती की जा रही है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने पहले कहा था कि हम इतने अस्पताल खोलेंगे किन्तु अब उसकी संख्या में कमी होती जा रही है और अब लगभग स्थिति शून्य पर आ गई है। ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी ने पहले बड़े उत्साह में आकर बड़ी योजनाएं बनाई, और बाद में चुप हो गये।

मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने अपने बजट भाषण में कभी कहा सरकार सड़कों को प्राथमिकता देगी, कभी स्वास्थ्य, कभी पेयजल और अब आपने किसी और चीज को प्राथमिकता दे दी है। मान्यवर, यहाँ पर हमारे मुख्य सचिव जी भी बैठे हैं, इन्होंने स्वयं बोला है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ कमियाँ रह गयी हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यहाँ पर अधिकारियों की बातों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, ऐसे में हमारे प्रदेश का कैसे भला होगा। इसमें कहीं पर आपने ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार पर हम अंकुश लगायेंगे। एक भी शब्द इसको समाप्त करने के लिए नहीं कहा, कहीं पर भी आपने अफसरशाही को समाप्त करने की बात नहीं कही। जनता के उत्पीड़न को रोकने की बात आपने कहीं पर भी नहीं कही, इस सम्बन्ध में आपने मौन साध लिया है। प्रदेश की जनता जिसके मुखिया आप हैं आपसे जनता को बहुत उम्मीदें हैं। यदि हमारा उत्पीड़न होगा हम अपनी सरकार के पास जायेंगे, मगर इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

मान्यवर, आबकारी नीति की जहाँ तक बात है, आपने इसमें पर्ची निकालने का काम कर दिया है और आठ महिलाओं की पर्ची निकाल दी।

मान्यवर, आबकारी में यदि राजस्व बढ़ाना है तो इसमें मेरा सुझाव है कि आप गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूँ मण्डल को सब दुकानें दे दें, इससे आपका राजस्व बढ़ेगा। यह जो सिंडिकेट कब्जा किये हुए हैं और शराब की जो तस्करी हो रही है आये दिन जीप में जो शराब तस्करी हो रही है, उस पर रोक लग जायेगी। मान्यवर, किसी को लाभ पहुँचाने के लिए पर्ची व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। मान्यवर, मितव्ययिता के बारे में सरकार ने कहीं पर कुछ नहीं कहा यदि सरकार मितव्ययिता नहीं करेगी तो विकास का पैसा व्यर्थ खर्च होगा। मान्यवर, विदेश यात्रा पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। मान्यवर, जिस दिन मैं विदेश यात्रा पर चला जाऊँगा, उस दिन अपने पद से त्याग पत्र दे दूँगा।

मान्यवर, मनोरंजन भत्ता पहली बार सुन रहा हूँ, इस पर एक हजार पौण्ड खर्च कर दिया, मनोरंजन भत्ता एक अलग हेड बनाया गया, मैं चाहूँगा कि इसको आप संज्ञान

में लें और इस पर अंकुश लगायें। हमारा कहना है कि विभागों में विभिन्न गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं और तब भी नई–नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि एक समीक्षा होनी चाहिए कि किस विभाग में कितनी गाड़ी हैं और कितनी फालतू हैं, नई गाड़ी अनावश्यक नहीं खरीदनी चाहिए, विकास में पैसा लगना चाहिए। मान्यवर, टेलीफोन, फर्नीचर और आलीशान भवन पर अंकुश लगायें, अगर इसमें खर्च कर दिया तो विकास नहीं होगा। राजस्व बढ़ाने के लिए व्यापार कर में जो हो रहा है उसको कैसे रोकें इसके लिए हम प्रयास करें, मगर आप कह देंगे कि हमने चौकियाँ खोल दी हैं। मान्यवर, कभी तो सरकार कहती है कि वैट को लागू करेंगे, कभी सरकार कहती है वैट करेंगे, इंतजार करेंगे। मेरा एक निवेदन था कि जरा सी कृपा करें मेरे ऊपर और मेरे ऊपर नहीं करते हैं तो कम से कम प्रदेश की जनता के ऊपर दया करें।

मान्यवर, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक सदन में बैठे हैं, क्या कभी सरकार ने यह पूछा कि हम बजट बनाने जा रहे हैं आपके क्या–क्या सुझाव हैं, क्या मंत्रीगणों को पूछा गया, क्या माननीय विधायकों को पूछा गया। कुछ हमारे माननीय विधायकगण अर्थशास्त्री भी होंगे, कुछ उद्योगपति भी होंगे, कुछ कृषि के बारे में जानकारी रखते होंगे, तो कितना अच्छा होता कि आप प्रतिपक्ष माननीय विधायक से थोड़ा सा सुझाव ले लेते, अच्छा होता माननीय मंत्रीगणों से सुझाव लेते। माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार ने कभी यह सोचा कि माननीय विधायकगण जो बजट को पास करते हैं हाँ और ना करते हैं, क्या हम केवल हाँ–ना के लिए हैं, यह सदन माननीय विधायकों का है, माननीय विधायकों का सम्मान होना चाहिए। अगर किसी अधिकारी ने नई माँग रखी तो वह अधिकारी क्षेत्र में गया, हमारे साथ अन्याय हुआ। माननीय विधायक जो सत्तापक्ष या विपक्ष का है, हम केवल हाँ–ना के लिए यहाँ पर बैठे यह स्वीकार नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, मैं चाहूँगा कि माननीय विधायक को सड़क, अस्पताल, इण्टर कॉलेज, हाई स्कूल, झूला पुल, डामरीकरण का प्रस्ताव माँगा जाना चाहिए।

मान्यवर, ये बजट पास करते हैं और हमसे करा देते हैं और माननीय विधायकों से राय नहीं लेते हैं क्या यह उनका अपमान नहीं है। मेरा यह कहना है कि संतुलित विकास होना चाहिए, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र का प्रत्येक ब्लॉक का प्रत्येक जिले का बजट निर्धारित होना चाहिए। अगर इने–गिने जिले होंगे और अन्य जिलों को अपेक्षित करेंगे तो यह लाभदायक नहीं है। झुग्गी झोपड़ी का, नारी का सम्मान, कृषकों का, खेत खलिहान का ध्यान रखना चाहिए। अधिकांश लोग तो गाँव में रहते हैं खेतों में काम करते हैं उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। आज उत्तरांचल के कृषकों की भूमि नीलाम हो रही है वह भूमिहीन हो गये हैं हमने उनकी पीड़ा को नहीं समझा। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जिस बजट को देते हैं उस बजट का सदुपयोग उसी साल हो जाना चाहिए वह योजना पूरी करने की जिम्मेदारी अधिकारी पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि योजना सही नहीं है उसे फिर से बनायें। इसके साथ यह भी देखना पड़ेगा कि विभाग ने जो स्टीमेट बनाये वह सही बनाये कहीं यह तो नहीं कि गलत स्टीमेट बना रहे हैं। मान्यवर, विद्युत परियोजना टिहरी अधर में लटकी है, मनेरी भाली अधर में लटकी हुई है।

सारी योजनायें ठप्प पड़ी हैं। श्रीनगर की भी पूरी नहीं है, विष्णुप्रयाग ठप्प पड़ी है। मान्यवर, ये जो अधूरी योजनायें पड़ी हैं इन्हें पूरा करेंगे तो अच्छा होगा। मैं वन मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मैंने वन डिपो में जाकर निरीक्षण किया और वहाँ पर लकड़ियां सड़ रही हैं उनकी नीलामी नहीं हो रही है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हमारे पास तीन साल का लीसा था, पूरा का पूरा लीसा बेच दिया गया है। लकड़ी पिछले वर्ष की किसी भी डिपो में पेन्डिंग नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपको तीन साल हो गये और मैं तीन माह का मेहमान था।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आप तो उत्तर प्रदेश की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सत्ता में हैं हँसते हैं सत्ता से बाहर होते हैं तो रोते हैं (हँसी) मैं तो प्रसन्नचित हूँ। मैं विपक्ष में भी ठीक हूँ।

मान्यवर, मेरा कहना है हर विभाग में चाहे वह कृषि विभाग हो, चाहे उद्यान वन विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, हर विभाग में रोजगारपरक योजनाएं चलाने का हम संकल्प लें ताकि यहाँ के लोगों को हम रोजगार दे सकें और ये कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने कहा कि हम तो पारदर्शिता के आधार पर काम कर रहे हैं। मगर अगर आप मेरे दिल की बात सुनें और चारों तरफ घूमें और फिर जाकर निष्कर्ष पर पहुँचेंगे तो अधिकांश काम मस्टररोल पर हो रहे हैं, टेंडर पर नहीं हो रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरे विभाग में मस्टररोल पर कोई काम नहीं हो रहा है। चुनौती है अगर ला दीजिए।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा जो बजट है, उसमें हमने चिन्हित नहीं किया कि कौन सी मद उपयोगी है और कौन सी मद अनुपयोगी है। यदि बजट को उपयोगी मद में खर्च करेंगे तो प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कृपया अनुपयोगी मद बता दें। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ फिर भी सरकार की समझ में नहीं आता है तो मैं क्या कहूँ। मान्यवर, फूड प्रोसेसिंग सेन्टर, रामगढ़ में बनाया गया है, क्यों बनाया

यह घाटे में चल रहा है। जितना पैसा हम उस कम्पनी से ले रहे हैं वह ना के बराबर है। हल्दूचौड में सोयाबीन फैक्ट्री लगायी गयी है उससे भी सरकार को कोई लाभ नहीं हो रहा है।

श्री नव प्रभात--

मान्यवर, अर्थात् फूड प्रोसेसिंग सेन्टर और सोयाबीन फैक्ट्री को बन्द कर दिया जाये।

श्री मातबर सिंह--

मान्यवर, जिन्हें ये इकाईयाँ सौंपी गयी क्या वे सही सौंपी गयी हैं। सरकार इस पर विचार करे। इसके बाद हमें बताये। मान्यवर, एक निवेदन करना चाहूँगा धारचूला, मुन्स्यारी, कपकोट, जोशीमठ, उत्तरकाशी में कुछ क्षेत्रों में विकास की किरण नहीं गयी है। अगर इन दूर दराज के क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ किया तो बताएं यदि नहीं किया तो इन लोगों के साथ न्याय कर दें तो अच्छा होगा। आपके सामने चुनौती क्या है। बजट बनाते समय क्या-क्या चुनौतियाँ थी इसको रेखांकित करना चाहिए था। भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। मान्यवर, एक सुझाव मैं दे रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री नव प्रभात--

मान्यवर, भय, भूख, भ्रष्टाचार को जरा बता दें।

श्री मातबर सिंह--

मान्यवर, यदि इस मंत्र को आप मेरे से जानेंगे तो आप भी विपक्ष में आ जायेंगे। (हँसी)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नव प्रभात--

मान्यवर, यह तो बड़ा चमत्कारिक मंत्र है कि भय भूख, भ्रष्टाचार और रोजगार।

श्री मातबर सिंह--

मान्यवर, यदि आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, यह सरकार हमसे उगलवा रही है कि क्या-क्या गलतियाँ यह कर रहे हैं, आपने कहा था कि एक साल में 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे अब तो 3 साल हो गये आपने 6 लाख लोगों को रोजगार देना था। तो क्या सरकार यह कर पाई ? यदि आप सच्चे मन से समीक्षा करें तो यह उत्तरांचल राज्य आज अपराधों की चपेट में आ गया है। आज उत्तरांचल की जनता भयभीत है, न जाने कब कोई घर में घुस कर किसी की हत्या कर दे पता नहीं है। ऋषिकेश का प्रकरण हमारे सामने है, आये दिन अपराध बढ़ रहे हैं, इनको रोकने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। यह उत्तरांचल देवभूमि कहलायी जाती थी लेकिन अब यह असुर भूमि कहलायेगी तो आप मेरी इस बात पर भी हँसी उड़ायेंगे ? मान्यवर, माओवादियों का आतंक है, जो सीमावर्ती जिले हैं पिथौरागढ़ से खटीमा और टनकपुर का क्षेत्र है, इसे रोकने के आवश्यक

इंतजाम होने चाहिए। यहाँ आई0एम0ए0 में आतंकवादी घुस गये और सरकार को पता ही नहीं था, यह एक गम्भीर समस्या है इसके लिए प्रयास होने चाहिए। एक ढिंढोरा पीटा जाता है जब मंत्रीगण क्षेत्र में जाते हैं तो कहते हैं कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं। लेकिन मान्यवर, कहीं पर इसके माध्यम से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यह सब कागजों में ही हो रहा है वास्तविक धरातल में यह नहीं हो रहा है। एक बात और कही जाती है काम के बदले में अनाज तो यह अनाज उन भाइयों को नहीं मिलता है जो कि काम कर रहे हैं बल्कि यह अनाज नीचे बाजार में ही बेचा जाता है। यहाँ पर बी0पी0एल0 के कार्ड बनाये गये हैं अभी तो मंत्रीगण नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जब मंत्री पद नहीं होगा तो आपके क्षेत्र में जनता पूछेगी कि मंत्री जी यह बी0पी0एल0 कार्ड आपने बनवाये।

(व्यवधान)

मुझे इसका अनुभव है मुझे तो सत्ता और विपक्ष दोनों का अनुभव है, मैं तो आपको जाग्रत कर रहा हूँ, आप हमारे प्रदेश का सर्वांगीण बहुँमुखी विकास करें और इस प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश के रूप में विकसित करें, हमारा काम तो आपको जगाना है, मैं आज विपक्ष में हूँ इसलिए यह बात नहीं बोल रहा, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। एक बात और आई सपना हुआ साकार, तो यह सपना उनका साकार हुआ जिनको लाल बत्ती नहीं मिली थी, उनका ही सपना साकार हो रहा है। आप मेरी बात को अन्यथा न लें और बुरा न मानें। पर्यटन के क्षेत्र में माननीय पर्यटन मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी कोई उपलब्धि इन तीन सालों में रही है, यदि रही तो बतायें हम उसको स्वीकार करेंगे। (व्यवधान)

मुझे सब दिखता है, मैं अंधा नहीं हूँ। मान्यवर, एक निवेदन मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से करना चाहता हूँ, मैंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था। मान्यवर, हमारा यह कहना है कि कृषकों की भूमि सड़क के लिए काटी गयी, मगर उनको कटान दलान का मुआवजा नहीं मिल पाया है। आप यह कहेंगे कि यह आपकी सरकार के टाइम का है। मेरा निवेदन है कि इसको न टालिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित थे, तब का भी पैसा पड़ा हुआ है। उससे पहले का भी पैसा पड़ा हुआ है, उसके बाद का भी पैसा पड़ा हुआ है। उन कृषकों की क्या गलती है, जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए आपने इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है। उन कृषकों को भुगतान आप कर देंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे। आपने शिक्षा में परिवर्तन लाने की बात कही है। पहली कक्षा में आप अंग्रेजी पढ़ायेंगे, लेकिन जब अध्यापक ही नहीं होंगे, तो पढ़ाएगा कौन ? जब मैं उस तरफ बैठता था तो एक बार माननीय अम्बरीष कुमार जी ने कहा कि आपका प्रोनाउन्सेशन बहुत गलत है। मैं "यल", "यम", "यन" कहता था। मुझे जो कुछ पढ़ाया गया, वही मैंने पढ़ा। मेरा कहना है कि पहले अध्यापकों की भर्ती करें, तब पढ़ाएं। अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक जब वहाँ पर होंगे, तभी वहाँ के लोग अंग्रेजी पढ़ सकेंगे।

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, हमारी क्या गलती है मैंने हाई स्कूल प्राइवेट किया था। जब मैंने यहाँ पर लक्ष्मण विद्यालय में एडमीशन

लिया तो लोग मेरी हँसी उड़ाते थे। लेकिन मैंने वही पढ़ा जो मुझे पढ़ाया गया था, मेरी क्या गलती है। पहले अंग्रेजी के अध्यापकों की भर्ती करें, तब अंग्रेजी पढ़ाएं। अन्त में मैं अपने मन के उद्‌गार व्यक्त करना चाहता हूँ। मान्यवर, मैंने जब यह बजट देखा और इसे पढ़ा, मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने यह बजट बनाया। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसे बनाया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं और भी आभारी होता यदि इसे अच्छा बनाया होता, यह अत्यन्त निराशाजनक बना है। इसमें न कोई दिशा है, और न कोई चिन्तन है और न ही कोई मनन है। इसमें कोई नया नियोजन भी नहीं है। पुरानी पटरी पर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक नया प्राविधान कर दिया है, इसमें आपने विषय सूची अलग से बना दी है। यह पहले नहीं होती थी। मान्यवर, मैं अन्त में केवल इतना ही कहूँगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी का खेल,
विकास के बदले कर्जे और घाटे का मेल,
गरीबी और बेरोजगारी की कर ली लम्बी रेल।
आवाज बुलन्द करने वालों को भेज देंगे जेल,
घाटे के बजट को कैसे स्वीकारेंगे,
जब तक सरकार रहेगी, दिल आहें भरेगा।
(हँसी)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय अटल जी के असली शिष्य प्रतीत हो रहे हैं बस थोड़ी हाव–भाव में कमी है। (हँसी)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरे अन्दर दिल की पीड़ा थी वह मैंने यहाँ पर बयाँ की। मेरा अनुरोध है कि बजट पर जिन बिन्दुओं पर मैंने अपना मत प्रकट किया है उन पर सरकार गौर करें। इस उत्तरांचल के चहुँमुखी विकास के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको जनता शाबासी देगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर माननीय सदन द्वारा चर्चा कराने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री प्रीतम सिंह पवार–

माननीय अध्यक्ष जी, लोक सेवा आयोग का कार्य राज्य के लिए कुशल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चयनित करना है। उत्तरांचल नवोदित राज्य है और यह राज्य अपने स्थापना से ही अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। जिससे हमारे विभिन्न विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आज आवश्यकता है कि निश्चित समय के अन्दर अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।

हमारे सामने लोक सेवा आयोग का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत हुआ है और हमने इसे पढ़ा भी है और उसके बाद द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर आया। प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन में विभागों से सम्बन्धित अधियाचन था उस पर क्या कार्यवाही हुई कितनी धीमी गति से कार्यवाही हुई है उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर देना चाहता हूँ। मान्यवर, प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन के अध्याय 6, जो सीधी भर्ती से सम्बन्धित है इसके क्रम सं0 तीन नम्बर पर वन एवं ग्राम्य विकास विभाग से अभियन्ता जिला पंचायत के 05 पदों पर चयन हेतु अधियाचन दि0 10–12–2001 को प्राप्त हुआ। इस पदों पर चयन आयोग द्वारा भविष्य में सम्पादित लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं के साथ किया जायेगा। फिर क्रम सं0 चार पर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से प्रवर वर्ग सहायक–10 पद, अवर वर्ग सहायक–30 पद के अलावा इसमें अन्य पद भी सम्मिलित हैं, का अधियाचन प्राप्त हुआ। मान्यवर क्रम सं0 5 में शासन से सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पी0सी0एस0) का अधियाचन प्राप्त हुआ जिसमें मान्यवर और पद भी हैं। मान्यवर, इस पर क्या कार्यवाही हुई कुछ पता नहीं है।

मान्यवर, साल भर में दूसरा प्रतिवेदन आया, जो हमारे पास है इसके अध्याय पाँच में स्पष्ट है वन एवं ग्राम्य विकास विभाग से अभियन्ता जिला पंचायत के 05 पदों पर चयन हेतु अधियाचन दि0 10–12–2001 को प्राप्त हुआ, परीक्षाएं आयोजित की गयी हैं। मान्यवर, इतने लम्बे समय में भी यह जवाब आया मान्यवर, इसी तरह से जवाब माननीय उच्च न्यायालय से सम्बन्धित जो पद हैं उनके बारे में भी आया। विज्ञापन का आलेख तैयार किया जा रहा है। मान्यवर, इसी तरह से अन्य विभागों से सम्बन्धित जिनके अधियाचन साल भर में या डेढ़ साल पहले गये थे उन पर धीमी कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, इसी तरह अन्य कई अनुशासिक कार्यवाही, विभागीय प्रोन्नति के मामले पद लम्बे समय से लम्बित पड़े हुए हैं। लोक सेवा आयोग को चाहिए कि समय से नियुक्तियाँ करें और अनुशासनात्मक मामले पर समय से कार्यवाही करें।

मान्यवर, मैं लोक सेवा आयोग की आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं सुझाव दे रहा हूँ। मान्यवर, मेरे कुछ सुझाव हैं लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं इसमें राज्य की पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक जनपद में परीक्षा केन्द्र होना चाहिए, रिक्तियों व परीक्षा परिणामों की सूचना इन्टरनेट पर उपलब्ध होनी चाहिए और विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए यह शर्त भी होनी चाहिए कि अभ्यर्थी उत्तरांचल की बोली, भाषा और संस्कृति से विज्ञ हो। उत्तरांचल के भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इसका प्राविधान करना चाहिए। मान्यवर, आज हम अपने प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बना रहे हैं इसके लिए हमारे जो ग्रामीण कास्तकार हैं, जिनकी भूमि हम ले रहे हैं इसमें यह प्राविधान होना चाहिए कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए जिन कास्तकारों की भूमि ली जायेगी उनके परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता दें, कुछ परिस्थितियों में वरीयता दी जानी चाहिए। मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है भर्तियाँ एक निश्चित समय के अन्दर होनी चाहिए। इस तरह जो वार्षिक प्रतिवेदन को समय से सदन के पटल पर नहीं रखा जाता है, इसमें जो देरी होती है, इसको जुलाई, अगस्त, सितम्बर तक पटल पर रखा जाना चाहिए, ये मेरे सुझाव हैं।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने लोक सेवा आयोग के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा की। मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अन्तर्गत उत्तरांचल, लोक सेवा आयोग का गठन 15 मई, 2001 को किया गया था। तब से निरन्तर प्रगति करता आ रहा है। लोक सेवा आयोग का कार्यालय हरिद्वार में स्थापित किया गया और इसकी सुविधाओं हेतु 8 एकड़ भूखण्ड आयोग को हस्तांतरित कर दिया गया। मान्यवर, वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्यों की नियुक्तियाँ की गयी हैं। जिसमें से अध्यक्ष श्री जी0 एस0 नेगी, और चार सदस्य डॉ. सुधा रानी पाण्डेय, श्री गोपाल सिंह नयाल, श्री एम0 एम0 हरबोला, श्री एन0 एस0 रावत हैं। लोक सेवा आयोग ने इतने कम समय में लगभग दो हजार नियुक्तियाँ की हैं, जो लेक्चरर के हैं, डॉक्टर्स के हैं, पॉलीटेक्निक इंजीनियर्स आदि के हैं। मान्यवर, इसमें हमने शुरू में 5500 से 9000 अथवा उससे निम्न स्तर के श्रेणी–ग के सीधी भर्ती के पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से हटाये जाने का निर्णय लिया गया था, उस समय हमने इसको बाहर कर दिया था। इसमें रेंजर और नायब तहसीलदार के पदों को अपवादित रूप से लोक सेवा आयोग की परिधि में रखा गया था। इस दृष्टिकोण से कनिष्ठ अभियंता, मनोरंजन कर निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक तथा लेखा परीक्षक आदि को पुनः आयोग की परिधि में रखा। माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की कि संविधान की व्यवस्थानुसार राष्ट्रीय हित में आयोग काम करता है, यदि हम उस को समाप्त कर देंगे तो हमारे उत्तरांचल के निवासी भी अन्य राज्यों में प्रभावित होंगे, इसलिए कोई भी आकर उसमें आवेदन कर सकते हैं, वह केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। हमारे माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की कि धीमी गति से हो रहा है, तो प्रयास किया जा रहा है कि इण्टरनेट से हो और हमारे पी0सी0एस0 के परिणाम की बात है तो भारी संख्या में अभ्यर्थी आये, उसका परिणाम शीघ्र आ जायेगा। इस तरह से आयोग काम करने की गति में आ रहा है, जो आप चाहते हैं उस दिशा में काम कर रही है, सरकार पूरा सहयोग दे रही है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने राज्य के विषय में उसकी भाषा और संस्कृति के बारे में ज्ञान होना अनिवार्य किया जाए कहा है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जैसे पंजाब और दक्षिण के कई राज्यों में वहाँ की जो भाषा है उसका ज्ञान पी0सी0एस0 स्तर के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक रखा जाता है, तो क्या ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है, यहाँ के लोगों को वरीयता देने के साथ–साथ उनकी बात को समझना, उनकी समस्या के समाधान के लिए अधिकारी चयनित हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार इस पर विचार करेगी। माननीय सदस्य ने कहा कि यहाँ कि भाषा और संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हमारे यहाँ कुमाऊँ और गढ़वाल में अलग–2 बोली है व्यवस्था नहीं है और हमारे उत्तरांचल के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और किस प्रकार मिले इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था हम भी चाहते हैं, लेकिन संविधान की परिधि के अन्तर्गत हमको काम करना है। पंजाब में गुरुमुखी भाषा है जिसकी अपनी लिपि है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपने गुरूमुखी भाषा की बात कही है, वह लिपी है, हमारे यहाँ लिपि नहीं है। यहाँ पर पंजाबी, बंगाली बोलने वाले लोग हैं। मान्यवर, यहाँ लगभग अलग–2 भाषायें हैं। बंगला एक भाषा है, पंजाबी एक भाषा है। कुमाऊँनी, गढ़वाली भाषा नहीं है बोलियाँ हैं। पंजाबी, बंगाली, कुमाऊँनी, गढ़वाली बोलने वालों को वरीयता दी जायेगी क्या ऐसी व्यवस्था सरकार कर सकती है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) के अधीन दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किये गये उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर माननीय सदन द्वारा चर्चा की जाए।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकार हुआ)

उत्तरांचल राज्य से बहने वाली नदियों के किनारे ऊँचे पहाड़ों पर स्थित ग्रामीण अचलों में जल की आपूर्ति हेतु लिफ्ट पेयजल योजनायें बनाने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इस पर चर्चा जारी है। इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ी अपनी बात इसमें रखना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में कहें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय काजी निजामुद्दीन जी ने जो प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किया है उस पर माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमन्, काजी जी ने उत्तरांचल राज्य से बहने वाली नदियों के किनारें ऊँचे पहाड़ों पर स्थित ग्रामीण अंचलों में जल की आपूर्ति हेतु लिफ्ट स्कीम बनाये जाने का प्रस्ताव रखा है जो कि विचारार्थ प्रस्तुत है। मान्यवर, जो ऊँचे क्षेत्र हैं उनकी सरकार को चिन्ता होनी चाहिए। माननीय सदस्य ने इस विषम भौगोलिक क्षेत्र की जनता की चिन्ता की। मान्यवर, 34434 वर्ग किलोमीटर में वन है। कुल क्षेत्रफल 53484 वर्ग कि0मी0 है जिसमें से अधिक से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित क्षेत्र हैं। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में लगभग 10 जिले आते हैं इन 10 जिलों में अधिकतर गाँव में आज भी पेयजल का संकट है भले सरकारी आंकड़ों में पेयजल के संकट का निराकरण हो गया हो। सरकार यह भी दावा करेगी कि हैण्डपम्प लगा दिये गये हैं पेयजल संकट दूर हुआ है।

मान्यवर, गाँवों में मैटल रोड छोड़ पैदल चलने को रास्ता नहीं है। मान्यवर, 11 नदियों का जिनका जल मैदानी क्षेत्र और भारत के अन्य प्रदेशों की ओर जाता है। भागीरथी, अलकनन्दा (गंगा), मन्दाकिनी, पिंडारी, टोन्स, यमुना, काली, नयार, भिलंगना, सरयू और रामगंगा इनका जल का उपयोग उच्च पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए।

मान्यवर, और ऐसे क्षेत्र में रहने वाला जनमानस जिसने सीमावर्ती क्षेत्र आबाद कर रखा है, उसकी चिन्ता हमकों करनी चाहिए। इस प्रस्ताव के माध्यम से हम इन नदियों के जल को किस प्रकार ऊपर उठा सकें निश्चित रूप से इसमें यह आपत्ति भी आ सकती है कि हमारे पास ऊर्जा का अभाव है अतः लिफ्ट योजना का संचालन नहीं हो सकता है। मान्यवर, जहाँ तक लघु जल विद्युत परियोजनाओं की बात है इसके माध्यम से लिफ्ट योजना का संचालन किया जा सकता है। जिससे इन सभी गाँवों को पेयजल मुहैया हो सकेगा। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और सदन से अनुरोध कर रहा हूँ कि इसे सहयोग प्रदान करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इससे पहले कि माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य दें माननीय काज़ी निज़ामुद्दीन जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी माननीय प्रकाश पंत जी ने दी है। मान्यवर, हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा पानी पहाड़ों से आता है और वे ही पेयजल विहीन हैं। पानी घाटी में बहता है और आबादी पहाड़ों के ऊपर है। जिन गाँवों में ग्रेवटी का पानी उपलब्ध है उनमें तो पेयजल योजनाएं सुनिश्चित हुई है। जैसा अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बता रही थी ऐसे गाँवों में जब तक लिफ्ट परियोजना पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया जायेगा तब तक ऊँचाई वाले गाँवों में पेयजल उपलब्ध कराना असम्भव है। इसलिए सरकार को गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिए। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ बहुत बार इस पर विचार भी हुआ है कि पिंडर के पानी को रामगंगा में मिलाकर जो ऊँचाई के क्षेत्र हैं उनको भी पानी दें। रामगंगा के पानी को लिफ्ट के द्वारा पहुँचाया जाये, लिफ्ट योजना से इसकी आपूर्ति करें। इसमें हम कालागढ़ में विद्युत उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और पेयजल सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकते हैं। कई बार इस पर सर्वे भी हुआ है। मान्यवर, पूरे देश में नदियों को जोड़ने की बात पहले सुनी जा रही थी। अपने प्रदेश में हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। इस पर माननीय मंत्री जी अपना मंतव्य स्पष्ट करें।

नगर विकास मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, यह बिल्कुल स्पष्ट है जहाँ पर नैसर्गिक स्रोत उपलब्ध है, वहाँ पर गुरुत्व आधारित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। माननीय सदस्य ने भी इसे स्वीकार किया है। ऐसी व्यवस्था हर जगह कर दी गयी है, क्योंकि इसकी लागत काफी कम होती है। यह जो प्रस्ताव है यह लिफ्ट योजना द्वारा पेयजल की आपूर्ति करने के सम्बन्ध में है। ऐसी योजनाएं जिनकी संख्या 90 है हमारे राज्य में कार्य कर रही हैं। इसके अलावा 34 पम्पिंग योजना निर्माणाधीन है और लगभग 44 पम्पिंग योजनाएं प्रस्तावित हैं। यह सही है कि हमने जिस समय यह कार्य शुरू किया था तब विद्युत आपूर्ति की वह स्थिति नहीं थी

जो आज हमारे सामने है। पेयजल योजनाओं में सबसे ज्यादा पूँजीगत लागत आती है। और सबसे अधिक यही होती है बिजली के सम्बन्ध में हमारी स्थिति 2005 के आखिरी से ठीक हो जायेगी जब हमारी योजनायें पूरी होंगी। तब विद्युत नियामक आयोग के माध्यम से क्या सुविधा हम दे सकते हैं इसका हमें प्रयास करना चाहिए। जब हमारी योजनायें विद्युत की पूर्ण हो जायेंगी तो हम निश्चित रूप से यह कर पायेंगे। इस सम्बन्ध में हमने प्रत्येक जनपद में सी0डी0ओ0 के स्तर पर एक समिति का गठन कर दिया है, जो ऐसी लिफ्ट योजनाओं की संस्तुति करती है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि ऐसे गाँवों को पानी मिले। जैसा माननीय काशी सिंह ऐरी जी ने सुझाव दिया है तो निश्चित रूप से इन्टरकुलेशन का प्रस्ताव विचाराधीन है उस पर कोई न कोई अंतिम निर्णय निकालकर हम इसे अपने प्रदेश में लागू कर सके और जोड़ने की बात है तो इसको हम जितना कर सके उतना ही अच्छा होगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैंने एक सुझाव दिया था हमारी 11 नदियाँ हैं और उनकी उप नदियाँ भी हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि जितने भी होल चिन्हित हैं जिन लिफ्ट् योजनाओं को हम बनायेंगे उनके लिए सोर्स पर ही एक लघु विद्युत योजना बनाकर उसी से उसे लिफ्ट कराया जाय। क्या इस प्रकार की योजनायें बनाकर पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, लघु विद्युत की चिन्हित योजनायें हमारे सामने हैं जो अन्य योजनाओं की बात है तो उसमें पूँजी निवेश की बात होगी ही और पूँजी निवेश में धन की बात भी सामने आयेगी तो इसमें चूँकि पर्यावरण भी मेरे पास है तो यह निर्णय नहीं है यह एक जानकारी है कि इसमें जो योजना है लघु या मध्यम योजनायें उनको ऊपर के क्षेत्र में अपस्ट्रीम में बाँध बनाकर रोका जाय जिससे ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज भी हो जायेगा, और ऑफ सीजन में लघु विद्युत परियोजनाओं के लिए पानी भी उपलब्ध हो जायेगा। इससे ऊँचाई के क्षेत्र में ग्रेविटी भी फीड कर सकेंगे। इसके लिए जिस तरह के मानचित्रों की आवश्यकता हमे हैं उसके लिए जी0एस0आई0 के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य से बहने वाली नदियों के किनारें ऊँचे पहाड़ों पर स्थित ग्रामीण अंचलों में जल की आपूर्ति हेतु लिफ्ट स्कीम बनाई जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत श्री हरबंस कपूर, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा श्री नारायण पाल की

6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय विरसण सेरा के क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार की गई।

जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत विधान सभा क्षेत्र में स्थित ग्राम किलकोट के पेयजल स्रोत के दूषित होने के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट स0वि0स0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वन मंत्री का वक्तव्य

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

[किलकोट ग्राम रानीखेत शहर से लगभग 2 कि0मी0 दूरी पर रानीखेत पन्तकोटली मोटर मार्ग पर स्थित है। उक्त ग्राम में 70 परिवार रहते हैं। ग्राम किलकोट में कोई भी पेयजल योजना निर्मित नहीं है। ग्रामवासियों द्वारा निकटवर्ती गधेरे से पानी प्राप्त किया जाता है जो कि ग्राम से नीचे है। पेयजल निगम द्वारा इस ग्राम के लिए कोई गुरुत्व स्रोत उपलब्ध न होने के कारण इसे रानीखेत नगर चिलिया नौला ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना (अनुमानित लागत रुपया 1240.00 लाख) में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

किलकोट ग्राम से ऊपर की ओर लगभग 1.50 कि0मी0 दूरी पर रानीखेत हल्द्वानी मोटर मार्ग पर रक्षा विभाग की सैनिक दुग्ध डेयरी से स्रोत का पानी प्रदूषित होने की सम्भावना बनी रहती है। ग्रामवासियों के जल स्रोतों को जल प्रदूषण से बचाये जाने हेतु परगना अधिकारी रानीखेत एवं अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान को संयुक्त जाँच करने के निर्देश जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा दे दिये गये हैं साथ ही अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान रानीखेत को गाँव के जल स्रोतों के जल का रासायनिक एवं जैविक परीक्षण करवाये जाने के भी निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं जिससे कि पानी की गुणवत्ता का पता लगाया जा सके। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 104/ए–आर–ए/2005 दिनांक 24 मार्च, 2005 द्वारा कमाडिंग ऑफिसर के0आर0सी0 रानीखेत को सैन्य डेरी से निकलने वाले प्रदूषित जल एवं गोबर के बहाव की वैकल्पिक व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित करने हेतु लिखा गया है।

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 25–3–2005 को किलकोट के पूर्वी तथा पश्चिमी जल स्रोतों के नमूनों का परीक्षण किया गया जिसमें प्रदूषित प्रचालकों की मात्रा मानकों के अन्तर्गत पायी गयी, बोर्ड का सेना डेयरी फार्म को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।]

जनपद चमोली में मिट्टी तेल की आपूर्ति न होने के कारण व्याप्त जन असन्तोष के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र भट्ट सदस्य वि0स0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य

खाद्य मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

[सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य को आवंटित मिट्टी तेल को एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(सिंगल वॉटल) राशन कार्ड धारकों तथा बिना एल०पी०जी० कनेक्शन धारकों को न्यूनतम 3 लीटर से लेकिन अधिकतम 7 लीटर तक प्रति राशन कार्ड की दर से उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है। जिसमें एक स्पेशल कोटे के तहत छात्रों/छात्रावासों/शिक्षण संस्थाओं/विवाहों/अन्त्येष्टी एवं ईट भट्टों में कार्यरत मजदूरों तथा सरकारी उपयोगार्थ आवश्यकतानुसार आवंटित किया जाता है।

जनपद चमोली हेतु मिट्टी तेल का मासिक आवटन के रूप में माह जनवरी, 2004 से माह मार्च, 2005 तक (15 माह) 7050 के०एल० (लगभग 460 के०एल० प्रतिमाह) तथा तदर्थ अतिरिक्त मिट्टी तेल माह अक्टूबर, 2004 से माह मार्च, 2005 तक 248 के०एल० एवं विशेष परिस्थिति में रिजर्व में रखे अवशेष मिट्टी तेल 40 के०एल० आवंटित किया गया है। इस प्रकार माह जनवरी, 2004 से मार्च 2005 तक चमोली को 7298 के०एल० मिट्टी तेल आवंटित किया गया है। जिसे नियमित रूप से उपभोक्ताओं को वितरित किया जा चुका है।

इस प्रकार जनपद चमोली में नियमित रूप से मिट्टी तेल की आपूर्ति हो रही है तथा जनता में किसी प्रकार का आक्रोश नहीं है एवं जनपद में मिट्टी तेल की आपूर्ति किसी प्रकार बन्द नहीं हुई है। जनपद में नियमित रूप से मिट्टी तेल की आपूर्ति हो रही है जनता में किसी प्रकार का आक्रोश नहीं है। जनपद में मिट्टी तेल की आपूर्ति किसी प्रकार बन्द नहीं हुई है। बोर्ड परीक्षाओं को नियमित रूप से प्रति विद्यार्थी को 5 लीटर प्रति प्रवेश–पत्र पर मिट्टी तेल उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक कार्य के लिए विद्यालय प्रधानाचार्य की माँग के अनुरूप 100 से 200 लीटर मिट्टी तेल उपलब्ध कराया जाता है। प्राईमरी विद्यालयों से मध्यान्ह भोजन योजना अन्तर्गत भोजन पकाने के लिए प्रधानाध्यापक की माँग के अनुसार मिट्टी तेल का आवटन किया जा रहा है। जनपद में सरकारी सस्ते गल्ला विक्रेताओं की दुकानों पर कोई प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल पूर्वान्हन 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद 06 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 29 मार्च, 2005 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून
दिनांक 28 मार्च, 2005

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा उत्तरांचल।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये अ0प्र0सं0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 15)

परिशिष्ट–क

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

भौतिक प्रगति 28 फरवरी, 2005

फेज–II

राज्य का नाम–उत्तरांचल वर्ष 2001–02 एवं 2002–03

क्र0 सं0	जनपद	सड़क का नाम	स्वीकृत लागत रु0 लाख में	स्वीकृत लम्बाई कि0मी0 में	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	अल्मोड़ा	बिजौरिया पच्छिसी मोटर मार्ग कि0मी0 1–4	120.00	4.00	मार्च, 2005
2.		बिजौरिया पच्छिसी मोटर मार्ग कि0मी0 4–9	150.00	5.00	जून, 2005
3.		पूनागढ़ नाटाडोल मोटर मार्ग कि0मी0 1–4	120.00	4.00	दिसम्बर, 2005
4.		पूनागढ़ नाटाडोल मोटर मार्ग कि0मी0 4–8	120.00	4.00	दिसम्बर, 2005
5.		मझोर जाख मोटर मार्ग कि0मी0 1–4	131.00	4.00	पूर्ण
6.		मझोर जाख मोटर मार्ग कि0मी0 5–9	140.00	5.00	मार्च, 2005
7.		भौनखाल टोटम मोटर मार्ग कि0मी0 1–5	153.00	5.00	जून, 2005
8.		बिजौरिया पच्छिसी मार्ग पर 36 मी0 स्पान पुल का निर्माण	85.89	पुल	मार्च, 2005
9.	बागेश्वर	कंधार रोलगाना मोटर मार्ग	191.90	7.00	मार्च, 2005
10.		आगालौनी–बाजुला मार्ग	128.10	3.00	मार्च, 2005
11.		खलपुरिया बिना से असोन		2.00	मार्च, 2005
12.		खदलेख मनार मार्ग कि0मी0 0–8	188.20	8.00	जून, 2005
13.		खदलेख मनार मार्ग कि0मी0 0–8–15	169.40	7.00	जून, 2005
14.		कपकोट कर्मी मार्ग कि0मी0 18–22	165.58	5.00	दिसम्बर, 2005
15.		नौरनगर से पोथीन	212.00	7.00	मार्च, 2005
16.	चमोली	हैलांग उर्गम मोटर मार्ग	420.25	12.00	दिसम्बर, 2005
17.		पलसारी बमवाला मोटर मार्ग	167.54	6.00	दिसम्बर, 2005
18.		परखाल केदारकोट मोटर मार्ग	506.38	15.00	दिसम्बर, 2005
19.		डाम्ला–घोतीधार मोटर मार्ग	138.07	5.00	दिसम्बर, 2005
20.	चम्पावत	चौमेल से पाल्लो मार्ग	179.25	6.00	मार्च, 2005
21.		ब्यौन से प्यूरी मार्ग कि0मी0 0–8	176.98	8.00	जून, 2005
22.		ब्यौन से प्यूरी मार्ग कि0मी0 8–15	164.17	7.00	दिसम्बर, 2005
23.		लिपुलेख–मिन्ड (एस एच–29) मार्ग कि0मी0 335 से फागपुर	–	1.70	निरस्त
24.		रौशल से दुर्गाबारा बैंक सिल्कोट मार्ग कि0मी0 1–5	152.12	5.00	जून, 2005
25.		रौशल से दुर्गाबारा बैंक सिल्कोट मार्ग कि0मी0 5–10	148.54	5.00	जून, 2005
26.		रैगालबन्द से मूलाकोट मार्ग	223.54	8.00	पूर्ण
27.		चम्पावत–खेतीखान मोटर मार्ग कि0मी0 130 से गौचानी		2.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
28.	देहरादून	सेरा सरोली मार्ग कि0मी0 3 से द्वारा कि0मी0 1 से 6 (मालदेवता से द्वारा)	182.28	6.00	जून, 2005
29.		होरावाला कोटी मार्ग से बलानी	130.00	4.00	पूर्ण
30.		मुंशीघाटी ध्यौरा मार्ग	135.56	6.00	पूर्ण
31.		साहिया उत्पाल्टा मार्ग	193.69	8.50	पूर्ण
32.		त्यूनी कथियान मार्ग से फनार	116.23	4.00	जून, 2005
33.		सेरा सरोली मार्ग कि0मी0 3 से द्वारा कि0मी0 6	182.28	6.00	जून, 2005
34.		सेरा–सरोली द्वारा मार्ग पर 48 मी0 स्पान पुल का निर्माण	100.00	पुल	जून, 2005
35.	हरिद्वार	मुरादाबाद–देहरादून मार्ग से दूधवादयालपुर मार्ग	121.36	3.00	पूर्ण
36.		दिल्ली–माना मार्ग से सढोला		1.56	पूर्ण
37.		सितोड़ा मार्ग से रूलाहेडी		1.55	पूर्ण
38.		मुरादाबाद मार्ग से पीलीपढाव	125.32	4.00	पूर्ण
39.		आराफैनगर–इकबालपुर मार्ग से हीराहेडी मार्ग		2.30	पूर्ण
40.		गोबर्धनपुर से गाजरी	105.96	0.61	पूर्ण
41.		मुरादाबाद–देहरादून से लेहेकपुर		0.50	पूर्ण
42.		जलालपुर–गीतपुर मार्ग से नसीरपुर		0.60	पूर्ण
43.		लक्सर–ज्वालापुर मार्ग से नागलखिताब		0.61	पूर्ण
44.		मंगलौर रोड से रीकर		3.80	पूर्ण
45.		कसरपुर से फेरूपुर मार्ग	133.96	1.65	पूर्ण
46.		अलीपुर इब्राहिमपुर मार्ग		1.23	पूर्ण
47.		सलेमपुर से राबाली महदूद मार्ग		1.00	पूर्ण
48.		इस्माईलीपुर जेठपुर मार्ग		0.90	पूर्ण
49.		कनहर खावा से प्रतापपुर मार्ग		1.43	पूर्ण
50.		सहदेवपुर से भौनरी मार्ग	160.68	4.00	पूर्ण
51.		सादेपुर से सन्दारशाह मार्ग		3.15	पूर्ण
52.		दरेड़ा से गोविन्दपुर मार्ग		1.20	पूर्ण
53	नैनीताल	रामनगर बैराज से पटकोट 0.000–7.775 कि0मी0	138.86	7.78	पूर्ण
54.		रामनगर बैराज से पटकोट 7.775–16.775 कि0मी0	159.81	9.00	मार्च, 2005
55.		इलाइजर चमोली कि0मी0 0.0–5–50	122.77	5.50	मार्च, 2005
56.		इलाइजर चमोली कि0मी0 5–50–12.50	201.90	7.00	जून, 2005
57.		रतिघाट–बैतालघाट–कुमारिया शेष भाग (कि0मी0 7–12)	119.50	6.00	मार्च, 2005
58.		मालदूनबौंठ–हाथीडागर रोड	198.86	16.00	दिसम्बर, 2005
59.		कौरव–मौना सिरमाखेत रोड	398.92	15.00	जून, 2005
60.	पौड़ी गढ़वाल	दमदेवल गडरी मार्ग	131.70	8.00	पूर्ण
61.		बिरोमोलीखाल सुतरी मार्ग पर 36 मी0 स्पान पुल	90.00	पुल	मार्च, 2006
62.		पैठानी बडेथ मार्ग	309.45	14.00	दिसम्बर, 2005
63.		किलबोखाल से टिकोलीखाल मार्ग	240.87	10.00	जून, 2005
64.		देवप्रयाग–व्यासघाट मार्ग	385.85	17.00	जून, 2005

1	2	3	4	5	6
65.	पिथौरागढ़	सुरना–गोगिना मार्ग	102.82	4.80	जून, 2005
66.		टनकपुर–तवाघाट मार्ग से छठी मोटर मार्ग	205.31	8.00	निरस्त
67.		स्यूनिगाड–राममन्दिर चकबौरा कि0मी0 0–4	121.10	4.00	जून, 2005
68.		स्यूनिगाड–राममन्दिर चकबौरा कि0मी0 4–10	182.89	6.00	जून, 2005
69.		देवलथाल से चर्द्ई मार्ग	161.51	3.00	मार्च, 2005
70.		गौरीहाट से मटेरी		3.00	मार्च, 2005
71.		मुनस्यारी–कान्धा–होकरा कि0मी0 5–11 एक स्टील	212.19	6.00	निरस्त
72.	रुद्रप्रयाग	तिलवाड़ा–बजाई मोटर मार्ग	342.63	15.00	मार्च, 2005
73.		तला–भरगली मोटर मार्ग	181.42	6.00	जून, 2005
74.		मनसूना–गडगू मोटर मार्ग	158.93	5.13	मार्च, 2005
75.		जमकोटी–टपुखर–ल्यूनखार मोटर मार्ग	115.29	4.50	पूर्ण
76.		मीरी–परकन्डी मोटर मार्ग	179.72	9.00	मार्च, 2005
77.	टिहरी गढ़वाल	सैण मन्दार मोटर मार्ग	371.72	16.50	जून, 2005
78.		चोखनी–गेधुल्ता मोटर मार्ग	143.92	6.23	जून, 2005
79.		जाखणीधार–नवाकोट मोटर मार्ग	92.69	4.00	मार्च, 2005
80.		मरोड़–बनाली मोटर मार्ग	251.09	11.00	दिसम्बर, 2005
81.	उत्तरकाशी	धौन्तरी–श्रीगाँव मोटर मार्ग	221.07	6.25	दिसम्बर, 2005
82.		ब्रह्मखाल–जुणा मोटर मार्ग	288.81	11.00	जून, 2005
83.		नौगाँव पौंटी राजगढ़ी मोटर मार्ग से पौंटी मोटर मार्ग	120.18	3.80	मार्च, 2005
84.		गंगोरी उत्तरी मोटर मार्ग	207.54	5.33	दिसम्बर, 2005
85.		ऋषिकेश गंगोत्री मोटर मार्ग से बौन	163.66	5.95	मार्च, 2005
86.	ऊधमसिंह नगर	टिहरी–मुरादाबाद 41 कि0मी0 346 से बसाई	114.15	2.00	पूर्ण
87.		काशीपुर–अलीगंज से गिरीखेरा		0.60	पूर्ण
88.		बरेली–हरिद्वार मार्ग कि0मी0 263 से सरकारा		1.15	पूर्ण
89.		सितौरा से बीठा–अकबर		2.50	पूर्ण
90.		सितारगंज नकुलिया कि0मी0 8 से लोका सितौरा	162.25	1.20	पूर्ण
91.		सितारगंज नकुलिया कि0मी0 5 से गगनपुर–केलाशपुरी		2.15	मार्च, 2005
92.		नानकमता–टिकुली–रंसाली कि0मी0 6 से सूनखेरी–कौधाखेरा–धूमखेरा		3.75	पूर्ण
93.		नानकमता–टिकुरी–रंसाली से टिकुन	152.84	2.00	मार्च, 2005
94.		केशुलिया से बारकीढाडिया		3.00	पूर्ण
95.		सिसाईखेरा–साधुनगर कि0मी0 13 से नलाई बिजराटा		1.00	विवादित
96.		शक्तिफार्म जैलकैम्प कि0मी0 4 से रणजीतनगर	158.27	1.25	पूर्ण
97.		रुद्रपुर भक्तिनगर मार्ग		3.50	पूर्ण
98.		बालखेड़ा–खानरिया		0.90	पूर्ण
99.		पानीपत खटीमा मार्ग कि0मी0 334 से टुरका टिसोर		1.00	पूर्ण

नत्थी 'ख'

(देखिये अ0प्र0सं0 32 का उत्तर पृष्ठ 24)

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत जिला भेषज एवं क्रय–विक्रय संघों द्वारा वन एवं नाप भूमि से वर्ष 2004–05 में क्रय की गई जड़ी–बूटी एवं पौध का जनपदवार विवरण निम्नवत् है:–

क्र0सं0	नाम भेषज संघ	मात्रा (कुन्तल में)
1.	जिला भेषज संघ चमोली	4089.62
2.	जिला भेषज संघ पिथौरागढ़	1623.34
3.	जिला भेषज संघ उत्तरकाशी	815.98
4.	जिला भेषज संघ देहरादून	36.64
5.	जिला भेषज संघ पौड़ी	26.67
6.	जिला भेषज संघ चम्पावत	93.14
7.	जिला भेषज संघ टिहरी	73.42
8.	जिला भेषज संघ नैनीताल	993.95
9.	जिला भेषज संघ रुद्रप्रयाग	81.16
10.	जिला भेषज संघ बागेश्वर	169.29
11.	जिला भेषज संघ अल्मोड़ा	142.73
	योग	8145.94

नत्थी 'ग'

(देखिये अ0प्र0सं0 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34)

उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को सरकारी सेवा में सेवायोजित किए जाने की सूची :–

जनपद–ऊधमसिंह नगर

क्र0 सं0	आन्दोलनकारी का नाम	पद, जिसमें नियुक्ति प्रदान की गयी है।	विभाग का नाम, जिसमें नियुक्ति दी गयी है।
1.	श्री लालसिंह कार्की	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
2.	श्री सौजन्य कुमार	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
3.	श्री नितिन कुमार	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
4.	श्री केशवदत्त भट्ट	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
5.	श्री पप्पू चन्द	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
6.	श्री ज्ञानसिंह	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
7.	श्री होशियार सिंह	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
8.	श्री भगत सिंह	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
9.	श्री शोभित कुमार	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
10.	श्री गोविन्द सिंह	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग

11.	श्री राजीव कुमार	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
12.	श्री संजय परिहार	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
13.	श्री विनोद जोशी	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
14.	श्री दिनेश चन्द्र	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
15.	श्री शिवसिंह रमोला	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
16.	श्री उमेश चन्द्र शर्मा	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
17.	श्री नारायण सिंह राना	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
18.	श्री दामोदर जोशी	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
19.	श्री शंकर सिंह	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
20.	श्री हरीश सिंह	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
21.	श्री कृपाल सिंह बिष्ट	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
22.	श्री सुरेन्द्र सिंह बिष्ट	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
23.	श्री शंकर सिंह	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
24.	श्री महेन्द्र सिंह	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
25.	श्री शेखर चन्द्र	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
26.	श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
27.	श्री गोविन्द बल्लभ	चतुर्थ श्रेणी	शिक्षा विभाग
28.	श्री मुकेश वैष्णव	चतुर्थ श्रेणी	चिकित्सा विभाग
29.	श्री जीवन सिंह	चतुर्थ श्रेणी	चिकित्सा विभाग
30.	श्री शंकर सिंह	अन्वेषक–कम–संगणक	जिला सेवायोजन
31.	श्री बलवन्त सिंह मनराल	सहायक निरीक्षक वर्ग–2	सहकारी समितियाँ
32.	श्री सुभाष चन्द्र	सहायक निरीक्षक वर्ग–2	सहकारी समितियाँ
33.	श्री बलराज सिंह	राजकीय पर्यवेक्षक	सहकारी समितियाँ
34.	श्री नवल किशोर शर्मा	राजकीय पर्यवेक्षक	सहकारी समितियाँ
35.	श्री कपिल वर्मा	राजकीय पर्यवेक्षक	सहकारी समितियाँ
36.	श्री पंकज कुमार	ग्राम सेवक	सहकारी समितियाँ
37.	श्री रंजीत सिंह	कनिष्ठ लिपिक	व्यापार कर
38.	श्री प्रतिमन सिंह कन्याल	उप आबकारी निरीक्षक	आबकारी विभाग
39.	श्री निरंकार मिश्रा	नैत्यिक लिपिक	जल निगम
40.	श्री सतपाल बत्रा	नैत्यिक लिपिक	जल निगम
41.	श्री राजेन्द्र पाल	नैत्यिक लिपिक	जल निगम
42.	श्री शेखर चन्द्र	नैत्यिक लिपिक	जल निगम
43.	श्री नवीन चन्द्र ओली	आशुलिपिक	लोक निर्माण विभाग
44.	श्री कैलाश बिन्जोला	कनिष्ठ लिपिक	समाज कल्याण
45.	श्री दिनेश कुमार मित्तल	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
46.	श्री वीरेन्द्र कुमार	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
47.	श्री संजय बत्रा	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
48.	श्री केवल सिंह	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
49.	श्री रविशंकर	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
50.	श्री संजीव सिंह	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग

51.	श्री संजय आर्य	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
52.	श्री परशुराम यादव	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
53.	श्री घनश्याम यादव	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
54.	श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट	उप आबकारी निरीक्षक	आबकारी विभाग

जनपद–देहरादून

1.	श्री शान्ति प्रसाद भट्ट	एल0टी0 ग्रेड अध्यापक श्रेणी–3	शिक्षा विभाग
2.	श्री नागेन्द्र दत्त जुयाल	एल0टी0 ग्रेड अध्यापक श्रेणी–3	शिक्षा विभाग
3.	श्री रवीन्द्र रावत	कनिष्ठ लिपिक श्रेणी–3	शिक्षा विभाग
4.	श्री दिनेश कुमार	कनिष्ठ लिपिक श्रेणी–3	शिक्षा विभाग
5.	श्री पूरण सिंह लिंगवाल	परिचारक	शिक्षा विभाग
6.	श्री राम गुलाम	परिचारक	शिक्षा विभाग
7.	श्री जीतपाल सिंह बर्थवाल	परिचारक	शिक्षा विभाग
8.	श्री राजीव मोहन	परिचारक	शिक्षा विभाग
9.	श्री कल्पत सिंह	परिचारक	शिक्षा विभाग
10.	श्री राधेकृष्ण सेमवाल	परिचारक	शिक्षा विभाग
11.	श्री मोर सिंह	परिचारक	शिक्षा विभाग
12.	श्रीमती बेबी भट्टाचार्य	परिचारक	शिक्षा विभाग
13.	श्री रामभरोसे	परिचारक	शिक्षा विभाग
14.	श्री हंसराम बडोनी	परिचारक	शिक्षा विभाग
15.	श्री सुरेश कोटनाला	कनिष्ठ लिपिक	परिवहन
16.	श्री विजयपाल सिंह	कनिष्ठ लिपिक	परिवहन
17.	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी	कनिष्ठ लिपिक	परिवहन
18.	श्री मुकेश नवानी	कनिष्ठ लिपिक	परिवहन
19.	श्री संजीव सिंह चौहान	कनिष्ठ लिपिक	परिवहन
20.	श्री संतोष सेमवाल	प्रवर्तन सिपाही	परिवहन
21.	श्री रंजन मजूमदार	प्रवर्तन सिपाही	परिवहन
22.	श्री आनन्द सिंह असवाल	प्रवर्तन सिपाही	परिवहन
23.	श्री राकेश चन्द्र थपलियाल	प्रवर्तन सिपाही	परिवहन
24.	श्री जेठू सिंह	प्रवर्तन सिपाही	परिवहन
25.	श्री नत्थी लाल	प्रवर्तन सिपाही	परिवहन
26.	श्रीमती शालिनी राणा	अनुसेवक	परिवहन
27.	श्री नरेन्द्र सिंह	अनुसेवक	परिवहन
28.	श्री भगवती प्रसाद	अनुसेवक	परिवहन
29.	श्री सुरेश कुमार सिंघल	अनुसेवक	परिवहन
30.	श्री रविन्द्र सिंह सोलंकी	अनुदेशक फिटर	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग

31.	श्री धीरेन्द्र सिंह बिष्ट	अनुदेशक विद्युत	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
32.	श्री अर्जुन सिंह रावत	सहायक भण्डारी	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
33.	श्री दिनेश बिष्ट	सहायक भण्डारी	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
34.	श्री भानू प्रकाश	कनिष्ठ लिपिक	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
35.	श्री मोहन खत्री	ड्राईवर	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
36.	श्री सुरेन्द्र सेमवाल	कार्यशाला परिचर	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
37.	श्री हरि राम	चौकीदार	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
38.	श्री तुलाराम बड़वाल	अनुसेवक	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
39.	श्री सुनील कुमार	अनुसेवक	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
40.	श्री सन्तन सिंह रावत	अनुसेवक	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
41.	श्री दिनेश उनियाल	अनुसेवक	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
42.	श्री धन सिंह रावत	अनुसेवक	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
43.	श्री गुरमीत सिंह	अनुसेवक	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
44.	श्री दीपक सिंह बिष्ट	अनुसेवक	श्रम विभाग
45.	श्री विरेन्द्र सिंह	अनुसेवक	श्रम विभाग
46.	श्री जय कृष्ण सेमवाल	अनुसेवक	अर्थ एवं संख्या विभाग (नियोजन)
47.	श्री खुशहाल सिंह	अनुसेवक	अर्थ एवं संख्या विभाग (नियोजन)
48.	श्री यशवन्त सिंह रावत	सहायक विकास अधिकारी–2 (श्रेणी–4)	उद्योग विभाग
49.	श्री यशपाल सिंह	अनुचर	नगर पालिका मसूरी
50.	श्री विपिन नेगी	सहायक कोषागार लेखाकार श्रेणी–3	कोषागार, देहरादून
51.	श्री प्रेमसागर नौटियाल	सहायक कोषागार श्रेणी–3	कोषागार, देहरादून

52.	श्री विपिन नेगी	चौकीदार श्रेणी–4	चिकित्सा विभाग
53.	श्री दुर्गाप्रसाद मैखुरी	रजिस्ट्रेशन क्लर्क श्रेणी–3	चिकित्सा विभाग
54.	श्री मंजीत सिंह सजवाण	रजिस्ट्रेशन क्लर्क श्रेणी–3	चिकित्सा विभाग
55.	श्री गजय सिंह रावत	रजिस्ट्रेशन क्लर्क श्रेणी–3	चिकित्सा विभाग
56.	श्री अनुज कुमार साहनी	कनिष्ठ लिपिक	बाल विकास विभाग
57.	श्री नरेन्द्र सिंह कठैत	कनिष्ठ लिपिक	बाल विकास विभाग
58.	श्री अजीत रावत	कनिष्ठ लिपिक	बाल विकास विभाग
59.	श्री कुँवर सिंह	अनुसेवक	बाल विकास विभाग
60.	श्री जौहरी लाल	अनुसेवक	बाल विकास विभाग
61.	श्री लाल सिंह यादव	अनुसेवक	खण्ड विकास विभाग

जनपद–नैनीताल

1.	श्री मानिक मोहन शुक्ला	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
2.	श्री लाखन सिंह	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
3.	श्री जगमोहन सिंह खाती	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
4.	श्री कमलेख कोठारी	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
5.	श्री गगन पाण्डे	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
6.	श्री हरिशंकर सिंह नेगी	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
7.	श्री नरसिंह बिष्ट	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
8.	श्री कमलेश सिंह कुलौरा	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
9.	श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
10.	श्री तारादत्त जोशी	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
11.	श्री प्रमोद कुमार	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
12.	श्री देवेन्द्र कुमार	अनुसेवक	राजस्व विभाग
13.	श्री गोविन्द सिंह राणा	अनुसेवक	राजस्व विभाग

जनपद–गढ़वाल

1.	श्री मुकुल बहुगुणा	इलैक्ट्रशियन	कार्यालय, जिलाधिकारी, गढ़वाल
2.	श्री अजय डुकलान	चपरासी	कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, पौढ़ी गढ़वाल
3.	श्री मुकेश चन्द्र	कनिष्ठ लिपिक	कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, पौढ़ी गढ़वाल
4.	श्री राकेश कुमार	चपरासी	कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, पौढ़ी गढ़वाल
5.	श्री किशन सिंह	चपरासी	कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, पौढ़ी गढ़वाल

6.	श्री विक्रम लाल	कनिष्ठ लिपिक	कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल
7.	श्री दिगम्बर सिंह	चपरासी	कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल
8.	श्री बबेन्द्र सिंह	चपरासी	कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल
9.	श्री नित्यानन्द पुरी	चपरासी	कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल
10.	श्री जब्बार हुसैन	सहायक अध्यापक	कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल
11.	श्री गुरुविन्द्र सिंह	कनिष्ठ लिपिक	कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल
12.	श्री विक्रम सिंह	चपरासी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल
13.	श्री हरेन्द्र सिंह	कनिष्ठ लिपिक	कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल
14.	श्री रघुवीर सिंह	चपरासी	कार्यालय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौड़ी गढ़वाल
15.	श्री गजेन्द्र सिंह	चपरासी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल
16.	श्री सुरेश	चपरासी	कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल
17.	श्री पदम सिंह	चपरासी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पौड़ी
18.	श्री कुलवीर सिंह	कनिष्ठ लिपिक	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पौड़ी

19.	श्री मुकेश सिंह	चपरासी	कार्यालय, जिला निबन्धक पौड़ी
20.	श्री मुकेश मैठाणी	चपरासी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पौड़ी

जनपद–चमोली

1.	श्री रूद्रसिंह	जीप चालक	राजस्व विभाग
2.	श्री विपिन्न	जीप चालक	राजस्व विभाग
3.	श्री काम सिंह	अनुसेवक	राजस्व विभाग
4.	श्री खिलप सिंह	लिपिक	शिक्षा विभाग
5.	श्री सुरेन्द्र सिंह बिष्ट	राजकीय पर्यवेक्षक	सहकारिता विभाग
6.	श्री भानु प्रताप	सहायक लेखाकार	कोषागार विभाग
7.	श्री कुशलानन्द किमोठी	कनिष्ठ लिपिक	राजस्व विभाग
8.	श्री कुलदीप सिंह	अनुसेवक	राजस्व विभाग
9.	मौ0 इर्नफ	अनुसेवक	राजस्व विभाग

जनपद–अल्मोड़ा

1.	श्री लाल सिंह रावत	प्रतिलिपिक	तहसील भिकयासैण
2.	श्री डिगर सिंह	चपरासी	पटवारी
3.	श्री गोबिन्द सिंह	चपरासी	पटवारी
4.	श्री हरक सिंह	चपरासी	पटवारी
5.	श्री चतुर सिंह	चपरासी	पटवारी
6.	श्री हरीश डालाकोट	चपरासी	पटवारी

जनपद–पिथौरागढ़

1.	श्री प्रयाग सिंह	चालक	चिकित्सा विभाग
2.	श्री महेश चन्द्र पाठक	कनिष्ठ सहायक	राजस्व विभाग
3.	श्री नारायण सिंह ठगुन्ना	चालक	राजस्व विभाग

जनपद–चम्पावत

1.	श्री जगदीश चन्द्र	समूह–घ	शिक्षा विभाग
2.	श्री पूरन सिंह ज्वाल	समूह–घ	शिक्षा विभाग
3.	श्री जयदत्त	—	शिक्षा विभाग
4.	श्री विष्णु देव	समूह–ग	शिक्षा विभाग
5.	श्री जीवन सिंह नेगी	समूह–ग	शिक्षा विभाग
6.	श्री रवीन्द्र पाण्डे	समूह–ग	शिक्षा विभाग
7.	श्री कमल राजन	समूह–ग	शिक्षा विभाग
8.	श्री खिमानन्द पाण्डे	समूह–ग	शिक्षा विभाग
9.	श्री स्वरूप कुमार जोशी	समूह–ग	शिक्षा विभाग
10.	श्री मनोज तड़ागी	समूह–ग	शिक्षा विभाग
11.	श्री रवीन्द्र कालौनी	समूह–ग	शिक्षा विभाग

12.	श्री विकास जोशी	समूह–ग	शिक्षा विभाग
13.	श्री गणेश चन्द	समूह–ग	शिक्षा विभाग
14.	श्री इन्देश कुमार	समूह–ग	शिक्षा विभाग
15.	श्री अरविन्द सिंह रावत	समूह–ग	शिक्षा विभाग
16.	श्री हरीश पाल	समूह–ग	शिक्षा विभाग
17.	श्री शेखर दत्त	समूह–ग	शिक्षा विभाग
18.	श्री प्रेम चन्द्र	समूह–ग	शिक्षा विभाग
19.	श्री मोहन सिंह ढेक	समूह–ग	शिक्षा विभाग
20.	श्री गणेश दत्त जोशी	समूह–ग	शिक्षा विभाग
21.	श्री अजय जैन	समूह–ग	शिक्षा विभाग
22.	श्री भूपेन्द्र सिंह देव	समूह–ग	शिक्षा विभाग
23.	श्री जनक चन्द्र	समूह–ग	शिक्षा विभाग
24.	श्री देवेन्द्र सिंह	समूह–ग	शिक्षा विभाग
25.	श्री प्रकाश चन्द्र कालौनी	समूह–घ	शिक्षा विभाग
26.	श्री राजेन्द्र चन्द्र	समूह–घ	शिक्षा विभाग
27.	श्री बहादुर सिंह	समूह–घ	शिक्षा विभाग
28.	श्री रवीन्द्र सिंह	समूह–घ	शिक्षा विभाग
29.	श्री प्रेम चन्द्र	समूह–घ	शिक्षा विभाग
30.	श्री नवीन चन्द्र जोशी	समूह–घ	शिक्षा विभाग
31.	श्री अरविंद कुमार	समूह–घ	शिक्षा विभाग
32.	श्री प्रभाकरण चन्द्र	समूह–घ	शिक्षा विभाग
33.	श्री गणेश चन्द	समूह–घ	शिक्षा विभाग
34.	श्री कृष्ण सिंह	समूह–घ	सेवायोजन कार्यालय
35.	श्री खीम सिंह बिष्ट	समूह–घ	चिकित्सा विभाग
36.	श्री कुन्दन सिंह	समूह–ग	चिकित्सा विभाग

जनपद–रूद्रप्रयाग

1.	श्री मान बीरेन्द्र सिंह	कनिष्ठ लिपिक	शिक्षा विभाग
2.	श्री जसपाल सिंह	परिचारक	शिक्षा विभाग
3.	श्री सुनील कुमार	पूर्ति लिपिक	पूर्ति विभाग
4.	श्री धर्मवीर सिंह	वाहन चालक	चिकित्सा विभाग
5.	श्री अजय कुमार	परिचारक	शिक्षा विभाग
6.	श्री कैलाश चन्द्र देवली	परिचारक	शिक्षा विभाग

जनपद–टिहरी गढ़वाल

1.	श्री शहजाद खान	जीप चालक	विकास विभाग
2.	श्री बुद्धिराम सेमवाल	जीप चालक	विकास विभाग
3.	श्री पूर्णसिंह	जीप चालक	विकास विभाग
4.	श्री खुशाल सिंह	जीप चालक	विकास विभाग
5.	श्री उत्तम सिंह	जीप चालक	विकास विभाग
6.	श्री रवीन्द्र सिंह	जीप चालक	विकास विभाग
7.	श्री बिशन चन्द्र रमोला	जीप चालक	विकास विभाग

8.	श्री सतीश चन्द्र	परिचारक	शिक्षा विभाग
9.	श्री नत्थी महर	परिचारक	शिक्षा विभाग
10.	श्री वीरेन्द्र सिंह	परिचारक	शिक्षा विभाग
11.	श्री भगवान सिंह	परिचारक	शिक्षा विभाग
12.	श्री राजेन्द्र सिंह	परिचारक	शिक्षा विभाग
13.	श्री कुलदीप सिंह	कनिष्ठ सहायक	शिक्षा विभाग
14.	श्री मंजीत सिंह	कनिष्ठ सहायक	शिक्षा विभाग
15.	श्री शिव प्रसाद	कनिष्ठ सहायक	शिक्षा विभाग
16.	श्री राजेन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	शिक्षा विभाग
17.	श्री रमेश सिंह	कनिष्ठ सहायक	शिक्षा विभाग

नत्थी 'घ'

(देखिये अ0प्र0स0 65 का उत्तर पृष्ठ 38)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2005 के द्वितीय सोमवार हेतु निर्धारित श्री प्रकाश पन्त मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 65 का संलग्नक :–

क्र0सं0	कार्य का विवरण	लक्षित मात्रा	फरवरी, 05 तक प्रगति
अ–पाइप लाइन	200 मि0मी0 व्यास, ई0आर0डब्लू0 पाईप	1332 मी0	1332 मीटर
	150 मि0मी0 व्यास, जी0आई0पाईप	3426 मी0	3426 मी0
	125 मि0मी0 व्यास, जी0आई0पाईप	1720 मी0	1720 मी0
	100 मि0मी0 व्यास, जी0आई0पाईप	7659 मी0	7659 मी0
	80 मि0मी0 व्यास, जी0आई0पाईप	5902 मी0	5502 मी0
	65 मि0मी0 व्यास, जी0आई0पाईप	5840 मी0	5040 मी0
	50 मि0मी0 व्यास, जी0आई0पाईप	4851 मी0	4151 मी0
	40 मि0मी0 व्यास, जी0आई0पाईप	2845 मी0	2345 मी0
	32 मि0मी0 व्यास, जी0आई0पाईप	855 मी0	555 मी0
	25 मि0मी0 व्यास, जी0आई0पाईप	656 मी0	456 मी0
	योग–	35.086 कि0मी0	32.186 कि0मी0
ब–जलाशय	250 किलो लीटर	01 नग	कार्य प्रारम्भ
	200 किलो लीटर	01 नग	80% कार्यपूर्ण
	80 किलो लीटर	01 नग	निविदा प्राप्त

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 विधान सभा/9–10–4–2007–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।

पुस्तकालय 666